ध्येयIAS
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

पाक्षिक करेंट अफेयर्स मैगजीन

फरवरी 2024
Issue : 01
वर्ष :06 | अंक : 03
मूल्य:₹70

dhyeyaias.com

मुख्य विशेषताएं

- भारत रत्न
- नरसंहार और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय
- सतत ऊर्जा साझेदारी
- एआई और रोजगार
- संगठित अपराध
- पीएम सूर्योदय योजना
- एएसईआर 2023
- नये विद्युत नियम
- अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25
- ऑपरेशन सर्वशक्ति
- कुष्ठ उन्मूलन
- राज्य स्टार्ट-अप रैंकिंग
- डीएटी-एसजी
- स्क्रब टाइफस
- भारतीय शेयर बाजार
- सी4आईआर
- भारत का सबसे पुराना जीवित शहर
- एआईएसएचई रिपोर्ट
- लिथियम ब्लॉक
- गहरे समुद्र में प्रवाल चट्टान

प्रीलिम्स स्पेशल

महत्वपूर्ण योजनाएँ एवं पहल

ब्रेन बूस्टर

वर्षांत समीक्षा 2023:
विभिन्न मंत्रालयों के विकास कार्यक्रम-III

प्रीलिम्स फैक्ट्स

- भुगतान एग्रीगेटर
- फाइटोकैनाबिनोइड्स
- चाकलिया समुदाय
- एमपीईएमबीए प्रभाव
- विंग्स इंडिया अवार्ड्स
- कर्बी युवा महोत्सव
- अनुवादिनी ऐप

चर्चित स्थल | समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न | प्रारंभिक परीक्षा के लिए वन लाइनर्स

DHYEYA IAS
most trusted since 2003

PERFECT 7

Complete fortnightly magazine for **UPSC** and **PCS** exams

Fortnightly Current Affairs Magazine

परफेक्ट 7
यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाक्षिक पत्रिका

*Available Fortnightly in **Hindi** & **English***

Features :

- Upto date current affairs.
- 7 Editorials by experts.
- 42 Power packed articles focus on Pre cum mains .
- 7 Concept based Brain Boosters.
- Compact & relevant information.
- Special focus on info-graphics, data and maps.
- Pre focussed static and current MCQs.
- Places in news with map.
- Short articles and one liners for prelims.
- Special content for Prelims & Mains.
- Special section for state PCS current affairs.

Yearly Subscription

Price	Issue	Total	After Discount
70	24	1680	1320

Half Yearly Subscription

Price	Issue	Total	After Discount
70	12	840	720

**Postal charges extra*

For More info : **9369227134** | perfect7magazine@gmail.com

पहला पन्ना

करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की ओर से आयोजित परीक्षाओं की तैयारी में अति महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट-7 पत्रिका का पाक्षिक प्रकाशन किया जा रहा है। आईएएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के राज्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाये। परफेक्ट-7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है। इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ-साथ सामान्य अध्ययन के महत्त्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कंटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्व की जीवनी और भूमिकाओं को, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर 15 दिन पर सबसे महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, लोक प्रशासन, कला-संस्कृति, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर जोर दिया जाता है।

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ने के लिए ब्रेन-बूस्टर सेक्शन में 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैधिक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहती है। इस मैगजीन को केवल बच्चों व केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नहीं बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का ध्येय यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। पत्रिका के प्रारूप में अभ्यर्थियों की तथ्यात्मक आवश्यकताओं, मानसिक विकास, लेखन प्रविधि विकसित करने जैसे विषयों को ध्यान में रखते हुये स्तंभ शामिल किये गये हैं। इसके साथ ही हम अभ्यर्थियों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप नये स्तंभ शुरू करते रहे हैं और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। आशा है कि आप सभी के लिये यह अंक उपयोगी सिद्ध होगा। हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ।

विनय सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

ध्येय IAS

परफेक्ट 7

यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पत्रिका

इस अंक में ...

संस्थापक	:	विनय सिंह
प्रबंध निदेशक	:	क्यू. एच. खान
प्रबंध संपादक	:	विजय सिंह
संपादक	:	विवेक ओझा
सह-संपादक	:	आशुतोष मिश्र
	:	सौरभ चक्रवर्ती
उप-संपादक	:	हरि ओम पाण्डेय
	:	भानू प्रताप
	:	ऋषिका तिवारी
संपादकीय सहयोग	:	डॉ. अर्पित
	:	प्रमोद
	:	पूर्णांशी
	:	रत्नेश
समीक्षक एवं	:	नितिन अस्थाना
सलाहकार	:	शशांक त्रिपाठी
डिजाइनिंग	:	अरूण मिश्र
एवं डेवलेपमेंट	:	पुनीष जैन
सोशल मीडिया	:	केशरी पाण्डेय
मार्केटिंग सहयोग	:	प्रियांक, अंकित
टंकण	:	सचिन
तकनीकी सहायक	:	वसीफ खान
कार्यालय सहायक	:	राजू, चंदन, गुड्डू
	:	अरूण, राहुल

-: साभार :-

PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, BBC, Deccan Herald, HT, ET, ToI, दैनिक जागरण व अन्य

समसामयिकी लेख

1. भारत में औषधि विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियां और समाधान की राहें — 5-6
2. भारत में बहुआयामी गरीबी पर नीति आयोग की रिपोर्ट — 7-8
3. नरसंहार से निपटने में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भूमिका का मूल्यांकन — 9-10
4. सतत ऊर्जा समझौते को मजबूती देता भारत: नई प्रौद्योगिकी की संभावनाएं और चुनौतियां — 11-12
5. रोजगार के अवसरों को प्रभावित कर रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: संतुलन बनाने की आवश्यकता — 13-14
6. संगठित अपराध भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती — 15-16
7. अल नीनो का भारतीय जलवायु पर प्रभाव और इससे संबंधित पहलू — 17-18

- राष्ट्रीय 19-23
- अंतर्राष्ट्रीय 24-27
- पर्यावरण 28-31
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 32-36
- आर्थिकी 37-41
- विविध 42-45
- ब्रेन-बूस्टर 46-52

प्री स्पेशल

- पावर पैक्ड न्यूज 53-56
- समसामयिक घटनाएं एक नजर में 57
- चर्चा में रहे प्रमुख स्थल 58
- समसामयिकी आधारित बहु-विकल्पीय प्रश्न 59-61
- महत्त्वपूर्ण पहल व योजनाएं 62-47

भारत में औषधि विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियां और समाधान की राहें

भारत सरकार ने फार्मा/औषधि विनिर्माण के क्षेत्र में गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया है। फार्मा कंपनियों द्वारा औषधि विनिर्माण के समय उचित प्रक्रियाओं का अनुपालन किया जाता है या नहीं, इसका निरीक्षण औषधि विनिर्माण क्षेत्र और मानव संसाधन संरक्षण के लिहाज से आवश्यक है। सरकार ने अब इसे जरूरी समझा है कि फार्मास्युटिकल क्वालिटी सिस्टम, क्वालिटी रिस्क मैनेजमेंट, प्रोडक्ट क्वॉलिटी रिव्यू, क्वालिफिकेशन एंड वैलीडेशन ऑफ इक्विपमेंट, चेंज कंट्रोल मैनेजमेंट, सेल्फ इंस्पेक्शन एण्ड क्वॉलिटी ऑडिट, टीम सप्लायर ऑडिट और अप्रूवल से जुड़े गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज को लागू किया जाए। यह स्वास्थ्य संरक्षण एवं व्यापार सभी दृष्टि से बेहतर होगा। भारत सरकार ने अब फार्मा कंपनियों को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज का अनिवार्य अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किया है। मैटीरियल, मशीन, प्रॉसेस, कर्मचारी, संयंत्र (फेसिलिटिज) आदि सभी मामलों में क्वॉलिटी कंट्रोल के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। इस गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज में कहा गया है कि सभी फार्मा कंपनियों को अगले 6 से 12 माह के भीतर संशोधित गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज का अनुपालन करना होगा। 250 करोड़ रूपए से कम टर्नओवर वाले एमएसएमई या छोटी कंपनियों को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज के अनुपालन और सर्टिफिकेशन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए 12 माह तक का समय दिया गया है। 250 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले एमएसएमई को इस संदर्भ में 6 माह का ही समय दिया गया है।

गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (GMP) ऐसे अनिवार्य स्टैंडर्ड होते हैं जो मैटीरियल, मेथड्स, मशीन, प्रॉसेस, कर्मचारी व फैसिलिटी में नियंत्रण करके प्रोडक्ट में गुणवत्ता को बनाए रखना सुनिश्चित करते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश में करीब 10500 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिसमें से 8500 एमएसएमई श्रेणी के अंतर्गत आती हैं, जबकि लगभग 2000 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स (जो मुख्यत: निर्यातक हैं) के पास विश्व स्वास्थ्य संगठन का गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज सर्टिफिकेशन है। चूंकि भारत निम्न और मध्यम आय वाले देशों के लिए एक प्रमुख औषधि निर्यातक देश है, इसलिए डब्ल्यूएचओ जीएमपी सर्टिफिकेशन आवश्यक हो जाता है।

भारत में औषधि विनिर्माण की दिशा में उठाए गए कदम:

- **प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना:** भारत सरकार की एक प्रमुख पहल 'प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना' ने गरीबों और वंचितों को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए 10000 खुदरा दुकानें खोलने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। पीएलआई योजना ने औषधीय क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ाकर भारत की विनिर्माण क्षमता को मजबूत किया है। इसके अलावा भारत सरकार ने चिकित्सा उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और औषधीय उद्योग को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया है।
- **पीएलआई योजना और औषधि विनिर्माण:** भारत में महत्त्वपूर्ण प्रारंभिक सामग्रियों (केएसएम)/ड्रग इंटरमीडिएट्स और सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्रियों (एपीआई) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का उद्देश्य उनकी उच्च आयात निर्भरता को कम करने के लिए 41 चिह्नित थोक दवाओं के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। योजना का कुल परिव्यय 6,940 करोड़ रुपये, जबकि योजना की अवधि 2020-21 से 2029- 30 तक है। यह योजना 41 थोक दवाओं के निर्माताओं को आधार वर्ष के दौरान उनकी वृद्धिशील बिक्री पर छह साल के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देती है। इस योजना के सफल कार्यान्वयन से यह उम्मीद की जाती है कि आने वाले वर्षों में योजना की कार्यान्वयन अवधि के दौरान अधिसूचित थोक दवाओं में आयात निर्भरता कम हो जाएगी।
- **औषधि के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना:** पीएलआई योजना इस क्षेत्र में निवेश और उत्पादन बढ़ाकर फार्मास्युटिकल क्षेत्र में उच्च मूल्य वाले सामानों के लिए उत्पाद विविधीकरण में योगदान देकर भारत की विनिर्माण क्षमताओं को लागू किया जा रहा है। योजना का कुल परिव्यय 15,000 करोड़ रुपये है, जबकि योजना की अवधि 2020-2021 से 2028-29 तक है। योजना में निम्न तीन श्रेणियों के तहत चिन्हित प्रॉडक्ट के उत्पादन के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है:
  - श्रेणी 1 में बायो-फार्मास्युटिकल्स, जटिल जेनेरिक दवाएं या पेटेंट की समाप्ति के करीब आने वाली दवाएं, ऑरफेन दवाएं आदि शामिल हैं।
  - श्रेणी-2 में सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री, प्रमुख प्रारंभिक सामग्री, ड्रग इंटरमीडिएट्स आदि शामिल हैं।
  - श्रेणी-3 में ऑटो-इम्यून दवाएं, कैंसर रोधी दवाएं, मधुमेह रोधी दवाएं, संक्रामक रोधी दवाएं, हृदय संबंधी दवाएं, साइकोट्रोपिक दवाएं, एंटी-रेट्रोवायरल दवाएं और इन-विट्रो डिवाइस आदि शामिल हैं।
- इन उत्पादों से भारतीय फार्मास्युटिकल उद्योग के नवाचार, अनुसंधान एवं विकास और उत्पाद विविधीकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा फार्मास्युटिकल क्षेत्र के प्रमुख उद्योगों द्वारा किया गया निवेश आगामी वर्षों के मूल्य शृंखला में एमएसएमई

के विकास और वृद्धि में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

- **फार्मास्युटिकल उद्योग को मजबूत बनाना:** औषधि विभाग ने 500 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 'फार्मास्युटिकल उद्योग को मजबूत बनाना' (एसपीआई) योजना लागू की। योजना की कार्यान्वयन अवधि वित्तीय वर्ष 21-22 से वित्तीय वर्ष 25-26 तक है। इस योजना का उद्देश्य फार्मा एमएसएमई समूहों में मौजूदा बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने के लिए देश भर में मौजूदा फार्मा समूहों और एमएसएमई को उनकी उत्पादकता, गुणवत्ता तथा स्थिरता में सुधार करने के लिए सहायता प्रदान करना है। एसपीआई योजना के लिए सिडबी (SIDBI) को परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) के रूप में नियुक्त किया गया है। यह योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें निम्नलिखित उप-योजनाएं शामिल हैं:
  - सामान्य सुविधाओं के लिए फार्मास्युटिकल उद्योग को सहायता (एपीआई-सीएफ)
  - फार्मास्युटिकल प्रौद्योगिकी उन्नयन सहायता योजना (पीटीयूएएस)
  - हानिकारक, चिकित्सा उपकरण संवर्धन एवं विकास योजना (पीएमपीडीएस)
- **बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना:** देश में बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए 20 मार्च, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 'बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देना' नामक योजना को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य पार्कों में स्थित इकाइयों को विश्वस्तरीय सामान्य बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करना है जो थोक दवाओं की विनिर्माण लागत को काफी कम करने में मदद करेगी। इससे घरेलू थोक दवा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, साथ ही आयात पर देश की निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी।
- **फार्मास्युटिकल क्षेत्र में एफडीआई की उपलब्धियां:** फार्मास्युटिकल क्षेत्र भारत में विदेशी निवेश के लिए शीर्ष दस आकर्षक क्षेत्रों में से एक है। चिकित्सा उपकरणों में स्वचालित मार्ग के तहत 100% विदेशी निवेश की अनुमति है। ग्रीनफील्ड परियोजनाओं में औषधि में स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति है, जबकि ब्राउनफील्ड फार्मास्युटिकल परियोजनाओं के लिए 74% से अधिक विदेशी निवेश के लिए सरकारी अनुमोदन की आवश्यकता होती है। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) को मई 2017 में समाप्त करने के बाद औषधि विभाग को सरकारी अनुमोदन मार्ग के तहत विदेशी निवेश प्रस्तावों पर विचार करने की भूमिका सौंपी गई।

राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 :

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल, 2023 में राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को मंजूरी दिया था जिसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को सुविधाजनक बनाना और खास योजनाओं के माध्यम से अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करना है जो छह व्यापक क्षेत्रों को कवर करेगा:
  - विनियामक सुव्यवस्थितीकरण
  - बुनियादी ढांचे को सक्षम करना
  - अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को सुगम बनाना
  - निवेश को आकर्षित करना
  - मानव संसाधन का विकास
  - ब्रांड को स्थापित करना और जागरूकता निर्माण।

औषधि विनिर्माण क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियां:

- भारत में कुछ फार्मा कंपनियाँ दवाओं के निर्माण, परीक्षण, लेबलिंग, पैकेजिंग, भंडारण और वितरण के लिये निर्धारित मानदंडों का पालन नहीं कर रही हैं जिसके चलते औषधि विनिर्माण से जुड़ी स्पष्टता नहीं आ पाती। फार्मा कंपनियों द्वारा लागत में कटौती या मुनाफा बढ़ाने के लिये अनैतिक प्रैक्टिसेज का भी सहारा लिया जाता है। जैसे-गुणवत्ताहीन या नकली कच्चे माल का उपयोग करना, दवाओं में मिलावट करना, डेटा या दस्तावेजों में गलत दावे या हेराफेरी करना आदि। ऐसा देखा गया है कि भारत का दवा नियामक 'केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन' अपनी गतिविधियों, प्रक्रियाओं व परिणामों के बारे में आम लोगों या मीडिया को अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं कराता है।
- गुणवत्ताहीन या नकली दवाओं पर अंकुश लगाने के संबंध में इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने की कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है। यह सुनिश्चित करने के लिये भी कोई तंत्र मौजूद नहीं है कि भारत का दवा नियामक स्वतंत्र, निष्पक्ष और सरकार या उद्योग के बाह्य प्रभावों से मुक्त है। दवा निर्माण इकाइयों और उनके उत्पादों के प्रभावी निरीक्षण, परीक्षण, निगरानी एवं सर्विलांस के लिये जनशक्ति, अवसंरचना, धन और प्रौद्योगिकी की कमी की समस्या भी मौजूद है।
- भारत का दवा विनियमन औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत शासित है जिसमें वर्तमान जरूरत के अनुसार सुधार आवश्यक हो जाता है। यह अधिनियम नैदानिक परीक्षण, जैव-समतुल्यता अध्ययन (Bioequivalence Studies), गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज जैसे कई पहलुओं को दायरे में नहीं आता जो दवाओं की गुणवत्ता और इनसे जुड़ी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है।

निष्कर्ष:

औषधि विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े दिशानिर्देश को मजबूत बनाना समय की मांग हैं। ऐसे कानून जो अप्रासंगिक हो चुके हैं या जिनमें आज के समय के हिसाब से जरुरी प्रावधानों का अभाव है, उन्हें तत्काल बदले जाने की आवश्यकता है। फार्मा कंपनियों के विनिर्माण प्रक्रियाओं की उचित ऑडिटिंग की जानी जरूरी है। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जरूरी पोर्टलों का विकास किया जाना भी आवश्यक है। फार्मा उत्पादों के निर्यात के क्रम में भी गुणवत्ता का ध्यान रखना जरूरी है जिससे भारत के औषधि क्षेत्र पर कोई प्रश्न चिन्ह न लग सके।

भारत में बहुआयामी गरीबी पर नीति आयोग की रिपोर्ट

नीति आयोग ने '2005-06 से भारत में बहुआयामी गरीबी' शीर्षक वाली अपनी रिपोर्ट में अनुमान लगाया है कि पिछले नौ वर्षों में कुल 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से निकाले गए हैं। तीन एनएफएचएस डेटासेट के आधार पर नीति आयोग ने ऑक्सफोर्ड पॉलिसी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (ओपीएचआई) और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) के तकनीकी इनपुट के साथ वर्ष 2013-14 से 2022-23 तक एमपीआई में गिरावट का अनुमान लगाया है।

नीति आयोग की रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- **गरीबी की कुल संख्या में गिरावट:** रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे आने वाली जनसंख्या का प्रतिशत 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गया है। इसके अलावा, इन 9 वर्षों के दौरान लगभग 24.82 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से निकाले गए।
- इसमें कहा गया है कि औसत बहुआयामी गरीब व्यक्ति जिन अभावों से पीड़ित है, उनकी स्थिति में 2005-06 से 2013-14 की तुलना में 2015-16 से 2019-21 के बीच थोड़ी कम दर से गिरावट आई है।
- **संकेतक निष्कर्ष:** जीवन स्तर के आयाम में संकेतकों ने 2005-06 में अभाव के उच्चतम स्तर को दर्शाया है। उदाहरण के लिए, 2005-06 में 74.4 प्रतिशत आबादी खाना पकाने के ईंधन से वंचित थी जो 2015-16 में गिरकर 58.47 प्रतिशत और 2019-21 के बीच 43.9 प्रतिशत हो गई।
- इसी प्रकार वर्ष 2005-06 में 70.92 प्रतिशत आबादी पर्याप्त स्वच्छता सुविधाओं से वंचित थी जो 2015-16 में घटकर 51.88 प्रतिशत और 2019-21 के बीच 30.93 प्रतिशत हो गई।
- दोनों अवधियों के बीच सबसे तेज गिरावट बैंक खातों तक पहुंच से वंचित होने वाले संकेतक में दर्ज की गई जो 2005-06 में 58.11 प्रतिशत से गिरकर 2013-14 में 9.66 प्रतिशत हो गई।
- **राज्य-वार निष्कर्ष:** उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) के आधार पर गरीब के रूप में वर्गीकृत लोगों की संख्या में सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई।
- 2013-14 और 2022-23 में एमपीआई गरीबों की अनुमानित हिस्सेदारी के अनुसार, बिहार में 2013-14 में एमपीआई गरीबों की 56.3 प्रतिशत हिस्सेदारी से 53 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई जो 2022-23 में 26.59 प्रतिशत हो गई। झारखंड में एमपीआई गरीबों की हिस्सेदारी 47.13 प्रतिशत से 50 प्रतिशत गिरकर 23.34 प्रतिशत हो गई।
- उत्तर प्रदेश में यह गिरावट 2013-14 के 42.59 प्रतिशत से घटकर 17.4 प्रतिशत हो गई।

सरकार की पहल:

- रिपोर्ट में कहा गया है कि 'पोषण अभियान' और 'एनीमिया-मुक्त भारत' जैसी पहलों ने स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच में काफी वृद्धि की है, जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 813.5 मिलियन लाभार्थियों को शामिल किया गया है जिससे ग्रामीण इलाकों और शहरी आबादी में खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है।
- उज्ज्वला तथा सौभाग्य योजना जैसे विभिन्न कार्यक्रमों और स्वच्छ भारत मिशन व जल जीवन मिशन जैसे अभियानों ने सामूहिक रूप से लोगों की जीवन स्थितियों को उन्नत किया है।
- इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जन धन योजना ने जहां वित्तीय समावेशन बढ़ाया है, वहीं पीएम आवास योजना जैसे प्रमुख कार्यक्रमों ने वंचितों को सुरक्षित आवास प्रदान करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

गरीबी क्या है?

- गरीबी तब मानी जाती है जब लोगों के पास अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए साधनों का अभाव होता है। इस संदर्भ में, गरीब लोगों की पहचान के लिए सबसे पहले यह निर्धारित करना आवश्यक है कि बुनियादी जरूरतें क्या हैं?
- इन्हें संकीर्ण रूप से 'जीवित रहने के लिए आवश्यक' या मोटे तौर पर 'समुदाय में प्रचलित जीवन स्तर को प्रतिबिंबित करने वाले' के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
- **पूर्ण गरीबी:** एक ऐसी स्थिति जहां घरेलू आय बुनियादी जीवन स्तर (भोजन, आश्रय, आवास) को बनाए रखने के लिए आवश्यक स्तर से नीचे है। यह विभिन्न देशों के संबंध में तुलना करने हेतु अलग-अलग तरीके से मापा जाता है।
- **सापेक्ष गरीबी:** इसे सामाजिक परिप्रेक्ष्य से परिभाषित किया जाता है जो परिवेश में रहने वाली आबादी के आर्थिक मानकों की तुलना में जीवन स्तर को मापता है।

भारत में गरीबी के आंकलन की शुरूआत:

- **1901:** दादाभाई नरोजी ने पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया में लिखा। इसमें उन्होंने 1867-68 की कीमतों पर गरीबी रेखा का पहला अनुमान लगाया।

- **1938:** जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 'राष्ट्रीय योजना समिति' ने न्यूनतम जीवन स्तर के आधार पर गरीबी रेखा का सुझाव दिया।
- **1944:** बॉम्बे प्लान के समर्थकों ने प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 75 रुपये की सीमा गरीबी रेखा को निर्धारित करने हेतु सुझाया था।
- **1962:** योजना आयोग ने 1958 में आईसीएमआर द्वारा दी गई संतुलित आहार की सिफारिशों को आधार मानते हुए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग गरीबी रेखाएँ निर्धारित किया।
- **1971:** वीएम दांडेकर और एन रथ ने राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण डेटा के आधार पर भारत में गरीबी का पहला व्यवस्थित मूल्यांकन किया।
- **1979:** डॉ. वाई. के. अलघ टास्क फोर्स ने शहरी और ग्रामीण गरीबों को उपभोग के लिए अलग-अलग गरीबी रेखा बास्केट की धारणा पर आधारित रिपोर्ट पेश किया।
- **1993:** लकड़ावाला विशेषज्ञ समूह ने शहरी क्षेत्रों के लिए सीपीआई-आईडब्ल्यू और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सीपीआई-एएल का इस्तेमाल किया। इसने अंतर-राज्य मूल्य अंतर को प्रतिबिंबित करने के लिए गरीबी रेखा को राज्य-विशिष्ट गरीबी रेखा में विभाजित किया।
- **2009:** सुरेश तेंदुलकर समिति ने गरीबी को परिभाषित करने के लिए मिश्रित संदर्भ अवधि का उपयोग करने की सिफारिश की।
- **2014:** सी. रंगराजन समिति का गठन योजना आयोग द्वारा वर्ष 2012 में तेंदुलकर समिति की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने और देश में गरीबों की संख्या पर अस्पष्टता को दूर करने के लिए किया गया था जिसने जून, 2014 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

बहुआयामी गरीबी क्या है?

- बहुआयामी गरीबी में गरीब लोगों द्वारा अपने दैनिक जीवन में अनुभव किए जाने वाले विभिन्न अभाव शामिल हैं। जैसे-खराब स्वास्थ्य, शिक्षा की कमी, अपर्याप्त जीवन स्तर, अशक्तता, काम की खराब गुणवत्ता, हिंसा का खतरा और जलवायु परिवर्तन आदि।
- वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआई) 100 से अधिक विकासशील देशों को कवर करने वाली तीव्र बहुआयामी गरीबी का एक अंतरराष्ट्रीय माप है। यूएनडीपी और ओडीपीआई द्वारा विकसित यह अल्किरे और फोस्टर (Alkire & Foster) पद्धति पर आधारित है जो डुअल कट-ऑफ पद्धति के आधार पर लोगों को 'गरीब या गरीब नहीं' के रूप में वर्गीकृत करती है। वैश्विक एमपीआई तीन क्षेत्रों को कवर करने वाले दस संकेतकों का उपयोग करता है:
  - पोषण और बाल एवं किशोर मृत्यु दर संकेतक सहित स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम।
  - शिक्षा आयाम में स्कूली शिक्षा के वर्ष और स्कूल में उपस्थिति संकेतक।
  - जीवन स्तर के मानक में 6 घरेलू विशिष्ट संकेतक (आवास, घरेलू संपत्ति, खाना पकाने के ईंधन का प्रकार, स्वच्छता तक पहुंच, पीने का पानी और बिजली) शामिल हैं।
- एमपीआई व्यक्तिगत स्तर पर गरीबी का आंकलन करता है। यदि कोई व्यक्ति दस (भारित) संकेतकों में से एक तिहाई या अधिक में वंचित है, तो वैश्विक एमपीआई उन्हें 'एमपीआई गरीब' के रूप में वर्गीकृत करता है।
- **राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक:** भारत की बहुआयामी गरीबी की परिभाषा बारह संकेतकों का उपयोग करके मापी जाती है। नीति आयोग द्वारा तैयार इस सूचकांक में दो अतिरिक्त संकेतक 'मातृ स्वास्थ्य और बैंक खाता' शामिल हैं।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण क्या है?

यह पूरे भारत में परिवारों के प्रतिनिधि नमूने पर किया गया एक बड़े पैमाने का मल्टी राउंड सर्वेक्षण है। यह जनसंख्या विज्ञान संस्थान मुंबई, आईसीएफ और ईस्ट-वेस्ट सेंटर, यूएसए की एक सहयोगी परियोजना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इसकी नोडल एजेंसी है।

विभिन्न एनएफएचएस के लिए समयरेखा:

- **एनएफएचएस-1:** 1992-93
- **एनएफएचएस-2:** 1998-99 में प्रकाशित इस सर्वेक्षण के तहत भारत के सभी राज्यों में सर्वेक्षण हुआ।
- **एनएफएचएस-3 (2005-2006):** यह स्वास्थ्य मिशन यूएसएआईडी, अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग (यूके), बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, यूनिसेफ, यूएनएफपीए और भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित था।
- **एनएफएचएस-4 (2014-2015):** इसमें 28 राज्यों के अलावा पहली बार सभी केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया था।
- **एनएफएचएस-5 (2019-20):** इसे लगभग 6.1 लाख घरों में आयोजित किया गया। एनएफएचएस-5 के कई संकेतक एनएफएचएस-4 के समान रहे थे।

निष्कर्ष:

हालाँकि यह पेपर भारत के भविष्य के लिए एक आशावादी तस्वीर प्रदान करता है, लेकिन यह 'अर्थव्यवस्था पर कोविड के प्रभाव को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं कर सकता है' क्योंकि 2019-21 के बीच एकत्र किए गए एनएफएचएस-5 डेटा का हिस्सा महामारी से पहले एकत्र किया गया था। भारत में कोविड-19 के आर्थिक प्रभाव का गंभीर प्रभाव पड़ा है, आय में गिरावट, व्यापक खाद्य असुरक्षा और गरीबी में वृद्धि हुई है। प्यू रिसर्च सेंटर की एक रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि महामारी से प्रेरित आर्थिक मंदी के कारण वर्ष 2022 में भारत में लगभग 75 मिलियन से अधिक लोग गरीब हुए हैं। इन सभी संकेतकों के आधार पर सरकार को भविष्य में नीति निर्माण करना होगा जिससे आम जनमानस को लाभ हो सके।

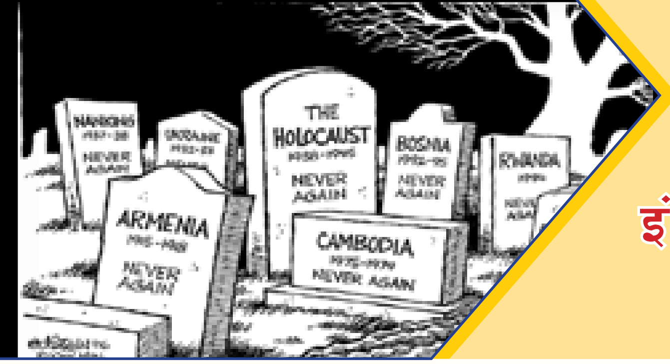

नरसंहार से निपटने में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की भूमिका का मूल्यांकन

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशंस का प्रमुख न्यायिक संगठन है जो दो या दो से अधिक देशों के बीच कानूनी विवादों की सुनवाई करके न्याय देता है। इस समय आईसीजे के पास इजराइल द्वारा फिलीस्तीन पर नरसंहार (Genocide) किए जाने का मामला दर्ज है जिसकी सुनवाई हाल ही में हुई है। दरअसल जिस तरह से गाजा में भारी संख्या में लोगों की जानें गई हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है, उसके लिए इजराइल को जिम्मेदार माना जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला दायर करके कहा कि इजराइल ने फिलिस्तीन के उग्रवादी संगठन हमास के खिलाफ जो युद्ध छेड़ा, वह 1948 के जिनोसाइड कन्वेंशन (Genocide convention) का उल्लंघन है, वहीं इजराइल का कहना है कि साउथ अफ्रीका "हमास रेपिस्ट रेजिम" के कुकृत्यों पर पर्दा डाल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में इजराइल आतंकी संगठन हमास और उसके समर्थकों के खिलाफ दलीलें देगा।

- दक्षिण अफ्रीका ने आईसीजे में दायर 84 पन्नों की अपनी अपील में कहा कि इजराइल की कार्यवाही की प्रकृति नरसंहार की है क्योंकि उनकी मंशा गाजा में फिलीस्तीनी लोगों की अधिक से अधिक तबाही है। इसमें कहा गया था कि नरसंहार की कार्यवाही में फिलीस्तीनी लोगों की हत्या, गंभीर मानसिक और शारीरिक क्षति पहुंचाना तथा ऐसे हालात पैदा करना शामिल है जिसका उद्देश्य सामूहिक रूप से उनकी तबाही है। आईसीजे में दायर अपील के अनुसार, इजराइली अधिकारियों के बयानों में भी नरसंहार की मंशा झलकती है। इसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने इजराइल के खिलाफ गाजा में फिलीस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार करने के आरोपों पर आदेश जारी किया है। नीदरलैंड की राजधानी हेग में स्थित आईसीजे ने गाजा में तुरंत संघर्ष विराम का आदेश देने से तो इंकार कर दिया लेकिन इजराइल से जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए प्रयास करने को कहा है।
- इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की अध्यक्ष जोन ई. डोनॉग्यू ने कहा कि 'कोर्ट इस क्षेत्र में सामने आ रही मानवीय त्रासदी से भली-भांति अवगत है और लगातार हो रही जानमाल की हानि को लेकर चिंतित है। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह उस मामले को खारिज नहीं करेगी जिसमें इजराइल पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाया गया है। इजराइल के खिलाफ कोर्ट में यह मामला दाखिल करने वाले दक्षिण अफ्रीका ने अदालत से इजराइल को अपना सैन्य अभियान रोकने का आदेश देने का आग्रह किया था। अदालत से यह भी अनुरोध किया गया कि अदालत इजराइल को गाजा में अपने सैन्य अभियानों को तुरंत रोकने का आदेश दे। अदालत ने कहा कि इजराइल को गाजा में नरसंहार को बढ़ावा देने वालों को सजा देनी होगी। इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि गाजा में मानवीय सहायता पहुंच सके, इसके लिए इजराइल को अनुमति देनी चाहिए। आईसीजे ने अपने निर्णयों को लागू करने के लिए इजराइल को एक महीने का समय दिया है।

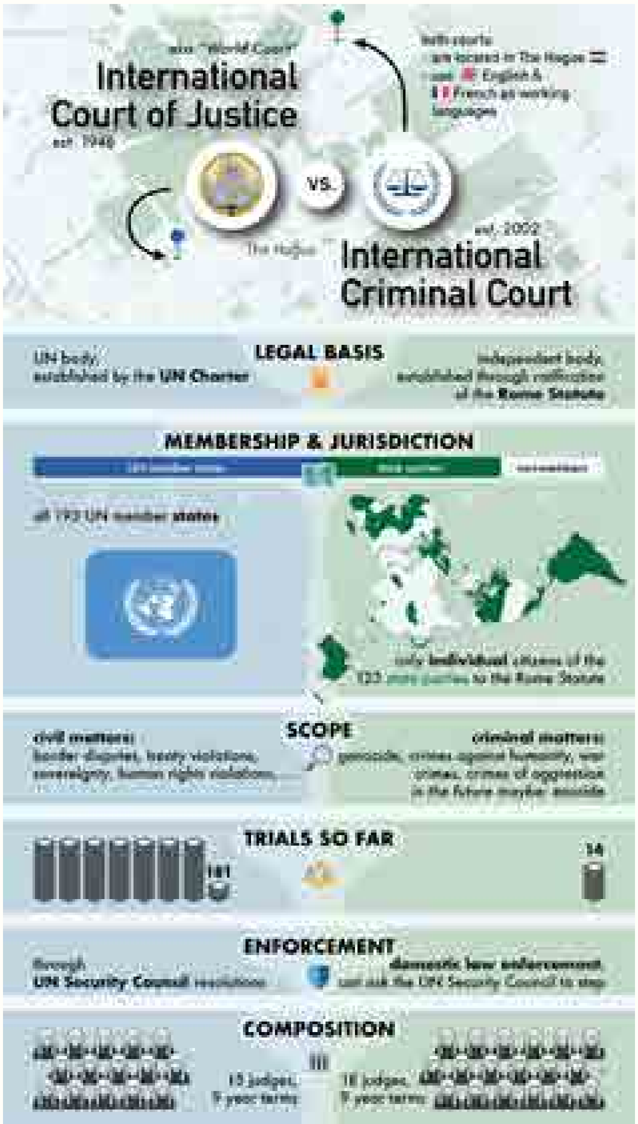

आईसीजे के निर्णय पर इजराइल का पक्षः

- इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के फैसले की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि इजराइल अपने बचाव के अधिकार से इंकार करने के 'घृणित' प्रयास को खारिज करता है और इजराइल हमास से लड़ना जारी रखेगा। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति अटूट प्रतिबद्धता

रखता है लेकिन अपने देश की और अपने लोगों की रक्षा करने के लिए उनकी पवित्र प्रतिबद्धता भी उतनी ही अटूट है। उन्होंने कहा कि इजराइल को इस मौलिक अधिकार से वंचित करने का घृणित प्रयास यहूदी राज्य के खिलाफ स्पष्ट भेदभाव है जिसे खारिज किया जाता है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल के खिलाफ लगाया गया नरसंहार का आरोप न केवल झूठा है, बल्कि यह अपमानजनक है और इसे सभ्य लोगों को अस्वीकार करना चाहिए। नेतन्याहू ने हमास को 'नरसंहारक' संगठन घोषित करते हुए कहा कि इजराइल का युद्ध फिलिस्तीनी नागरिकों के खिलाफ नहीं, बल्कि आतंकवादियों के खिलाफ बताया है।

- उल्लेखनीय है कि हमास के सशस्त्र आतंकियों ने पूरी योजना के साथ 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल के तटीय इलाकों पर हमला करके एक हजार से अधिक लोगों को मार दिया था, जबकि करीब ढाई सौ लोगों को बंधक बनाकर गाजा ले गए जिन्हें सुरंगों में रखा गया। इसके बाद से गाजा पर इजराइल का कहर टूट रहा है। इजराइल के हमलों में अब तक गाजा के 26 हजार लोग मारे जा चुके हैं। यह संख्या हमास के नेतृत्व वाले गाजा के स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया है।

चीन पर भी लग रहे नरसंहार के आरोप:

- चीन के खिलाफ भी नरसंहार के आरोप लगते रहे हैं। ये अलग बात है कि किसी बड़े देश ने आईसीजे में आधिकारिक तौर पर चीन के खिलाफ इस मामले पर याचिका दायर नहीं की है, लेकिन व्यक्तिगत और स्वतंत्र स्तर पर अमेरिका सहित उसके कई सहयोगियों ने उईगर मुस्लिमों के खिलाफ चीन द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के आधार पर चीन को नरसंहार का दोषी ठहराया जाता रहा है। अगस्त 2022 में मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त द्वारा कहा गया था कि चीन के जिनजियांग प्रांत में उईगर मुस्लिमों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन किया जा रहा है। चीन ने जिस प्रकार से तिब्बत के सांस्कृतिक अधिकारों को छीन कर उस पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश की है, उसे सांस्कृतिक नरसंहार कहा जा रहा है।

नरसंहार (Genocide) क्या है?

- जेनोसाइड शब्द को वर्ष 1943 में यहूदी पोलिश वकील राफेल लेमकिन ने इजाद किया था। उन्होंने ग्रीक शब्द जेनोस जिसका अर्थ नस्ल या कबीले से होता है, को लेटिन शब्द साइड (हत्या) से जोड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों के सामूहिक नरसंहार की बर्बरता देखकर डॉ. लेमकिन ने अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत जेनोसाइड को अपराध ठहराने के लिए अभियान चलाया था। उल्लेखनीय है कि होलोकॉस्ट में डॉ. लेमकिन के भाई को छोड़कर उनके परिवार के हर सदस्य की मौत हो गयी थी। डॉ. लेमकिन के प्रयासों के चलते साल 1948 के दिसंबर महीने में यूनाइटेड नेशंस जेनोसाइड कन्वेंशन को स्वीकार किया गया जो 1951 की जनवरी से अमल में आया।

जेनोसाइड की परिभाषा:

यूनाइटेड नेशंस जेनोसाइड कन्वेंशन के आर्टिकल 2 में राष्ट्रीय, नस्लीय, सांस्कृतिक या धार्मिक समूह को आंशिक या पूरी तरह नष्ट करने के इरादे से किए गए इन कार्यों को नरसंहार के रूप में परिभाषित किया गया है।

- एक समूह के सदस्यों को मारना या एक समूह के सदस्यों को गंभीर शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाना।
- किसी समूह को जानबूझकर ऐसी स्थितियों में जीने के लिए मजबूर किया जाना जिससे उनका आंशिक या समूल शारीरिक नुकसान हो।
- ऐसे कदम उठाना जिनका मकसद किसी समूह में बच्चों को जन्म लेने से रोकना हो।
- किसी एक समूह के बच्चों को दूसरे समूह में जबरन भेजा जाना।
- कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने वाले सभी सदस्य देशों की ये सामान्य जिम्मेदारी है कि वे नरसंहार होने से रोकें और ऐसा करने वालों को सजा दें।

अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संरचना:

- यह राष्ट्रों के बीच कानूनी विवादों को सुलझाता है और अधिकृत संयुक्त राष्ट्र के अंगों तथा विशेष एजेंसियों द्वारा उल्लिखित कानूनी प्रश्नों पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सलाह देता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of justice - ICJ) का गठन साल 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा हुआ था और अप्रैल 1946 में इसने काम करना शुरू किया था। यह संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग है जो हेग (नीदरलैंड्स) के पीस पैलेस में स्थित है। इसमें 193 देश शामिल हैं जिसके वर्तमान अध्यक्ष जोन ई. डोनोग्यू हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा नौ वर्ष के के लिये चुना जाता है।
- निर्वाचित होने के लिये किसी उम्मीदवार को दोनों निकायों में पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिये। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में निरंतरता सुनिश्चित करने के लिये न्यायालय की कुल संख्या के एक-तिहाई सदस्य हर तीन साल में चुने जाते हैं और ये न्यायाधीश पुनः चुनाव के पात्र होते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को एक रजिस्ट्री द्वारा सहायता दी जाती है। रजिस्ट्री आईसीजे का स्थायी प्रशासनिक सचिवालय है। अंग्रेजी और फ्रेंच इसकी आधिकारिक भाषाएँ हैं।
- आईसीजे संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत है जो सरकारों के बीच विवाद में फैसले देती है। संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य स्वतः आईसीजे के सदस्य हैं। कोई भी सरकार आईसीजे में मुकदमा दायर करती है। अदालत के अधिकार क्षेत्र में 1948 की नरसंहार संधि से जुड़े विवादों की सुनवाई करना शामिल है। द्वितीय विश्वयुद्ध में (1939 से 1945) यूरोप में नाजियों ने करीब 60 लाख यहूदियों की हत्या की थी। इसके बाद विश्व के नेताओं ने भविष्य में ऐसी किसी घटना को रोकने के लिए इस संधि को स्वीकार किया था। इजराइल, दक्षिण अफ्रीका, म्यांमार, रूस और अमेरिका समेत 152 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं।

सतत ऊर्जा समझौते को मजबूती देता भारत: नई प्रौद्योगिकी की संभावनाएं और चुनौतियां

ऊर्जा मानव की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है। विभिन्न प्रकार की ऊर्जा और ऊर्जा चक्रों विशेषकर जीवाश्म ईंधन के जरिए मानव सभ्यता की जरूरत पूरी होती आई है। समय के साथ नाभिकीय ऊर्जा की भी जरूरत बढ़ी लेकिन जब ऊर्जा के इस्तेमाल से पर्यावरण और जलवायु तंत्र प्रभावित होने लगा तब से हरित ऊर्जा व धारणीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया जाने लगा। आज सस्टेनेबल एनर्जी की दिशा में सामरिक गठजोड़ बढ़ रहे हैं और ऊर्जा उद्योगों को एक नए सिरे से पुनर्परिभाषित करने की कोशिश हो रही है ताकि अल्प कार्बन अथवा हरित अर्थव्यवस्था की दिशा में आवश्यक कार्य हो सके।

- इसी कड़ी में ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट, 2024 में डेनमार्क ने ग्रीन फ्यूल्स एलायंस इंडिया (GFAI) पहल को लॉन्च करने की घोषणा की है जिससे भारत और डेनमार्क के बीच सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस सेक्टर में गठजोड़ को मजबूती मिल सके तथा दोनों देश कार्बन न्यूट्रॉलिटी के वैश्विक लक्ष्य की दिशा में अग्रसर हो सकें। इस पहल का नेतृत्व डेनमार्क दूतावास और भारत में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ डेनमार्क द्वारा किया जा रहा है। ग्रीन फ्यूल्स सेक्टर के साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में इसके तहत सामरिक साझेदारी करते हुए नवाचार को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों के ऊर्जा उद्योगों में एक बेहतर समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रीन फ्यूल्स एलायंस इंडिया का प्राथमिक उद्देश्य धारणीय ऊर्जा के विकास के लिए देश में एक ऐसे इकोसिस्टम को बढ़ावा देना है जिसमें सस्टेनेबल एनर्जी ग्रोथ के लिए बिजनेसेज, सरकारी इकाइयों, अनुसंधान संस्थाओं और वित्तीय साझेदारों के गठजोड़ को मजबूती मिले। इस दिशा में 9 प्रमुख डैनिश संगठन विशेषकर मर्स्क, टोपसो, अमवेल्ट एनर्जी, मैश मेक्स, यूरोपियन सस्टेनेबल सॉल्यूशंस और हाइड्रोजन डेनमार्क शामिल हैं। ये सभी जीएफएआई पहल के संस्थापक सदस्य होंगे। इसके एडवाइजरी बोर्ड में इंडिया हाइड्रोजन एलाइंस और आईआईटी मद्रास भी शामिल है।
- ग्रीन फ्यूल्स एलायंस इंडिया (GFAI) पहल को लॉन्च करने की घोषणा एक ऐसे समय पर की गई है जब भारत 2070 तक नेट जीरो एमिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। उल्लेखनीय है कि भारत और डेनमार्क 2020 में ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर कर चुके हैं तथा इसी साझेदारी के विजन के फलस्वरूप इस नई पहल ने मूर्त रूप लिया है। इससे द्विपक्षीय के साथ-साथ ग्लोबल ग्रीन ट्रांजिशन की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण संदेश प्रेषित किया जा सकेगा। भारत-डेनिश ग्रीन स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप न केवल डेनमार्क और भारत में बल्कि यूरोप सहित पूरे विश्व के लिए एलआईएफई सहित सतत जीवन शैली को प्रोत्साहित करने हेतु विचारों, श्रेष्ठ व्यवहारों, नॉलेज, टेक्नोलॉजी, क्षमता निर्माण के आदान-प्रदान का उपयुक्त मंच है। भारत और डेनमार्क ने जलवायु तथा ऊर्जा पर अत्यंत महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। ये लक्ष्य पेरिस समझौते के महत्त्वाकांक्षी क्रियान्वयन में योगदान देंगे, साथ में दोनों देश विश्व को दिखा सकते हैं कि जलवायु और टिकाऊ ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करना संभव है।
- मई 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डेनमार्क यात्रा के दौरान भारत और डेनमार्क ग्रीन हाइड्रोजन, नवीकरणीय ऊर्जा तथा अपशिष्ट जल प्रबंधन पर ध्यान देने के साथ-साथ ग्रीन स्ट्रैटजिक पार्टनरशिप को सुदृढ़ करने पर सहमत हुए थे।

सतत ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की वर्तमान स्थिति:

- यूएनएफसीसीसी के कोप 26 में प्रधानमंत्री की घोषणा के अनुरूप नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 2030 तक गैर-जीवाश्म स्रोतों से 500 गीगावाट बिजली क्षमता हासिल करने की दिशा में काम कर रहा है। देश में 31 अक्टूबर 2022 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से कुल 172.72 गीगावाट बिजली की क्षमता प्राप्त की जा चुकी है। इसमें 119.09 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा, 46.85 गीगावाट बड़े हाइड्रोपावर और 6.78 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा क्षमता शामिल है।
- इसकी हिस्सेदारी देश में कुल स्थापित उत्पादन क्षमता में 42.26 प्रतिशत हिस्सा है, यानी 31 अक्टूबर 2022 तक 408.71 गीगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता हासिल की जा चुकी है, वहीं आरईएन अक्षय 2022 वैश्विक स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत अक्षय ऊर्जा की स्थापित क्षमता (बड़े हाइड्रो सहित), पवन ऊर्जा क्षमता व सौर ऊर्जा क्षमता तीनों में विश्व स्तर पर चौथे स्थान पर है।
- जनवरी से अक्टूबर 2022 की अवधि के दौरान कुल 14.21

गीगावाट अक्षय ऊर्जा (आरई) क्षमता में बढ़ोतरी हुई, जबकि जनवरी से अक्टूबर 2021 की इसी अवधि में 11.9 गीगावाट की क्षमता की वृद्धि हुई थी। जनवरी से सितंबर 2022 की अवधि में नवीकरणीय ऊर्जा से कुल 151.94 बीयू की बिजली उत्पन्न हुई है, जबकि जनवरी से सितंबर 2021 की अवधि में 128.95 बीयू की बिजली उत्पन्न हुई थी। भारत की प्रमुख हरित ऊर्जा भागीदारी निम्नलिखित है:

- ग्रीन फ्यूल्स एलायंस इंडिया (जीएफएआई) पहल
- भारत-अमेरिका रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी
- हरित/स्वच्छ हाइड्रोजन भारत और सऊदी अरब पहल
- भारत-ऑस्ट्रेलिया ग्रीन हाइड्रोजन टास्कफोर्स
- ब्राजील, भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा गठित वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन
- स्वच्छ ऊर्जा के लिए क्वाड क्लाइमेट वर्किंग ग्रुप
- यूरोपीय संघ-भारत स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु साझेदारी

भारत में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर:

- अक्षय ऊर्जा निकासी की सुविधा और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए ग्रिड को फिर से आकार देने हेतु ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर (जीईसी) परियोजनाएं शुरू की गई हैं। योजना का पहला घटक 3200 सर्किट किलोमीटर (सीकेएम) ट्रांसमिशन लाइनों और 17,000 एमवीए क्षमता उप-स्टेशनों की लक्ष्य क्षमता के साथ अंतर-राज्यीय जीईसी मार्च 2020 में पूरा किया गया था। दूसरा घटक इंट्रा-स्टेट जीईसी की लक्ष्य क्षमता के साथ मार्च 2023 तक 9700 सीकेएम ट्रांसमिशन लाइनें और 22,600 एमवीए क्षमता वाले सब-स्टेशनों के पूरा करने की बात की गई थी। इस दिशा में 2022 तक 8651 सीकेएम इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण करके 19558 एमवीए इंट्रा-स्टेट सबस्टेशनों को स्थापित किया गया है।
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने लद्दाख में 12000 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बीईएसएस) के साथ 13,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित करने की योजना बनाई है। 18 अक्टूबर, 2023 को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने लद्दाख में 13 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की बिजली निकासी, ग्रिड एकीकरण और लद्दाख से देश के अन्य हिस्सों में बिजली भेजने के लिए एक अंतर-राज्य ट्रांसमिशन सिस्टम के निर्माण को मंजूरी दी है।

सतत ऊर्जा के क्षेत्र में चुनौतियां:

- सस्टेनेबल एनर्जी के महत्त्व से तो सभी देश परिचित हैं लेकिन इस ऊर्जा सुरक्षा का मेनस्ट्रीम मॉडल कैसे बनाया जाये? इस संदर्भ में भारत सहित कई देशों के समक्ष कुछ सवाल हैं जिनका उत्तर मिलना आवश्यक है। सतत ऊर्जा के क्षेत्र में आवश्यक अनुसंधान और विकास के लिए जरूरी बजट के आवंटन से पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके अलावा ऐसी स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास भी जरूरी है जो सस्टेनेबल एनर्जी को मूर्तमान बना सके। इस मामले में प्रौद्योगिकी साझेदारी पर भी ध्यान देना आवश्यक है। ऊर्जा उपभोग के क्षेत्र में लोगों में जागरूकता की कमी भी एक चुनौती है जिसे दूर करने के लिए धारणीय ऊर्जा साक्षरता को बढ़ावा देने के उपाय किए जाने अपेक्षित हैं। सतत विकास लक्ष्य संख्या 7 स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा तक पहुंच सुनिश्चित करने की बात करता है जो कृषि, व्यापार, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल तथा परिवहन के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण है।

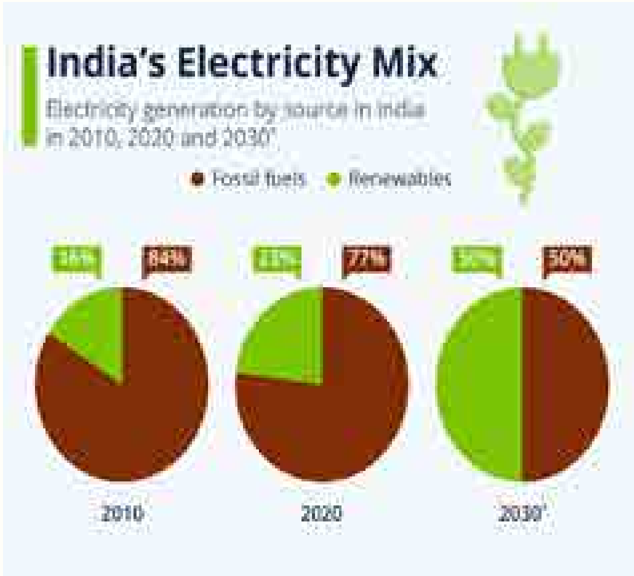

- दुनिया सतत ऊर्जा लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ रही है, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी तेजी से बढ़नी चाहिए। वर्तमान गति से लगभग 660 मिलियन लोगों के पास अभी भी बिजली की पहुंच नहीं होगी, वहीं 2030 तक लगभग 2 बिलियन लोग अभी भी खाना पकाने के लिए प्रदूषणकारी ईंधन और प्रौद्योगिकियों पर निर्भर रहेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि सस्टेनेबल एनर्जी पार्टनरशिप को बढ़ावा दिया जाये।
- 2030 तक सस्ती बिजली तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने का मतलब सौर, पवन और थर्मल जैसे स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों में निवेश करना है। सभी विकासशील देशों में स्वच्छ ऊर्जा प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार और प्रौद्योगिकी का उन्नयन एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य है जो विकास को प्रोत्साहित करके पर्यावरण की सुरक्षा को बढ़ा सकता है।
- ऊर्जा की खपत जलवायु परिवर्तन में प्रमुख योगदानकर्ता है जो कुल वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का लगभग 60 प्रतिशत है। इसको ध्यान में रखते हुए देश नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में निवेश करके ऊर्जा कुशल प्रथाओं को प्राथमिकता देकर स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और बुनियादी ढांचे को अपनाकर एक किफायती, विश्वसनीय तथा टिकाऊ ऊर्जा प्रणाली में परिवर्तन को तेज कर सकते हैं।

रोजगार के अवसरों को प्रभावित कर रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस: संतुलन बनाने की आवश्यकता

स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में शामिल होने से पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के चीफ जॉर्जीवा ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से विकसित देशों की 60 प्रतिशत नौकरियां खतरे में आ जाएगी जो जॉब सिक्योरिटी के लिहाज से भी खतरनाक साबित होगा। हालांकि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए अवसर भी सृजित करेगा।

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई रिपोर्ट का हवाला देते हुए आईएमएफ चीफ का कहना है कि विकासशील देशों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव कम हो सकता है, लेकिन वैश्विक स्तर पर करीब 40 प्रतिशत नौकरियों पर एआई का असर पड़ सकता है। आईएमएफ की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 दुनियाभर की अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतीपूर्ण वर्ष हो सकता है। दुनिया कोरोना के वक्त लिए गए कर्ज के जाल से अभी तक नहीं निकल पाई है, जबकि इस साल दुनिया में 60 से ज्यादा देशों में चुनाव हैं, ऐसे में सरकारें लोगों को लुभाने के लिए पैसे खर्च करेंगी जिससे देशों पर कर्ज और बढ़ेगा। आईएमएफ चीफ ने कहा है कि हमें विशेष रूप से कम आय वाले देशों को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से बनने वाले अवसरों का लाभ उठा सकें।
- आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तकनीक के चलते रोजगार के क्षेत्र में आय से जुड़ी असमानता बढ़ेगी लेकिन यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यह टेक्नोलॉजी ज्यादा तनख्वाह पाने वाले कितने लोगों का विकल्प बनती है? जॉर्जीवा ने कहा कि उच्च आय वाले श्रमिकों और कंपनियों की अधिक उत्पादकता से पूंजीगत रिटर्न को बढ़ावा मिलेगा जिससे धन का अंतर बढ़ेगा। आईएमएफ चीफ का कहना है कि देशों को कमजोर श्रमिकों के लिए 'व्यापक सामाजिक सुरक्षा तंत्र' और 'पुनः प्रशिक्षण कार्यक्रम' शुरू करना चाहिए।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है?

- व्यापक अर्थ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्मार्ट मशीनें इस तरह से बनाई जाती हैं कि वे इंसानों की तरह प्रतिक्रिया दें और व्यवहार करें। किसी इंटेलिजेंट सिस्टम, मशीन या रोबोट के निर्माण का उद्देश्य निर्णय करने की प्रक्रिया में सहायता पहुंचाना है जिसका संगठन के पास उपलब्ध डेटा के आधार पर पूरी तरह से विश्लेषण किया जाता है। किसी इंटेलिजेंट सिस्टम के निर्माण की पूरी प्रक्रिया उसी तरह है जैसे मनुष्य सूचनाओं को मिलाकर उपयुक्त निर्णय प्रदान करते हैं। अंतर केवल इतना है कि एआई के मामले में भारी मात्रा में उत्पन्न और एकत्रित डेटा का विश्लेषण करके निर्णय लिया जाता है। टेक्नोक्रेट्स ने एआई को दो भागों में 'नैरो एआई और जनरल एआई' बांटा है। नैरो एआई को बुनियादी कार्य पूरा करने यानी चेहरे की पहचान, शतरंज खेलना, समीकरणों को हल करना, इंटरनेट खोज या कार चलाने के लिए डिजाइन किया जाता है, जबकि जनरल एआई एक संज्ञानात्मक, बौद्धिक, बोधगम्य और तर्कसंगत कार्य को डिजाइन करने के लिए है।
- कई व्यवसायों में पुनरावृत्ति कार्य जैसे धन्यवाद ईमेल भेजना, त्रुटियों के लिए कुछ दस्तावेजों का सत्यापन करना आदि शामिल होते हैं। एआई संज्ञानात्मक स्वचालन की सुविधा दस्तावेज सत्यापित करने की प्रक्रिया को तेज करने में मदद करती है। कुछ अत्यधिक उन्नत संगठन ग्राहकों के साथ बातचीत करने के लिए डिजिटल सहायकों का उपयोग करते हैं जो मानव संसाधनों की आवश्यकता को बचाते हैं। कई वेबसाइटों और मोबाइल एप्लिकेशन में डिजिटल सहायकों का उपयोग ग्राहकों के प्रश्नों को हल करने के लिए भी किया जाता है। हम जो खोज रहे हैं उसके बारे में हम उनसे चैट कर सकते हैं। कुछ चैट बोट्स इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि हम चैट बोट्स से बात कर रहे हैं या इंसान के साथ। एआई के बारे में कई अनुमान लगाए गए हैं, लेकिन यह उस विशिष्ट उद्योग पर निर्भर करता है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय की एआई पर रिपोर्ट:

- इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय की तरफ से एआई को लेकर बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 38 प्रतिशत कर्मचारी इस बात को लेकर आशंकित है कि एआई से उनकी नौकरी प्रभावित हो सकती है, वहीं 13 प्रतिशत तो यह मान बैठे हैं कि एआई उनकी नौकरी खत्म कर देगा। रिपोर्ट के मुताबिक मुख्य रूप से जिन क्षेत्रों में कम कुशल लोगों की जरूरत है, वहां एआई के इस्तेमाल से सबसे अधिक नौकरियां जा सकती हैं। आने वाले समय में एआई से बैंकिंग, रिटेल, हेल्थकेयर, मैन्यूफैक्चरिंग तथा विभिन्न प्रकार के उपभोग वाले क्षेत्र प्रभावित होने जा रहे हैं। यहीं वजह है कि भारत ने एआई को ध्यान में

रखते हुए भविष्य में जरूरत पड़ने वाली कुशलता को अपनाने की तैयारी शुरू कर दी है।

- स्टेटिस्टा डॉट कॉम नामक वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में वैश्विक स्तर पर एआई का बाजार लगभग 210 बिलियन डॉलर का है और वर्ष 2030 तक एआई के कुल वैश्विक बाजार की कीमत 750 बिलियन डॉलर पहुंचने की संभावना है। दुनिया भर में एआई को लेकर जो कवायद चल रही है, उससे साफ जाहिर है कि एआई किसी भी देश की उत्पादकता को बढ़ाने से लेकर नई नौकरियों के सृजन में बड़ा मददगार साबित होने जा रहा है। वर्ष 2025 तक एआई के इस्तेमाल से दुनिया भर में 8.5 करोड़ लोगों की नौकरियां खत्म हो सकती है, जिससे 9.7 करोड़ लोगों के लिए नौकरियां का सृजन भी होगा अर्थात 1.2 करोड़ अधिक नौकरियों के अवसर निकलेंगे।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नुकसान:

- हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हमें मनुष्य के रूप में एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए किसी भी तकनीक के सकारात्मक पक्ष का उपयोग करने हेतु अपनी बुद्धि का उपयोग करने की आवश्यकता है। ऐसे कई मिथक और सिद्धांत हैं जो रोबोट के उदय के डर को बढ़ावा देते हैं। आज के समय में एआई का एक भी अनुप्रयोग ऐसा नहीं है जो मानवता को नष्ट या निष्प्रभावी कर सकता है। अंततः यह मानव संचालित संसाधन है जो मानव जाति के लाभ के लिए बनाया गया है फिर भी यह चिंता बनी रहती है कि क्या होगा यदि एआई के लिए मानव खोज किसी एआई प्रणाली को इतना मजबूत बना दे कि वह समस्त तर्कबुद्धि, बौद्धिक और बोधगम्य कार्यों में मानव मस्तिष्क को समाहित कर ले?
- 1965 में ब्रिटिश गणितज्ञ और क्रिप्टोलॉजिस्ट आई. जे. गुड ने ठीक ही कहा था कि स्मार्ट एआई सिस्टम को डिजाइन करना अपने आप में एक तर्कसंगत तथा विचारशील कार्य है। सुपर-इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों की खोज और क्रांति से समाज को युद्ध, बीमारी, गरीबी को खत्म करने में मदद मिलती है, यही कारण है कि एआई इंसान द्वारा सबसे बड़ा महत्त्वपूर्ण नवाचार बन गया है।
- एआई क्षेत्र में काम करने वाले अधिकांश शोधकर्ता सोचते हैं कि किसी भी एआई द्वारा प्यार या नफरत जैसी जटिल मानवीय भावनाओं की नकल करने की संभावना नहीं है, इसलिए एआई सिस्टम के जानबूझकर अनुकंपा या दुर्भावनापूर्ण बनने की संभावना बहुत कम है। यदि एआई सिस्टम का ठीक से उपयोग नहीं किया जाता है, तो वैज्ञानिक नकारात्मक परिदृश्यों की परिकल्पना करते हैं जिनके होने की सबसे अधिक आशंका है।

सामूहिक विनाश का उपकरण:

- स्वायत्त हथियार (ऑटोमेटेड वेपन) कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली है जिसका उद्देश्य उन वस्तुओं को समाप्त करना है जिन्हें मारने के लिए उन्हें प्रोग्राम किया जाता है। यदि यह गलत व्यक्ति के हाथ में दे दिया जाता है, तो ये हथियार आसानी से सामूहिक विनाश का कारण बन सकते हैं। अधिक प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे हथियारों को मानव हस्तक्षेप से मुक्त रखने हेतु बेहद कठिन बनाया जा सकता है। यह जोखिम नैरो एआई में भी मौजूद है, लेकिन जैसे-जैसे एआई का स्तर बढ़ता है, इसके जोखिम को कम करने की आवश्यकता है।

उच्च अपेक्षा, कम परिणाम:

- एआई को आम तौर पर लाभकारी कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इस बात की पूरी गारंटी नहीं हो सकती है कि सिस्टम पूरी तरह से अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पायेगा या यहां तक कि अपने मूल उद्देश्य के विपरीत काम कर सकता है। यह तब हो सकता है जब हम एआई के लक्ष्यों को पूरी तरह से अपने साथ लाने में विफल रहें। उदाहरण के लिए, यदि आप एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त कार से रेलवे स्टेशन तक जल्द से जल्द ले जाने के लिए कहते हैं, तो यह आपको कुछ ही समय में वहां पहुंचा सकती है, लेकिन रास्ते में विनाश का कारण भी बन सकती है, इसीलिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग सोच समझकर मानवीय सहायता हेतु प्रयोग करने की जरूरत है ताकि मनुष्य और मशीन में संतुलन बना रह सके।

संगठित अपराध भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर चुनौती

नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक सबस्टेनसेज, अवैध हथियारों तथा विस्फोटकों, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वन्य जीवों की तस्करी जैसे संगठित अपराध हाल के समय में भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष गंभीर चुनौती के रूप में उभरे हैं। संगठित अपराध नेटवर्क भारत में एक गंभीर आपराधिक संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं जिसके चलते इन गिरोहों को नष्ट करना कानून व्यवस्था की सबसे बड़ी प्राथमिकता हो जाती है।

- भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अनुसार 'संगठित अपराध में कोई भी निरन्तर रूप से चलने वाली अवैधानिक गतिविधि शामिल होती है जो किसी एक व्यक्ति द्वारा अकेले अथवा संयुक्त रूप से या किसी संगठित सिंडिकेट अथवा गिरोह के सदस्य के रूप में की जाती है।' इस कृत्य में हिंसा के प्रयोग, हिंसा के प्रयोग की चेतावनी, भयादोलन और बाध्यतामूलक तत्वों का इस्तेमाल अवैधानिक तरीके से मौद्रिक लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है अथवा इससे अनुचित आर्थिक लाभ प्राप्त करने अथवा प्राप्त कराने की कोशिश तथा विप्लवकारी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है।
- संगठित अपराधों से निपटने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून मकोका में संगठित अपराध को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि संगठित अपराध किसी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप में निरंतर की जाने वाली एक अवैधानिक गतिविधि है। इस गतिविधि को संगठित अपराध के सिंडिकेट के सदस्य के रूप में हिंसा के प्रयोग, हिंसा करने की चेतावनी, भयादोलन अथवा बल का प्रयोग करके संपन्न किया जाता है। संगठित अपराध मुख्यतः आर्थिक अथवा मौद्रिक लाभ या अनुचित लाभ लेने की मंशा से किया जाता है।
- पारराष्ट्रीय संगठित अपराध पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय, 2000 के अनुसार, जब प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक या अन्य लाभों के लिए तीन या इससे अधिक व्यक्तियों का संगठित दल गंभीर अपराध करने के लिए सामूहिक स्तर पर कार्य करता है तो ऐसा अपराध संगठित अपराध की श्रेणी में आता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ऐसे अपराधों को ही संगठित अपराधों में शामिल किया जाता है जिसमें सजा कम से कम 4 वर्ष की दी गई हो।

संगठित अपराधों की विशेषता:

- इसका सर्वाधिक प्रमुख उद्देश्य अनुचित आर्थिक अथवा मौद्रिक लाभ प्राप्त करना होता है जिसके तहत कानून और व्यवस्था को चुनौती देते हुए अवैधानिक कृत्य किया जाता है।
- संगठित अपराध एक निरंतर चलने वाला आपराधिक और षड्यंत्रकारी कृत्य है। संगठित अपराध करने के लिए संगठित अपराधियों की एक पदसोपानीय संरचना होती है जिसमें आदेश और निर्देश का क्रम बना रहता है।
- संगठित अपराध से हिंसा और सामाजिक अस्थिरता को बल मिलता है। संगठित अपराध का आतंकवादियों से गठजोड़ होने से यह राष्ट्रीय सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा और देश की प्रादेशिक अखंडता के लिए एक चुनौती के रूप में उभरा है।

संगठित अपराध

संगठित अपराधों का वर्गीकरण:

- संगठित अपराधों को पारंपरिक और आधुनिक संगठित अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। पारंपरिक संगठित अपराधों में डकैती, लूट, माफिया गिरोह अथवा गैंगस्टर, गैंबलिंग, अनैतिक देह व्यापार, आपराधिक षड्यंत्र आदि शामिल होता है।
- आपराधिक षड्यंत्र को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी में परिभाषित किया गया है। इसमें कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक अवैधानिक कृत्य करने के लिए सहमत होते हैं या करते हैं या योजना बनाते हैं तो इसे संगठित अपराध के रूप में आपराधिक षड्यंत्र करना माना जाता है।
- डकैती भारत में संगठित अपराध का सबसे पुराना रूप रहा है जो लूट और फिरौती के उद्देश्य से किया जाता था जिसे भारतीय दंड संहिता में परिभाषित भी किया गया है। भारतीय दंड संहिता की धारा 391 में कहा गया है कि जब पांच या अधिक व्यक्ति मिलकर लूट या रॉबरी की घटना को अंजाम देते हैं या इसका प्रयास करते हैं तो इसे डकैती कहते हैं।
- गिरोह या गैंग का आशय व्यक्तियों के ऐसे समूह से होता है जो स्वयं अपने लिए अथवा किसी अन्य के लिए अनुचित आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ को प्राप्त करने के उद्देश्य से सार्वजनिक व्यवस्था में असंतुलन पैदा करते हैं। इस क्रम में अपने मौद्रिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए गिरोह अथवा गैंगस्टर द्वारा हिंसा का

प्रयोग या हिंसा का प्रयोग करने की चेतावनी और धमकी का इस्तेमाल व्यक्तिगत अथवा सामूहिक स्तर पर किया जाता है। गैंग और गैंगस्टर की आपराधिक गतिविधियों से निपटने के लिए कोई सुस्पष्ट कानून नहीं है।

- उत्तर प्रदेश में इससे निपटने के लिए उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटी प्रीवेंशन एक्ट, 1986 बनाया गया था जिसके तहत गैंग को व्यक्तियों के उस समूह के रूप में परिभाषित किया गया जो अकेले या सामूहिक रूप से अवांछित राजनीतिक, भौतिक और आर्थिक लाभ लेने के लिए हिंसा तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में भी संलग्न रहता है। इसके तहत फिरौती के लिए अपहरण, किसी एयरक्राफ्ट को निशाना बनाना, सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा देना आदि कार्य किया जाता है। भारत में कुछ प्रमुख क्रिमिनल गैंग्स में दाऊद गैंग, छोटा राजन गैंग, अमर नायक, वीरप्पन गैंग, लतीफ गैंग और राशिद गैंग इत्यादि शामिल हैं।
- नशीले पदार्थों अथवा मादक पदार्थों की तस्करी समाज और कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले सबसे गंभीर संगठित अपराधों में से एक के रूप में उभरा है जो वस्तुतः पारराष्ट्रीय प्रकृति का है। भारत भौगोलिक रूप से स्वर्णिम चंद्र (पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान) और स्वर्णिम त्रिभुज (थाईलैंड, म्यांमार और लाओस) के मध्य अवस्थित है जिससे भारत इन क्षेत्रों में नार्कोटिक ड्रग्स के लिए एक पारगमन मार्ग (ट्रांजिट रूट) के रूप में देखा जाता है। भारत में नशीले पदार्थों का अवैध तरीके से उत्पादन और उसका क्रय विक्रय होता रहा है जिनमें हेरोइन, हशीश, अफीम, कैनाबीस, ब्राउन शुगर, स्मैक, कोकीन, एंफेटामाइन, गांजा, चरस, मार्फीन, मेथाडोन आदि शामिल हैं।

नशीले पदार्थों की तस्करी आंतरिक सुरक्षा हेतु चुनौती:

- कानून और व्यवस्था को नुकसान पहुँचाने हेतु आतंक तथा विप्लवकारी गतिविधियों का वित्तपोषण होना। उत्तर पूर्वी भारत में उग्रपंथी विप्लवकारी समूहों को फंडिंग करने से पृथकतावादी आंदोलन को बढ़ावा मिलता है।
- भारतीय अर्थव्यवस्था के समानांतर काम करने से युवाओं में ड्रग एडिक्शन को बढ़ावा मिलता है जिससे दो प्रकार की समस्या (पहला ड्रग यूज और ड्रग एब्यूज, जबकि दूसरा ड्रग डिपेंडेंसी तथा ड्रग एडिक्शन) उत्पन्न हो जाती है।

संगठित अपराध से वन्य जीव अपराध बढ़ना:

- संकटापन्न जीव जंतुओं अथवा वन्यजीवों का अवैध व्यापार और आर्थिक लाभ के लिए उनकी तस्करी संगठित अपराध के रूप में उभर रहा है। आंतरिक सुरक्षा के लिए यह चुनौती इस रूप में है कि वन्यजीवों की तस्करी से प्राप्त अवैध धन का आतंक के वित्तपोषण में इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके कई प्रमाण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिले हैं। वन्यजीवों के आर्थिक रूप से लाभप्रद अंगों को बेचकर लाभ प्राप्त करने का प्रयास इसे एक संगठित अपराध बना देता है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों और पूर्वी एशियाई देशों में विशेषकर चीन, मलेशिया, सिंगापुर तथा थाईलैंड आदि में विभिन्न भारतीय वन्यजीवों की अन्तर्राष्ट्रीय मांग उच्च स्तर पर है। इसका उपयोग पारंपरिक औषधियां बनाने में होता है जिससे कई लाइलाज बीमारियों का समाधान हो सके। इस संगठित अपराध से निपटने के लिए आसूचना तंत्र को मजबूत बनाना, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो जैसे संगठनों की भूमिका को गतिशील बनाना, सुरक्षाबलों और अर्धसैनिक बलों विशेषकर जिनकी एयरपोर्ट तथा बंदरगाहों पर तैनाती है, उन्हें विशेष जिम्मेदार बनाना जाना चाहिए।

मनी लॉन्ड्रिंग संगठित अपराध के रूप में आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती:

- मनी लॉन्ड्रिंग संगठित अपराध के रूप में देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था, औपचारिक वित्तीय प्रणाली, बैंकिंग नियमों तथा प्रतिमान को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करता है। यह देश में समानांतर अर्थव्यवस्था तथा ब्लैक मनी सहित हवाला कारोबार को बढ़ावा देता है। मनी लॉन्ड्रिंग से अवैधानिक क्रियाकलापों और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, साथ ही यह आतंकवादी तथा पृथकतावादी गतिविधियों के वित्त पोषण के एक उपकरण के रूप में भी कार्य करता है। भारत के विधि प्रवर्तनकारी निकायों एवं आर्थिक खुफिया एजेंसियों के समक्ष यह एक चुनौती प्रस्तुत करता है। इस तरह यह अवैधानिक क्रियाकलापों जैसे-तस्करी, अपहरण, फिरौती, अवैध खनन आदि के जरिए अर्जित धन को छुपाने का एक तरीका बन जाता है। उदाहरण के लिए ऐसे धन को रीयल एस्टेट सेक्टर यानि बड़े पैमाने पर भूमि की खरीद बिक्री, चुनावों की फंडिंग, बेनामी परिसंपत्ति, आबकारी क्षेत्र में निवेश, शेयर बाजार में पार्टिसिपेटरी नोट्स के जरिए पहचान को बताए बिना निवेश, आतंक और विप्लव का वित्त पोषण आदि।
- मनी लांड्रिंग के लिए ब्लैक मनी बड़े पैमाने पर जिम्मेदार है, इसीलिए मनी लांड्रिंग से निपटने के लिए ब्लैक मनी से निपटना जरूरी है। भारत में काले धन से निपटने के प्रमुख संस्थाओं में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, केंद्रीय उत्पाद सीमा शुल्क बोर्ड, प्रवर्तन निदेशालय, वित्तीय खुफिया इकाई, राज्य पुलिस के आर्थिक अपराध शाखाएं, केंद्रीय जांच ब्यूरो, गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो, राष्ट्रीय जांच एजेंसी आदि शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय को प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग एक्ट, 2002 के तहत धन शोधन अपराधों के अभियोजन और जांच तथा काले धन के काम में लगी संस्थाओं के अपराध में शामिल सामानों की जब्ती और कुर्की का काम सौंपा गया है। प्रवर्तन निदेशालय अखिल भारतीय स्तर पर विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय कार्यालयों के रूप में फैला हुआ है। इसी प्रकार वित्तीय खुफिया इकाई का गठन भारत सरकार द्वारा 18 नवंबर 2004 को किया गया था जो धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने में जांच तथा प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के प्रयासों को समन्वित करने मजबूती प्रदान करने हेतु बनाया गया था। यह संदिग्ध वित्तीय लेनदेन से संबंधित जानकारी प्राप्त करने उसके विश्लेषण और उसके प्रसार के लिए जिम्मेदार है।

अल नीनो का भारतीय जलवायु पर प्रभाव और इससे संबंधित पहलू

हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने एक अपडेट जारी किया है। इस अपडेट के अनुसार, भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में चल रही अल नीनो घटना अप्रैल 2024 तक जारी रह सकती है तथा नवंबर और जनवरी के बीच चरम पर हो सकती है। यूएस नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन (एनओएए) ने अनुमान लगाया है कि 2024, वर्ष 2023 से अधिक गर्म होगा।

अल-नीनो साउदर्न ऑसिलेशन (ईएनएसओ) के मौसम, जंगल की आग, पारिस्थितिकी तंत्र और बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करती है। ईएनएसओ में दो विपरीत जलवायु पैटर्न शामिल हैं जो औसतन हर दो से सात साल में होने वाली सामान्य परिस्थितियों का संकेत देते हैं। ये पैटर्न आमतौर पर 9 से 12 महीनों तक चलते हैं, हालांकि कभी-कभी ये वर्षों तक भी रह सकते हैं।

अल नीनो दक्षिणी दोलन (ENSO) क्या है?

- अल नीनो दक्षिणी दोलन या ईएनएसओ एक प्राकृतिक रूप से होने वाली बड़े पैमाने की जलवायु घटना है जो मध्य और पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में मौसम को संचालित करती है। यह दो शब्दों 'अल नीनो और दक्षिण दोलन' से बना है जो दो अलग-अलग प्रक्रियाओं को परिभाषित करते हैं। इस घटना को चलाने वाली मूल प्रक्रिया पदार्थ की प्रवृत्ति है जो गर्म होने पर फैलती है, जबकि ठंडा होने पर कम होती है। हवाओं और समुद्र की सतह के तापमान में उतार-चढ़ाव होते रहने से यह अल नीनो तथा ला नीना का रूप लेता है।

दुनिया भर में प्रभाव:

- लंबे समय तक चलने वाला अल नीनो पूरे लैटिन अमेरिका में वर्षा के पैटर्न को बाधित करने में योगदान देता है जिससे कृषि क्षेत्र के लिए आशंका पैदा होती है। संयुक्त राष्ट्र का खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) हाल के महीनों में प्रशांत महासागर की सतह के तापमान, विशेषकर दक्षिण अमेरिकी तट पर चिंताजनक वृद्धि को रेखांकित करता है।
- एफएओ की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि 2024 की पहली तिमाही में पेरू और इक्वाडोर जैसे दक्षिणी शंकु देशों के साथ-साथ मैक्सिको में भी औसत से अधिक वर्षा होगी। इसके विपरीत ब्राजील, गुयाना और सूरीनाम में जारी शुष्क परिस्थितियों के बने रहने की आशंका है। कृषि क्षेत्र (जिसमें फसलें, पशुधन, जंगल और मछली पकड़ना शामिल है) को इन अनियमित मौसम पैटर्न के प्रति अत्यधिक संवेदनशील माना जाता है।
- रिपोर्ट इस क्षेत्र के लचीलेपन पर जोर देती है जो चरम मौसम की स्थिति के दौरान 26% तक आर्थिक नुकसान और सूखे के दौरान 82% तक की क्षति को कम करने में सक्षम है। हालाँकि, पेरू तथा दक्षिणी इक्वाडोर के उत्तरी तट पर एंकोवी और ट्यूना सहित महत्त्वपूर्ण मछली प्रजातियों को मौसम के बदलते पैटर्न के कारण बढ़ते जोखिम का सामना करना पड़ रहा है। इक्वाडोर के मछुआरों ने पहले ही फरवरी के बाद से ट्यूना पकड़ने में 30% की महत्त्वपूर्ण कमी दर्ज की है जो समुद्री संसाधनों पर बढ़ते वास्तविक प्रभाव का संकेत देता है।

भारत पर प्रभाव:

- भारत में अल नीनो आम तौर पर कमजोर मानसूनी हवाओं और शुष्क मौसम से जुड़ा है जिससे मानसून के मौसम के दौरान वर्षा कम हो सकती है। इनमें कुछ क्षेत्रों में भारी वर्षा, बाढ़ और अन्य में लंबे समय तक सूखा रहना शामिल हो सकता है। अल नीनो में आधा डिग्री या उससे अधिक तापमान वृद्धि भारत में कम वर्षा से संबंधित है, जबकि ला नीना बढ़ी हुई वर्षा से जुड़ा है। हाल के दशकों में जलवायु परिवर्तन ने हिंद महासागर के तापमान में काफी वृद्धि की है जिससे भारतीय मौसम के साथ समग्र ईएनएसओ लिंक प्रभावित हुआ है।

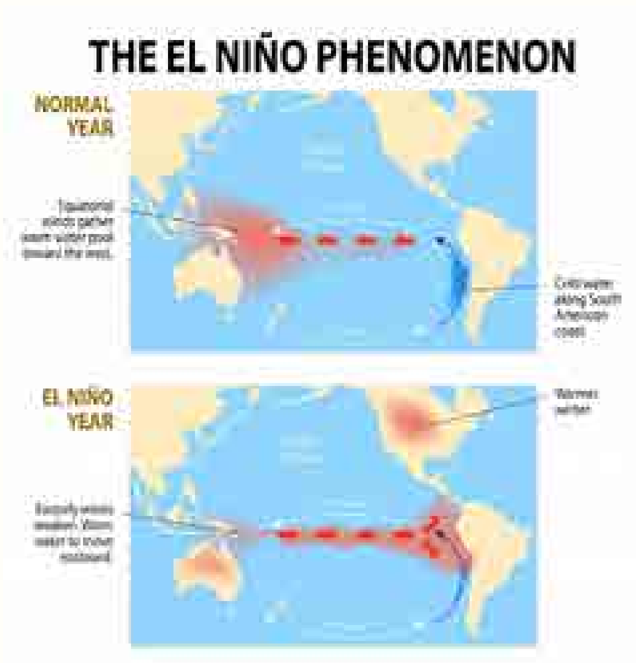

मानसून पर प्रभाव:

- भारत की मानसूनी वर्षा (जो वार्षिक वर्षा का लगभग 80% वर्षा कराता है) बाहरी और आंतरिक कारकों से प्रभावित होती है। बाहरी प्रभाव अल नीनो दक्षिणी दोलन (ईएनएसओ) से उत्पन्न

होता है जो मानसून के दौरान भारत में गर्म, नम हवा पहुंचाने वाली व्यापारिक हवाओं को प्रभावित करता है। इसके अलावा मानसून पाकिस्तान से लेकर बंगाल की खाड़ी तक एक लम्बे कम दबाव वाले क्षेत्र पर प्रभाव डालता है जिससे बंगाल की खाड़ी से 'अवसाद' के रूप में जाने जाने वाले निचले स्तर के चक्रवातों द्वारा सक्रिय बारिश होती है।

- साइंटिफिक रिपोर्ट्स में एक हालिया अध्ययन ईएनएसओ के प्रभाव में बदलते पैटर्न पर प्रकाश डालता है। मध्य भारत, वर्षा आधारित कृषि के लिए महत्त्वपूर्ण मानसून कोर क्षेत्र होने से ईएनएसओ से तेजी से प्रभावित हो रहा है। इसके विपरीत उत्तर भारत एक मजबूत ईएनएसओ लिंक का अनुभव कर रहा है जिसमें 70% वर्षा में उतार-चढ़ाव ईएनएसओ चक्र से जुड़ा हुआ है। ये दक्षिणी भारत में अपेक्षाकृत स्थिर बने हुए हैं।

स्नोपैक पर प्रभावः

- हाल ही में नेचर में प्रकाशित एक नए अध्ययन में दावा किया गया है कि मानव-प्रेरित जलवायु परिवर्तन के कारण 1981 और 2020 के बीच पूरे उत्तरी गोलार्ध में बर्फबारी में 10-20% की गिरावट आई है।
- स्नोपैक बर्फबारी के बाद जमीन पर जमा हुई बर्फ को संदर्भित करता है जो शून्य से नीचे तापमान होने के कारण लंबे समय तक पिघलती नहीं है।
- भारत के हिमालयी और उत्तरी क्षेत्रों में अल-नीनो के कारण बर्फ के आवरण में उल्लेखनीय गिरावट से सर्दियाँ अपेक्षाकृत गर्म हो गई हैं। बर्फ के स्थान पर बारिश को बढ़ावा देने वाला यह बदलाव, जल सुरक्षा और व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्त्वपूर्ण प्रभाव डालता है। बर्फ के आवरण में कमी के परिणाम स्वरूप पूरे वर्ष भर रहते हैं जिससे इन क्षेत्रों में जीवन के विभिन्न पहलू प्रभावित होते हैं।
- हिमालय में बर्फ का आवरण कम होने के बड़े क्षेत्रों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कम बर्फबारी होने और गर्मी के महीनों में कम हिमनद पिघलने से पानी का प्रवाह कम हो जाता है जिससे मैदानी इलाकों में पीने का पानी और सिंचाई प्रभावित होती है। यह कमी गंगा के मैदानी इलाकों में बागवानी फसलों के लिए ऑफ-सीजन के दौरान मौसमी फलों और सब्जियों के प्रवाह को भी बाधित करती है जो क्षेत्र के जल संसाधनों तथा कृषि प्रथाओं को बनाए रखने में शीतकालीन वर्षा की महत्त्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करती है।
- इसके अलावा अल नीनो प्रभाव ठंड के बाद अचानक तापमान के वृद्धि में योगदान देता है। यह तापमान वृद्धि, विशेष रूप से गैर-सिंचित और पहाड़ी क्षेत्रों पर प्रभाव डालती है जिससे फसलों के समय से पहले पकने का खतरा होता है जिसका सीधा असर पैदावार पर पड़ता है। दलहन, तिलहन, फल और सब्जियों की फसलों पर इन परिणामों का प्रभाव पड़ता है जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रति इन क्षेत्रों की संवेदनशीलता का पता चलता है।
- सर्दियों में भारत के अधिकांश हिस्सों में बहुत कम बर्फबारी और कोई वर्षा नहीं होने से वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि प्रभावित हो सकती है जो राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन (एनएसओ) के नवीनतम आंकड़े के अनुसार 7.3% होने का अनुमान है।

आगे की राहः

- जलवायु मॉडल के अनुसार, अल नीनो तथा भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून के बीच संबंध भविष्य में और गहरा होगा, खासकर अगर उच्च कार्बन उत्सर्जन जारी रहता है। सरल शब्दों में इसका मतलब यह है कि भारतीय मानसून पर अल नीनो का प्रभाव और भी अधिक स्पष्ट हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन के कारण अनियमित वर्षा, लंबे समय तक सूखे और हीटवेव में अनुमानित वृद्धि के अलावा, भारतीय मानसून पर अल नीनो के प्रभाव बढ़ने के पूर्वानुमान ने फसल उत्पादन पर प्रभाव के संबंध में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की छठी रिपोर्ट में भारत को एशिया में सबसे कमजोर देश के रूप में वर्गीकृत किया है। यह भारत में व्यापक अनुकूलन और जोखिम शमन कार्यों की तात्कालिकता को रेखांकित करता है।
- भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जैसे संस्थानों द्वारा विकसित जलवायु-अनुकूल फसल किस्मों और पशुधन को अपनाना एक महत्त्वपूर्ण कदम है। विशिष्ट फसलों पर निर्भरता कम करने के लिए फसल पैटर्न में बदलाव और विविध फसल प्रणालियों को बढ़ावा देने से अनुकूलन क्षमता बढ़ती है। सिंचाई के बुनियादी ढांचे में प्रगति के बावजूद लगभग 50% कृषि वर्षा पर निर्भर है तथा पानी की आवश्यकताओं को कम करने के लिए कुशल सिंचाई और जल प्रबंधन प्रथाओं की महत्त्वपूर्ण भूमिका है।
- स्वस्थ पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए पानी और मिट्टी की नमी संरक्षण विधियों, कृषि वानिकी तथा वानिकी पहलों को लागू करना महत्त्वपूर्ण है। जलवायु प्रभावों के प्रति संवेदनशील पशुधन और मत्स्य पालन क्षेत्रों के लिए नस्लों के विविधीकरण, बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन, स्थायी मछली पकड़ने की प्रथाओं तथा आवास संरक्षण की आवश्यकता है।
- स्वदेशी समुदायों के पास मौजूद ज्ञान की संपदा को पहचानना महत्त्वपूर्ण है। स्वदेशी किसानों ने विभिन्न जलवायु संबंधी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम जलवायु-लचीला बीज किस्मों को संरक्षित किया है। इन बीजों का लाभ उठाने से बदलती जलवायु के प्रति किसानों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।
- टीवी, रेडियो और एसएमएस के माध्यम से मौसम के पूर्वानुमान का प्रसार करने वाली भारतीय मौसम विभाग द्वारा चल रही कृषि-मौसम विज्ञान सलाहकार सेवाएं जैसी प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की स्थापना महत्त्वपूर्ण है। ये प्रणालियाँ किसानों को विषम परिस्थितियों के बारे में समय पर जानकारी देकर सावधान करके उपचारात्मक उपायों पर उनका मार्गदर्शन करती हैं।

1 प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना' को शुरू करने की घोषणा की। यह एक करोड़ भारतीय परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली प्रदान करने के लिए यह एक सरकारी पहल है।

प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना:

प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना एक नई पहल है जिसका उद्देश्य भारत में घर के छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य देश भर में 1 करोड़ (10 मिलियन) घरों पर सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना है। इस योजना का उद्देश्य न केवल गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए बिजली के बिल को कम करना है, बल्कि भारत के ऊर्जा आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लक्ष्य में भी योगदान देना है।

भारत की वर्तमान सौर क्षमता:

- अगस्त 2023 तक, भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 70.10 गीगावॉट है।
- नवंबर 2023 तक रूफटॉप सोलर की स्थापित क्षमता लगभग 10.4 गीगावॉट है।
- भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी लगभग 180 गीगावॉट है।

रूफटॉप सोलर प्रोग्राम:

- रूफटॉप सोलर कार्यक्रम को वर्ष 2014 में लॉन्च किया गया था। यह कार्यक्रम ग्रामीण आवासीय क्षेत्र में रूफटॉप सोलर क्षमता के विस्तार पर केंद्रित है।
- यह कार्यक्रम केंद्रीय वित्तीय सहायता और वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) को प्रोत्साहन प्रदान करता है।
- इस कार्यक्रम का लक्ष्य मार्च 2026 तक छत पर सौर ऊर्जा स्थापित क्षमता को 40 गीगावॉट तक बढ़ाना है।
- दूसरे चरण में इस कार्यक्रम ने मार्च 2019 में 1.8 गीगावॉट से नवंबर 2023 में 10.4 गीगावॉट तक की वृद्धि की है।
- उपभोक्ताओं के पास विक्रेता और उपकरण की गुणवत्ता/दक्षता का चयन करने की स्वतंत्रता है।
- डिस्कॉम तकनीकी व्यवहार्यता अनुमोदन, नेट-मीटर स्थापना और सिस्टम निरीक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक सीमित भूमिका निभाते हैं।
- सौर ऊर्जा प्रणालियों की स्थापना और निरीक्षण के बाद सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाती है।
- उत्पन्न अधिशेष सौर ऊर्जा को ग्रिड में निर्यात किया जा सकता है।
- उपभोक्ताओं को राज्य विद्युत नियामक आयोगों/संयुक्त विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित प्रचलित नियमों के आधार पर मौद्रिक लाभ प्राप्त होता है।

आगे की राह:

अगले 30 वर्षों में भारत में वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी ऊर्जा मांग में वृद्धि होने की उम्मीद है। इस मांग को पूरा करने और सौर ऊर्जा उपयोग में विविधता लाने के लिए भारत का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करना है। इस समय देश में सौर ऊर्जा क्षमता में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है जो वर्ष 2010 में 10 मेगावाट से बढ़कर वर्ष 2023 में 70.10 गीगावॉट हो गई है। यदि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना सही से क्रियान्वित हुई, तो भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता का लक्ष्य प्राप्त करने में मदद मिलने की संभावना है।

2 शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2023

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एनजीओ प्रथम फाउंडेशन द्वारा 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) 2023 'बियॉन्ड बेसिक्स' नामक शीर्षक से जारी की गई।

शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट के बारे में:

- एएसईआर ग्रामीण भारत में एक राष्ट्रव्यापी नागरिक-नेतृत्व वाला घरेलू सर्वेक्षण है जिसे 2005 में शुरू किया गया था और 2016 में एक वैकल्पिक वर्ष चक्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। एएसईआर सर्वेक्षण में नामांकन, सीखने का आंकलन और विस्तारित डोमेन आदि शामिल हैं।
- वर्तमान सर्वेक्षण में 26 राज्यों के 28 जिलों को शामिल किया गया जिसमें 14-18 आयु वर्ग के 34,745 युवाओं को लक्षित किया गया।

नामांकन:

- एएसईआर 2023 नोट करता है कि भारत में वर्तमान समय में अधिकतर बच्चों के पास पहले की तुलना में अधिक वर्षों तक स्कूली शिक्षा का अवसर प्राप्त हुआ है। इसमें 14-18 वर्ष के 86.8% बच्चे शैक्षिणिक संस्थानों में नामांकित पाए गये हैं।
- इसके अलावा, रिपोर्ट में उम्र के हिसाब से नामांकन में उल्लेखनीय अंतर पाया गया है। इसके तहत 32.6% का नामांकन 18 साल की उम्र तक नहीं हुआ था।

कौशल और क्षमता:

- रिपोर्ट में उच्च ग्रेड में कला/मानविकी स्ट्रीम (कक्षा XI या उच्चतर में 55.7%) की प्रमुखता पाई गई है।
- इसके अलावा यह पाया गया है कि 14-18 आयु वर्ग के 25% युवाओं को मानक II स्तर का पाठ पढ़ने में संघर्ष करना पड़ता है, जबकि आधे से अधिक को 3-अंकीय और 1-अंकीय भाग करने में संघर्ष करना पड़ता है। इसी तरह 57.3% अंग्रेजी वाक्य पढ़ सकते हैं जिनमें से लगभग तीन चौथाई उनके अर्थ भी बता सकते हैं।
- सर्वेक्षण में यह भी कहा गया है कि व्यावसायिक कौशल युवाओं के लिए पहली पसंद नहीं है, वर्तमान व्यावसायिक प्रशिक्षण में केवल 5.6% ही शामिल हैं।

- यह एक गंभीर कमी है जिसका देश की श्रम शक्ति की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। कौशल कार्यक्रम, चाहे कितना भी महत्त्वाकांक्षी और अच्छी तरह से डिजाइन किया गया हो, यह तब सफल नहीं हो सकता, जब इसके लक्षित लाभार्थियों को प्रारंभिक पढ़ने तथा बुनियादी अंकगणित में समस्या हो।
- एएसईआर 2023 तीव्र शैक्षणिक प्रतिस्पर्धा के बीच युवा छात्रों पर बढ़ते दबाव को भी उजागर करता है जो केवल शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में कठिनाइयाँ और भी बढ़ जाती हैं क्योंकि छात्रों को शैक्षणिक आवश्यकताओं के साथ-साथ खेतों में काम करने जैसी जिम्मेदारियों का भी सामना करना पड़ता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्टफोन का बढ़ता उपयोग (लगभग 95% सर्वेक्षण किए गए घरों में ये उपकरण थे और लगभग 95% पुरुष और 90% महिलाएं उनका उपयोग कर सकते थे) शिक्षा का विस्तार करने तथा ऐसी कक्षाओं को डिजाइन करने का एक अवसर है जो समय के साथ लचीली हों।

एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट (ASER) 2023

सैंपल	फाइंडिंग्स
28 जिले	14 साल के 3.9% बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं, 18 साल के 32.6% कहीं एनरोल्ड नहीं
1, 664 गांव	55.7% बच्चे आर्ट्स/ ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम पढ़ रहे
30, 074 घर	31.7% बच्चे STEM, 9.4% बच्चे कॉमर्स पढ़ रहे
34, 745 युवा	40.3% मेल्स, 28% फीमेल्स घर के काम के अलावा बाहर काम कर रहे हैं

- 14 से 18 एज ग्रुप के बच्चे पर हुआ सर्वे
- हर राज्य में 1 ग्रामीण जिले में सर्वे हुआ
- उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 2 ग्रामीण जिलों में सर्वे किया

- मनी कैलकुलेशन में लड़के बेहतर
- रीजनल लैंग्वेज कंटेंट पढ़ने में लड़कियां बेहतर

आगे की राह:

एनईपी 2020 शैक्षिक परिदृश्य में डिजिटल प्रौद्योगिकियों को शामिल करने की कल्पना करता है जो पाठ्यक्रम-केंद्रित दृष्टिकोण से व्यक्तिगत शिक्षार्थी पर केंद्रित है। युवाओं की डिजिटल और अन्य शैक्षिक क्षमताओं के संबंध में एएसईआर 2023 के निष्कर्ष नीति निर्माताओं को एनईपी के दृष्टिकोण को लागू करने में महत्त्वपूर्ण संकेत प्रदान कर सकते हैं।

3 विद्युत (संशोधन) नियम, 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने विद्युत अधिनियम, 2003 के तत्वावधान में विद्युत (संशोधन) नियम, 2024 जारी किया जिसका उद्देश्य बड़े कॉर्पोरेट और हरित ऊर्जा क्षेत्रों के लिए बिजली आपूर्ति की परेशानियों को कम करना है।

नियमों के बारे में:

- नियम अब उन उपभोक्ताओं को अनुमति देते हैं जिनके पास निर्दिष्ट ऊर्जा भार और ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ईएसएस) हैं, वे लाइसेंस की आवश्यकता के बिना अपनी समर्पित ट्रांसमिशन लाइनों को स्वयं संचालित कर सकते हैं। यह नियम उन कंपनियों/व्यक्तियों को कवर करता है जिनके पास अंतर-राज्य तथा इंट्रा-स्टेट ट्रांसमिशन नेटवर्क पर 25 मेगावाट और 10 मेगावाट से अधिक लोड है।
- ऐसी सुविधा की अनुमति देने से, थोक उपभोक्ताओं की एक नई श्रेणी उभरेगी जो अधिक किफायती विद्युत और बढ़ी हुई ग्रिड विश्वसनीयता से लाभान्वित होगी। यह सुविधा उत्पादन कंपनियों और कैप्टिव उत्पादन स्टेशन के लिए पहले से ही उपलब्ध थी।
- इसने बड़े विद्युत उपभोक्ताओं द्वारा सामना किए जाने वाले उच्च ओपन एक्सेस शुल्क के मुद्दे को भी संबोधित किया है। इसने ओपन एक्सेस शुल्क को कम करने के लिए नया फॉर्मूला निर्धारित किया है। इसमें यह भी निर्धारित किया गया है कि जनरल नेटवर्क एक्सेस (जीएनए) या ओपन एक्सेस का लाभ उठाने वाले व्यक्ति पर अतिरिक्त अधिभार रैखिक रूप से कम किया जाएगा और एक्सेस प्रदान करने की तारीख से चार साल के भीतर समाप्त कर दिया जाएगा।
- जीएनए का अर्थ है अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली तक खुली पहुंच जोकि 'एक राष्ट्र, एक ग्रिड' की अवधारणा के अनुरूप है।

ओपन एक्सेस तंत्र के तहत विभिन्न शुल्क:

- **ट्रांसमिशन शुल्क-** ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करने के लिए ट्रांसमिशन कंपनी को शुल्क देय होते हैं।
- **व्हीलिंग शुल्क-** बुनियादी ढांचे का उपयोग करने के लिए वितरण कंपनी को शुल्क देय हैं।
- **ट्रांसमिशन और व्हीलिंग नुकसान-** ये विद्युत के प्रसारण तथा वितरण के दौरान होने वाली बिजली हानियाँ हैं।
- **क्रॉस-सब्सिडी अधिभार (सीएसएस)-** ये कृषि और आवासीय खरीददारों के लिए टैरिफ सब्सिडी को सहायता देने हेतु वाणिज्यिक तथा औद्योगिक खरीददारों द्वारा देय हैं।
- अतिरिक्त अधिभार (एएस) और बैंकिंग शुल्क।
- विद्युत वितरण कंपनियां (DISCOMs) अक्सर वाणिज्यिक और

औद्योगिक (C-I) उपभोक्ताओं को विद्युत के अन्य स्रोतों को चुनने से रोकने के लिए उन पर कठोर ओपन एक्सेस सरचार्ज लगाती हैं। इन शुल्कों को केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा सीमित किया गया था, लेकिन डिस्कॉम ने अतिरिक्त अधिभार जैसे कई अन्य शुल्क लगाना शुरू कर दिया।

- इस समस्या को संबोधित करते हुए मंत्रालय ने यह भी अधिसूचित किया है कि जीएनए या ओपन एक्सेस का लाभ उठाने वाले व्यक्ति के लिए, अतिरिक्त अधिभार रैखिक रूप से कम हो जाएगा और पहुंच प्रदान करने की तारीख से चार साल के भीतर समाप्त हो जाएगा।

आगे की राह:

उद्योग के लिए समर्पित ट्रांसमिशन लाइनों को लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करने से उद्योग के लिए व्यापार करने में आसानी होगी। इसके तहत औद्योगिक विकास तेज होने से अधिक रोजगार सृजन होगा। इसके साथ ही ओपन एक्सेस शुल्क के युक्तिकरण से उद्योग द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा को तेजी से अपनाने में मदद मिलेगी जिससे उत्सर्जन में भी कमी आएगी।

4 ऑपरेशन सर्वशक्ति

चर्चा में क्यों?

पिछले कुछ वर्षों में घात लगाकर किए गए आतंकवादी हमले और वर्ष 2023 में सुरक्षा बलों पर हुए तीन बड़े आतंकी हमलों के बाद भारतीय सेना ने जम्मू-कश्मीर के राजौरी पुंछ सेक्टर में पीर पंजाल रेंज के दोनों तरफ आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए 'ऑपरेशन सर्वशक्ति' शुरू किया है।

पीर पंजाल का सामरिक महत्त्व:

- मेंढर के दक्षिण में स्थित क्षेत्र (जो हिलकाका के माध्यम से पीर पंजाल रेंज की ओर जाता है) नियंत्रण रेखा के पार से कश्मीर घाटी में घुसपैठियों के लिए सबसे छोटे मार्गों में से एक है। सामरिक लाभ के कारण आतंकवादी, रणनीतिक रूप से इस क्षेत्र में घुसपैठ करके अपने शिविर बनाते हैं। इस क्षेत्र पर कब्जा करने से पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी सैन्य अभियान के लिए एक संभावित माध्यम उपलब्ध होता है जिससे घुसपैठ आसान हो जाती है।
- पीर पंजाल रेंज इलाके के घने जंगल और खड़ी पहाड़ी ढलानें आतंकवादियों को भारतीय सेना की तलाशी के दौरान छिपने में सहायता प्रदान करती है। संभावित सुरक्षा उपायों के बावजूद, आतंकवादियों के लिए ये स्थानीय लाभ कुछ हद तक बने हुए हैं जो इस महत्त्वपूर्ण पहुंच मार्ग को सुरक्षित करने में चुनौती बने हैं।

ऑपरेशन सर्पविनाश:

- 2003 में भारतीय सुरक्षा बलों ने सीमा पार घुसपैठ करने वाले और पीर पंजाल रेंज के दक्षिण में घने जंगलों में, खासकर पुंछ में हिलकाका क्षेत्र में शिविर स्थापित करने वाले आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन सर्पविनाश शुरू किया था।
- लगभग तीन महीने तक चलने वाला यह ऑपरेशन तीन प्रमुख पर्वतमालाओं से घिरे लगभग 150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ऊंचे जंगली पहाड़ों में हुआ। ऑपरेशन में 15वीं कोर और 16वीं कोर के तहत लगभग 10,000 सैनिक शामिल थे।
- इस ऑपरेशन में लगभग 100 आतंकवादी मारे गए थे और लगभग 40-50 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किये गए। बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के हथियार, विस्फोटकों के ढेर और लगभग 7,000 किलोग्राम राशन, दवाएं तथा संचार उपकरण सहित भंडार बरामद किए गए।

आगे की राह:

पीर पंजाल के घने जंगल वाले इलाके (जिनमें से कुछ भाग इतने घने हैं कि सूरज की रोशनी शायद ही कभी प्रवेश करती है) आतंकवादियों के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करते हैं जिससे वे सशस्त्र बलों द्वारा हवाई निगरानी और जमीनी गश्त दोनों से बचने में सक्षम होते हैं। सेना द्वारा गुरिल्ला-युद्ध शैली के संचालन के बावजूद, चिंताजनक पहलू यह है कि ये आतंकवादी बिना पकड़े लंबे समय तक इस क्षेत्र में काम करते रहे हैं। इससे शांतिपूर्ण क्षेत्र में संभावित स्थानीय समर्थन का पता चलता है जो आतंकवाद विरोधी प्रयासों में एक महत्त्वपूर्ण चुनौती की ओर इशारा करता है।

5 अनुसूचित जाति का उप-वर्गीकरण

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार ने अनुसूचित जाति की सभी श्रेणियों के बीच सबसे पिछड़े समुदायों को योजनाओं और पहलों के लाभ का समान वितरण के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गॉबा की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। इस समिति का गठन अनुसूचित जाति के उप-वर्गीकरण की मांग पर अध्ययन करने हेतु किया गया।

अनुसूचित जाति के उप-वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों?

- अनुसूचित जातियों के भीतर उप-वर्गीकरण आरक्षण और अन्य सकारात्मक कार्यों के लिए एससी की मौजूदा श्रेणियों के भीतर उप-समूह बनाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है।
- समिति को एक ऐसी पद्धति पर काम करने का जिम्मा सौंपा गया है जो देश भर में 1200 एससी के उन वर्गों को लक्षित लाभ प्रदान कर सके जिन्हें अपेक्षाकृत प्रभावशाली लोगों ने बाहर कर दिया है।
- अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण की मांग 1990 के दशक से होती रही है। सबसे शुरुआती मांगें तेलंगाना के मडिगा समुदाय द्वारा उठाई गई हैं और इसी तरह की मांगें पंजाब, बिहार तथा तमिलनाडु से भी उठी हैं।
- अनुसूचित जातियों के सामाजिक उत्थान और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए जो लाभ दिए गए हैं, उन पर कुछ राजनीतिक रूप से मजबूत या बहुसंख्यक अनुसूचित जातियों ने कब्जा कर लिया है। कई राज्यों ने अनुसूचित जाति की श्रेणियों के लिए राज्य स्तर पर कानून लाने की कोशिश की है।

उप-वर्गीकरण की संवैधानिकता:

- सुप्रीम कोर्ट की सात-न्यायाधीशों की संविधान पीठ इस सवाल पर सुनवाई शुरू करने के लिए तैयार है कि क्या एससी और अनुसूचित जनजातियों के बीच उप-वर्गीकरण बिल्कुल स्वीकार्य है? इस उपाय की वैधता पर 2005 में भारत के अटॉर्नी जनरल ने राय दी थी कि यह संभव हो सकता है, लेकिन केवल तभी जब 'आवश्यकता को इंगित करने के लिए निर्विवाद सबूत' हों।

उप-वर्गीकरण के लाभ:

- एससी, एसटी और ओबीएस श्रेणियों के भीतर कुछ प्रमुख प्रभावशाली उप-समूहों के असंगत तथा अपर्याप्त प्रतिनिधित्व के प्रमाण हैं।
- इसके परिणामस्वरूप समाज के वंचित वर्गों को सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक लक्षित लाभ समावेशी और अधिक न्यायपूर्ण तरीके से उपलब्ध होंगे।

उप-वर्गीकरण की सीमाएँ:

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए राष्ट्रीय आयोग ने इस उद्देश्य हेतु संविधान में संशोधन करने के कदम का 2005 में विरोध किया था। यह तर्क दिया गया कि केवल कोटा के भीतर एक कोटा निर्धारित करना पर्याप्त नहीं होगा।
- इसके साथ-साथ इसके कार्यान्वयन के लिए सभी जातियों की एक अलग 100% गणना-प्रत्येक समुदाय और उप-समुदाय की जाति जनगणना तथा उनसे संबंधित सामाजिक-आर्थिक डेटा की भी आवश्यकता है। यह राज्यों के भीतर अलगाववादी क्षेत्रीय चेतना को भी बढ़ावा दे सकता है।

आगे की राह:

भारत को एक विकसित देश बनने के लिए देश का समावेशी और न्यायसंगत विकास आवश्यक है। मौजूदा योजनाएं और लाभ वंचित वर्गों तक पहुंचें, इसलिए निष्पक्ष रूप से अध्ययन करने की आवश्यकता है ताकि किसी को इससे हानि न पहुंचे।

6 सपिंड विवाह को न्यायालय में चुनौती

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (एचएमए) की धारा-5(V) की संवैधानिकता को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया है जो दो हिंदुओं के बीच 'सपिंड' विवाह पर रोक लगाती है। सपिंडों के बीच विवाह की अनुमति दी जा सकती है यदि रीति-रिवाज और उपयोग इसकी अनुमति देते हैं। 'रीति-रिवाज' और 'उपयोग' शब्द किसी भी नियम को दर्शाते हैं जो लंबे समय से लगातार पालन किए जाने के बाद किसी भी स्थानीय क्षेत्र, जनजाति, समुदाय, समूह या परिवार में हिंदुओं के बीच कानून की शक्ति प्राप्त कर चुके हैं, बशर्ते ये अनुचित या सार्वजनिक नीति के विपरीत न हों।

जिन आधारों पर कानून को चुनौती दी गई:

- 2007 में, महिला के विवाह को तब अमान्य घोषित कर दिया गया जब उसके पति ने सफलतापूर्वक साबित किया कि उन्होंने सपिंड विवाह किया था, क्योंकि महिला उस समुदाय से नहीं थी जहां ऐसे विवाह को एक प्रथा माना जा सकता है। इस फैसले को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई जिससे अक्टूबर 2023 में अपील खारिज कर दी।
- इसके बाद महिला ने सपिंड विवाह पर प्रतिबंध की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए फिर से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने तर्क दिया कि प्रथा का कोई प्रमाण न होने पर भी सपिंड विवाह प्रचलित हैं, इसलिए धारा 5(v) जो सपिंड विवाह पर रोक लगाती है, संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है।

हाई कोर्ट का तर्क:

- कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने एक स्थापित प्रथा का 'ठोस सबूत' प्रदान नहीं किया जो एक सपिंड विवाह को उचित ठहराने के लिए आवश्यक है।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि विवाह में साथी का चुनाव विनियमन के अधीन हो सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए, अदालत ने माना कि महिला ने यह दिखाने के लिए कोई ठोस कानूनी आधार पेश नहीं किया कि सपिंड विवाह के खिलाफ प्रतिबंध समानता के अधिकार का उल्लंघन था।

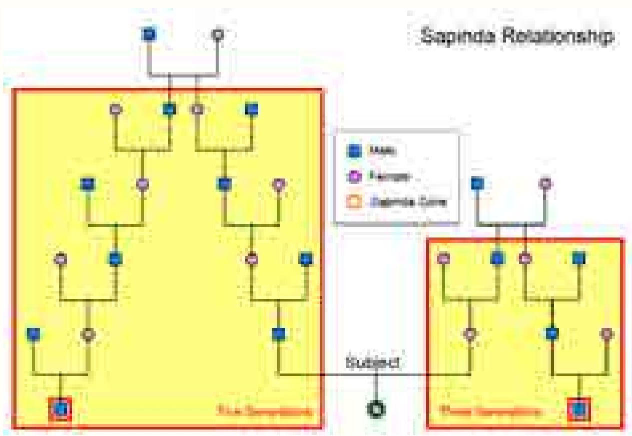

सपिंड विवाह (Sapinda Marriage) क्या है?

- सपिंड विवाह उन व्यक्तियों के बीच होता है जो एक निश्चित सीमा तक निकटता के भीतर एक-दूसरे से संबंधित होते हैं।
- हिंदू विवाह अधिनियम (एचएमए) के प्रावधानों के तहत माता की ओर से, एक हिंदू व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता जो उनकी तीन पीढ़ियों तक सम्बंधित हो। पिता की ओर से यह निषेध व्यक्ति की पाँच पीढ़ियों के भीतर किसी पर भी लागू होता है।
- यदि कोई विवाह सपिंड विवाह होने की धारा 5(v) का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है और ऐसी कोई स्थापित प्रथा नहीं है जो इस तरह की प्रथा की अनुमति देती हो, तो इसे शून्य घोषित कर दिया जाएगा।
- इसका मतलब यह होगा कि विवाह शुरू से ही अमान्य था और

ऐसा माना जाएगा जैसे कि यह कभी हुआ ही नहीं।

आगे की राह:

दिल्ली उच्च न्यायालय का निर्णय सपिंड विवाह में स्थापित रीति-रिवाजों के महत्त्व की पुष्टि करता है और सख्त सबूत की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। वैवाहिक विकल्पों के विनियमन को न्यायालय की स्वीकृति सामाजिक प्रभावों के बारे में चिंताओं को दर्शाती है।

7 उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय रिपोर्ट (AISHE)

चर्चा में क्यों?

भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (एआईएसएचई) 2021-22 जारी किया जिसमें पिछले सत्र (2020-21) में 4.14 करोड़ से 2021-22 में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन में लगभग 4.33 करोड़ की वृद्धि देखी गई। सर्वेक्षण में यह बताया गया कि कुल महिला नामांकन 2020-21 में 2.01 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 2.07 करोड़ हो गया है।

एआईएसएचई 2021-22 रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:

- 2021-22 में 18-23 वर्ष आयु वर्ग के लिए उच्च शिक्षा में समग्र सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) 28.4% हो गया जो 2020-21 में 27.3% और आधार वर्ष 2014-15 में 23.7% था।
- महिला जीईआर 2020-21 में 27.9 (2.01 करोड़) प्रतिशत और 2014-15 में 22.9 प्रतिशत से बढ़कर 2021-22 में 28.5% (2.07 करोड़) हो गई।
- अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के छात्रों के जीईआर में भी लगभग 2% की वृद्धि हुई है। 2020-21 में एससी छात्रों का जीईआर 25.6% तथा एसटी 23.4% था, जबकि 2021-22 में यह बढ़कर क्रमशः 27.2% और 25.8% हो गया।
- ओबीसी छात्रों का नामांकन भी 2014-15 में 1.13 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 1.63 करोड़ हो गया है।
- कुल छात्रों में से लगभग 78.9 प्रतिशत स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं, जबकि 12.1 प्रतिशत स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में नामांकित हैं।
- एआईएसएचई 2021-22 में स्नातक स्तर के विषयों में कला (34.2%) में नामांकन सबसे अधिक है जिसके बाद विज्ञान (14.8%), वाणिज्य (13.3%) तथा इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी (11.8%) का स्थान है।
- एआईएसएचई 2021-22 में स्नातकोत्तर स्तर की धाराओं में अधिकतम छात्र सामाजिक विज्ञान (21.1%) में नामांकित हैं जिसके बाद विज्ञान (14.7%) का स्थान है।
- सर्वेक्षण के अनुसार, 2021-22 में संकाय/शिक्षकों की कुल संख्या 15.98 लाख है जिनमें से लगभग 56.6% पुरुष और 43.4% महिलाएं हैं।
- सरकारी विश्वविद्यालय कुल विश्वविद्यालयों का 58.6% हैं जो कुल नामांकन में 73.7% का योगदान करते हैं, निजी विश्वविद्यालय कुल नामांकन में 26.3% योगदान देते हैं।

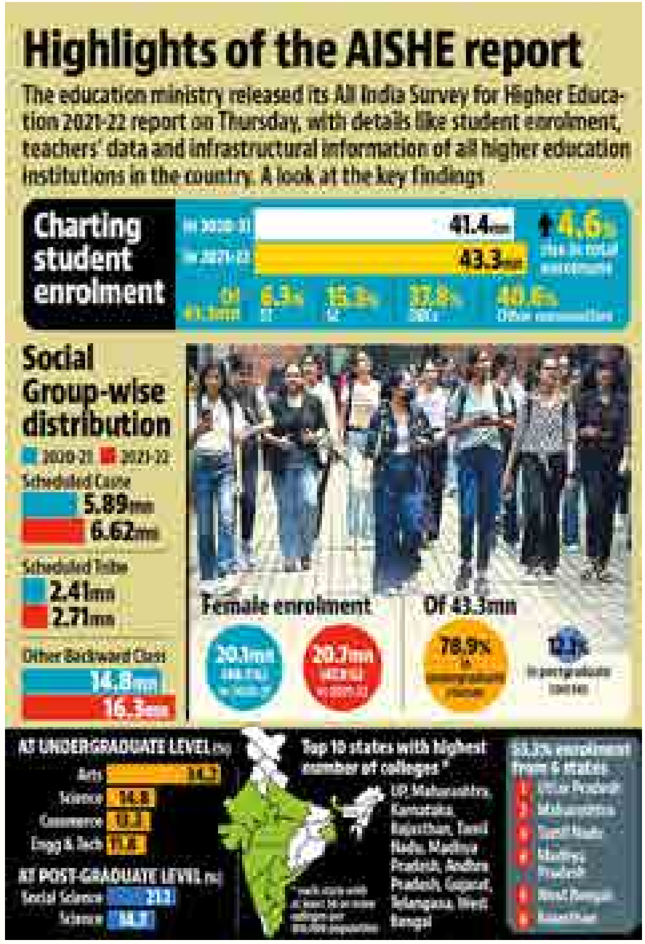

उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के बारे में:

- एआईएसएचई रिपोर्ट 2011 से शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जा रही है जिसका उद्देश्य देश में उच्च शिक्षा की स्थिति को जांचना है।
- सर्वेक्षण में देश में उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले सभी संस्थानों को शामिल किया गया है।
- शैक्षिक विकास के संकेतक जैसे संस्थान घनत्व, सकल नामांकन अनुपात, छात्र-शिक्षक अनुपात, लिंग समानता सूचकांक तथा प्रति छात्र व्यय की गणना भी एआईएसएचई के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़ों से की जाती है।
- इस सर्वेक्षण के प्रयोजन के लिए उच्च शिक्षा को उस शिक्षा के रूप में परिभाषित किया गया है जो 12 साल की स्कूली शिक्षा या समकक्ष पूरी करने के बाद प्राप्त की जाती है।

आगे की राह:

उच्च शिक्षा में नामांकन अनुपात बढ़ाने के लिए कई योजनाएं लागू की जा रही हैं। अब समय की मांग है कि भारत में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा को बढ़ाया जाए जिससे शिक्षा के साथ रोजगार को जोड़ा जा सके।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे

1 ईरान ने पाकिस्तान पर किया मिसाइल हमला

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने पाकिस्तान के ब्लूचिस्तान में एयर स्ट्राइक किया जिसके जवाब में पाकिस्तान ने दावा किया कि उसकी सेना ने भी ईरान की सीमा में घुसकर कथित आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। इस घटना के बाद दक्षिण एशिया में स्थिति तनावपूर्ण हो गयी।

प्रमुख बिंदु:

- ये हमले पाकिस्तान की सीमा में मौजूद ईरानी आतंकी संगठन जैश अल अदल पर किए गए थे। जैश अल अदल (जिसे न्याय की सेना भी कहा जाता है) की स्थापना वर्ष 2012 में की गयी थी।
- इसका उद्देश्य ईरान के पूर्वी सिस्तान प्रांत और पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत हेतु स्वतंत्रता की मांग करना, बलूच लोगों के अधिकारों की रक्षा करना और इन क्षेत्रों के संसाधनों का उचित वितरण होना शामिल है।

पाकिस्तान-ईरान के बीच सम्बन्ध:

- ईरान और पाकिस्तान के सम्बन्ध पाकिस्तान बनने के बाद से ही मधुर रहे हैं। 14 अगस्त 1947 को ईरान पाकिस्तान को मान्यता देने वाला पहला देश था। ईरान वह देश है जहां पाकिस्तान का पहला दूतावास खोला गया था। दोनों देशों के रिश्तों में धर्म, ऊर्जा और व्यापार अत्यंत महत्त्वपूर्ण रहे हैं। समय बीतने के साथ ही दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में भी आपसी सहयोग बढ़ाया है।
- पाकिस्तान ने 1965 में भारत के साथ युद्ध किया तो इसमें भी पाकिस्तानी सेना को ईरान से मदद मिली थी। दोनों देश अमेरिका के नेतृत्व वाले सीटो और सेंटो रक्षा समझौते के सदस्य रहे। ईरान ने पाकिस्तानी छात्रों के लिए अपने विश्वविद्यालय में प्रवेश की अनुमति दिया जिसका कारण यह हुआ कि ईरान के शासक को पाकिस्तान अपना सबसे बड़ा मित्र मानता रहा।
- वर्ष 1979 में अयातुल्ला खोमनेई की इस्लामी क्रांति और अफगानिस्तान पर सोवियत संघ के नियंत्रण से दोनों देशों की दोस्ती में दरार पैदा हो गया। इसका कारण यह रहा कि इस्लामिक क्रान्ति से पहले ईरान में अमेरिकी कठपुतली सरकार हुआ करती थी परन्तु जैसे ही ईरान और अमेरिका के रिश्ते बिगड़े, पाकिस्तान सोवियत संघ से लड़ने के लिए अमेरिका के साथ शामिल हो गया। सऊदी के पैसे से दोनों ने मजहबी गुट पश्तून मुजाहिदीन बनाया और उसे हथियारबंद किया, वहीं ईरान ने दूसरे गुट ताजिक का समर्थन किया।
- दोनों देशों के बीच सम्बन्ध तब तनाव की चरम सीमा पर पहुँच गया, जब 1990 में पाकिस्तान के लाहौर में ईरान के राजदूत सादिक गंजी की हत्या कर दी गई थी। इसी समय ईरान की वायुसेना के कैडेटों को भी मार दिया गया। कभी दोस्त रहे दोनों देशों के बीच आतंकवाद ने भी एक बड़ी खाई पैदा की। ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे हैं कि कुछ उग्रवादी समूह लगातार सीमा पार आतंकवाद में लिप्त हैं।

आगे की राह:

ईरान का क्षेत्रफल पाकिस्तान से दोगुने से भी ज्यादा है, जबकि इसकी जनसंख्या पाकिस्तान की लगभग एक-तिहाई है। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण ईरान के पास दूसरा सबसे बड़ा गैस भंडार, चौथा सबसे बड़ा कच्चा तेल भंडार और महत्त्वपूर्ण गैर-ईंधन खनिज संसाधन हैं। दोनों देशों की हिन्द महासागर में सामरिक स्थिति इनकी महत्ता को बढ़ा देती है, इसीलिए क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को बढ़ावा देने के लिए मिलकर कार्य किया जाना चाहिए जिससे सभी नागरिकों को लाभ हो सके।

2 एस. जयशंकर की ईरान यात्रा सम्पन्न

चर्चा में क्यों?

विदेश मंत्री एस. जयशंकर की दो दिवसीय ईरान यात्रा एक राजनयिक भागीदारी के रूप में रही जिसमें पहला, हूती विद्रोहियों से उत्पन्न हुए समुद्री सुरक्षा संकट के कारण बिगड़ते क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल के संदर्भ में था, जबकि दूसरा चाबहार बंदरगाह और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे पर ईरान के साथ भारत की साझेदारी पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना था।

बढ़ती समुद्री सुरक्षा चिंताएँ:

- हूती विद्रोहियों ने लाल सागर और उसके आसपास इजराइल से जुड़े वाणिज्यिक शिपिंग को निशाना बनाने के उद्देश्य से ड्रोन तथा मिसाइल हमले किए हैं।
- भारतीय नौसेना ने लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमान और आरपीए/ड्रोन सहित टास्क फोर्स समूहों को तैनात किया।
- भारत संयुक्त समुद्री बल टास्क फोर्स 153 के तत्वावधान में एक बहुराष्ट्रीय सुरक्षा मिशन ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन में शामिल नहीं हुआ।
- भारत ने हमास-इजराइल युद्ध और संयुक्त राज्य अमेरिका के संदर्भ में सीधे जुड़ाव से बचते हुए अमेरिका के नेतृत्व वाले मिशन को पूरक बनाना पसंद किया।
- प्रमुख शिपिंग कंपनियों ने लाल सागर का उपयोग बंद कर दिया है जिसके माध्यम से वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 15% गुजरता है। अब अधिकतर शिपिंग कंपनियां दक्षिण अफ्रीका के आसपास एक बहुत लंबे मार्ग का उपयोग कर रहे हैं।

बढ़ती कनेक्टिविटी साझेदारी:

- क्षेत्रीय कनेक्टिविटी भारत-ईरान संबंधों का एक महत्त्वपूर्ण स्तंभ है जो चाबहार परियोजना के प्रति भारत की निरंतर भागीदारी के लिए एक 'टिकाऊ और दीर्घकालिक रोडमैप' है।
- पिछले दो वर्षों में आईएनएसटीसी ने भारत और ईरान के साथ

रूस के व्यापार के लिए 'प्रतिबंध-मुक्त' मार्ग के रूप में गति प्राप्त किया है।

- आईएनएसटीसी के समानांतर भारत और ईरान ने काकेशस में आर्मेनिया की पारगमन और परिवहन क्षमता विकसित करने का प्रयास किया है।
- विश्लेषक नए गलियारे को काकेशस में तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सहयोग को 'साफ्ट बैलेंस' के रूप में देखते हैं।

आगे की राह:

विदेश मंत्री की यह यात्रा एक सामयिक मुद्दे के परिप्रेक्ष्य में महत्त्वपूर्ण रही है क्योंकि भारत की ईरान के साथ साझेदारी, भारतीय हितों को रेखांकित करती है जो स्वतंत्र समुद्री सुरक्षा दृष्टिकोण को बनाए रखने के लिए आवश्यक है।

3 भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तरीय बैठक सम्पन्न

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत-अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री-स्तरीय बैठक नई दिल्ली में सम्पन्न हुई। भारत के वाणिज्य और उद्योग मंत्री तथा अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि द्वारा सह-अध्यक्षता की गई।

भारत-संयुक्त राज्य व्यापार नीति फोरम क्या है?

इस मंच की स्थापना जुलाई 2005 में दोनों देशों के लिए एक साथ चर्चा करने हेतु की गई थी ताकि व्यापार और निवेश को बढ़ाया जाए।

मंत्री-स्तरीय बैठक की मुख्य बातें:

- दोनों देशों के मंत्रियों ने महत्त्वपूर्ण खनिजों, सीमा शुल्क तथा व्यापार सुविधा, आपूर्ति शृंखला और उच्च तकनीक उत्पादों में व्यापार जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए भविष्य की संयुक्त पहल के लिए आधार तैयार करने की प्रतिबद्धता जताई।
- गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करने के लिए एक संयुक्त सुविधा तंत्र स्थापित करने पर सहमति बनी।
- दोनों देशों ने जी20 के दौरान व्यापार दस्तावेजों के डिजिटलीकरण पर उच्च स्तरीय सिद्धांतों को अपनाने और अन्य मंचों पर इन सिद्धांतों के कार्यान्वयन का समर्थन करने का वादा किया।
- सामाजिक सुरक्षा समझौते पर दोनों पक्षों ने भविष्य के समझौते के लिए तेजी लाने को प्रोत्साहित किया जो सेवा व्यापार को बढ़ाने और अमेरिका में अस्थायी रूप से काम करने वाले भारतीय आईटी पेशेवरों को समर्थन देने के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- दोनों मंत्रियों ने टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइस (टीईडी) डिजाइन को अंतिम रूप दिए जाने का स्वागत किया जिसका लक्ष्य समुद्री कछुओं की आबादी पर प्रभाव को कम करना और समुद्री खाद्य व्यापार को बढ़ावा देना है।
- भारत में अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन (यूएसएफडीए) निरीक्षण को महामारी-पूर्व स्तर तक बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया जो फार्मास्युटिकल क्षेत्र के लिए महत्त्वपूर्ण है।
- मंत्रियों ने भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार में मजबूत वृद्धि को स्वीकार किया जिसके 2023 में 200 बिलियन डॉलर से अधिक होने की संभावना है।

आगे की राह:

भारत-अमेरिका व्यापार संबंध विभिन्न स्तरों पर नियमित जुड़ाव की योजना बनाते हैं जिसमें त्रैमासिक कार्य समूह की बैठकें और एक अंतर-सत्रीय टीपीएफ बैठक शामिल है। हालाँकि व्यापार नीति मंच से परे भारत और अमेरिका विभिन्न बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग कर रहे हैं जिनमें क्वाड, आई2यू2 और आईपीईएफ शामिल हैं।

4 भारत का अर्जेंटीना में लिथियम ब्लॉक अधिग्रहण पर समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने अर्जेंटीना में पांच लिथियम ब्लॉक प्राप्त करके रणनीतिक खनिज आपूर्ति सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है।

समझौते का महत्त्व:

- अर्जेंटीना में लिथियम ब्लॉकों का अधिग्रहण सिर्फ एक व्यापारिक लेनदेन से कहीं अधिक है। यह महत्त्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने के लिए भारत के दृष्टिकोण में एक रणनीतिक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है।
- यह भारत के लिए लिथियम आपूर्ति को मजबूत करके विविध स्रोत सुनिश्चित करता है जिससे प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता कम हो जाती है।

- बोल्स्टर लिथियम खनन और डाउनस्ट्रीम क्षेत्र का यह समझौता भारत-अर्जेंटीना के बीच अपने लिथियम खनन तथा प्रसंस्करण क्षेत्रों को विकसित करने में सहयोग को बढ़ावा देता है।

- यह कदम प्रमुख सामग्रियों की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाने में महत्त्वपूर्ण है जो ग्लोबल नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

लिथियम के लिए संघर्ष:

- सीओपी समझौते के तहत भारत 2030 तक अपनी 50% बिजली का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसका एक बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग होना और लिथियम आपूर्ति श्रृंखला की शुरुआत करना है।
- दुनिया भर में किए जा रहे विभिन्न लिथियम समझौतों का उपयोग घरेलू खपत और भंडारण बुनियादी ढांचे के लिए किया जा सकता है। इसका भूराजनीतिक कारण चीन के अतिरिक्त विविधता लाना है।
- भारत सरकार ने भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाने तथा फेम योजना जैसी पहल के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना है।
- मार्च 2022 में भारत ने अपनी 2.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के हिस्से के रूप में बैटरी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चार देशों हेतु प्रोत्साहन को मंजूरी दी है।
- भारत अपना कुल जरूरत हेतु लिथियम आयात करता है। 2022 में प्रेस सूचना ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, इस लिथियम-आयन का 68.17% चीन से आया जिसके बाद हांगकांग 25.48% के साथ दूसरे स्थान पर रहा।

आगे की राह:

लिथियम भंडार के अधिग्रहण के लिए अर्जेंटीना के साथ भारत का हालिया समझौता भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों व आपूर्ति श्रृंखला चैन में विविधता का मार्ग प्रशस्त करेगा। इससे भारत में ऊर्जा विविधता को बढ़ावा मिलेगा।

5 जी-77 का तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन सम्पन्न

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री वी. मुरलीधरन ने युगांडा में आयोजित जी77+ चीन समूह के तीसरे दक्षिण शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने दुनिया के 'भविष्य के विकास इंजन' के रूप में ग्लोबल साउथ की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया।

जी-77 के बारे में:

- यह संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतरसरकारी संगठन है। वर्ष 1964 में जिनेवा में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) के पहले सत्र के दौरान एक संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी।
- इसका उद्देश्य दक्षिण के देशों को उनके सामूहिक आर्थिक हितों को बढ़ावा देने एवं संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर उनकी संयुक्त वार्ता क्षमता को बढ़ाकर विकास के लिए दक्षिण-दक्षिण सहयोग में समन्वय स्थापित करना है।
- समूह में एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, कैरेबियन और ओशिनिया के 134 देश हैं।
- जी-77 की पहली बैठक 1967 में अल्जीयर्स में आयोजित की गई थी, जहाँ अल्जीयर्स के ऐतिहासिक चार्टर को औपचारिक रूप से अपनाया गया था। इसके बाद से जी-77 की संस्थागत संरचना अधिक स्थायी रूप में विकसित हुई।
- चीन इस समूह का हिस्सा नहीं है, इसलिए इस समूह को प्रायः 'जी-77 और चीन' के नाम से जाना जाता है।

सम्मेलन की मुख्य बिंदु:

- वैश्विक दक्षिण प्रतिबद्धताओं की पुनः पुष्टि करना।
- नवीन विकास समाधानों की खोज करना।
- अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय वास्तुकला में सुधार करना।
- दक्षिण-दक्षिण सहयोग को बढ़ावा देना।

जी-77 के दक्षिण शिखर सम्मेलन में भारत की भूमिका:

- भारत का मानना है कि बहुपक्षवाद को राजनीतिक इच्छाशक्ति के साथ सुधारा जा सकता है जिसका उद्देश्य ग्लोबल साउथ की आवाज और प्रतिनिधित्व को मजबूत करना है। इसलिए जी-20 की अध्यक्षता के दौरान भारत वैश्विक आर्थिक और मौद्रिक नीतियों को आकार देने में ग्लोबल साउथ की आवाज को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता रहा है।

आगे की राह:

जो वर्तमान वैश्विक शासन प्रणाली से सबसे अधिक लाभान्वित होते हैं, उनमें सुधार करने की संभावना नहीं होती है, इसीलिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा कि बदलाव की शुरूआत जी-77 से होनी चाहिए तभी समानतापूर्ण वैश्विक व्यवस्था की स्थापना की जा सकेगी।

6 विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान 2024

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) द्वारा जारी विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रुझान 2024 रिपोर्ट के अनुसार कार्यबल में वृद्धि के बावजूद, काम के घंटों की औसत संख्या महामारी-पूर्व स्तरों से अभी भी कम है।

रिपोर्ट के मुख्य बिन्दु:

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के अनुसार, कामकाजी गरीबी दर पुनः महामारी-पूर्व स्तर के करीब पहुंच गई है। महामारी के बाद अर्थव्यवस्थाओं और कार्यस्थलों के फिर से खुलने से वैश्विक बेरोजगारी, 2023 में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई।
- कार्यबल में वृद्धि के बावजूद काम के घंटों की औसत संख्या महामारी-पूर्व के स्तर से कम है। हालिया जारी आईएलओ की

विश्व रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट 2024 इस प्रवृत्ति पर प्रकाश डालती है।

- महामारी के बाद मजबूत रोजगार वृद्धि के कारण 2019 और 2023 के बीच वैश्विक स्तर पर काम के घंटों की कुल संख्या में वृद्धि हुई। हालाँकि औसत और कुल काम किए गए घंटों के बीच का अंतर बढ़ गया जो श्रमिकों के इष्टतम उपयोग में कमी का संकेत देता है।
- कम आय वाले देशों में मामूली वृद्धि को छोड़कर, सभी आय समूहों में 2019 की तुलना में 2023 में प्रति कर्मचारी औसत साप्ताहिक घंटे कम थे। उच्च-मध्यम-आय वाले देशों में काम के औसत घंटों में एक प्रतिशत की कमी थी, जबकि उच्च-आय और निम्न मध्यम आय वाले देशों में 2% से अधिक थी। कमी के कारणों में देखभाल कर्त्तव्यों, स्वास्थ्य कारणों और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याओं के कारण अंशकालिक रोजगार में वृद्धि शामिल है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) कोविड-19 संक्रमण को एक दुर्बल करने वाली मल्टी-सिस्टम बीमारी के रूप में परिभाषित करता है जो SARS-CoV-2 के संपर्क में आने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रभावित करती है। लंबे समय तक रहने वाला कोविड-19 प्रति व्यक्ति बीमार दिनों में वृद्धि का संकेत करता है जिससे काम के औसत घंटों में कमी आती है। महामारी के बाद स्वास्थ्य में गिरावट का मुख्य कारण कोविड-19 संक्रमण है।
- डब्ल्यूएचओ का अनुमान है कि कोविड-19 से प्रभावित लगभग 20% व्यक्तियों को लंबे समय तक कोविड का अनुभव हुआ है जो श्रम बाजार मेट्रिक्स को प्रभावित करता है।
- काम के औसत घंटों में भारी गिरावट का अनुभव करने वाले क्षेत्रों में आवास और खाद्य सेवाएं, परिवहन तथा भंडारण, सूचना और संचार, रियल एस्टेट पेशेवर सेवाएं सहित वैज्ञानिक एवं तकनीकी गतिविधियां भी शामिल हैं।

आगे की राह:

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.2% होने का अनुमान लगाया है जो 2023 के 5.1% से थोड़ा अधिक है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2024 रिपोर्ट में कहा गया है कि कामकाजी गरीबी बनी रहेगी जिससे आय असमानता बढ़ेगी, इसलिए स्थायी पुनर्प्राप्ति के लिए अधिक सामाजिक न्याय की आवश्यकता है।

7 चीन की जनसंख्या में गिरावट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रकाशित राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो की रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले वर्ष (2023) में केवल 9.02 मिलियन जन्म हुआ जोकि 2017 की तुलना में 50 प्रतिशत है। 2023 में चीनी लोगों की 11.1 मिलियन मौतों के साथ दो वर्षों में लगभग 3 मिलियन जनसंख्या का नुकसान हुआ है। यह लगातार दो गिरावट 1959-1961 के भीषण अकाल के बाद पहली बार है।

हालिया रुझान किस बारे में है?

- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, इस शताब्दी के अंत तक चीनी आबादी 45% तक कम होने की उम्मीद है।
- अधिकांश दर्ज मानव इतिहास में चीन ने दुनिया में सबसे बड़ी आबादी का दावा किया है।
- वर्तमान समय में देश की जनसंख्या में गिरावट देखी जा रही है जो 1961 के बाद पहली गिरावट है जब देश 'ग्रेट लीप फॉरवर्ड' अभियान के विफल होने के बाद चार साल के अकाल से जूझ रहा था।
- छह दशकों में पिछले वर्ष पहली बार हुआ जब मौतों की संख्या जन्म से अधिक हो गई।
- प्रजनन दर (महिलाओं से पैदा होने वाले बच्चों की औसत संख्या) 1.3 है जिसका अर्थ है कि आप्रवासन के बिना जनसंख्या में कमी बनी रहेगी।
- 2040 तक, लगभग एक चौथाई चीनी आबादी 65 वर्ष से अधिक आयु की होने का अनुमान है।
- युवा चीनी नागरिकों में देर से शादी करने और कम या बिल्कुल बच्चे पैदा न करने की प्राथमिकता बढ़ रही है।

चीनी सरकार की जनसंख्या संकट पर प्रतिक्रिया:

- **एक-बच्चे की नीति को खत्म करना-** बीजिंग ने अंततः 2016 में एक-बच्चे की नीति को समाप्त करके दो-बच्चे की नीति लागू की।
- **दो-बच्चे की नीति-** यह नीति वांछित लक्ष्य प्राप्त करने में विफल रही जिसका कारण स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा की उच्च लागत होना माना जा रहा है।
- **तीन बच्चों की नीति-** 2021 में, तीन बच्चों वाले परिवारों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन सहित तीन बच्चों की नीति शुरू की गई।

चीन में घटती जनसंख्या के प्रभाव:

- **श्रम की उपलब्धता-** अर्थव्यवस्था को पोषण देने और आगे आर्थिक विकास को गति देने में सक्षम श्रमिक की संख्या कम होना।
- **विनिर्माण आधार में बदलाव-** वेतन बढ़ने के साथ, विनिर्माण क्षेत्र के निचले स्तर की कई कारखानों का पहले से ही दक्षिण पूर्व एशिया और बांग्लादेश में शिफ्ट होना।
- **वृद्ध आबादी होना-** बड़ी संख्या में वृद्ध माता-पिता जिनके पास केवल एक ही बच्चा है, उन्हें विस्तारित जीवन प्रत्याशा के परिणामस्वरूप भावनात्मक तथा सामाजिक समर्थन की आवश्यकता होना।

आगे की राह:

चीन की सख्त नीतियों के कारण जनसंख्या गिरावट की स्थिति उत्पन्न हुई है जिसमें लचीलापन लाने की जरूरत है तभी चीन में पुनः जनसंख्या वृद्धि संभव हो सकेगी।

पर्यावरणीय मुद्दे

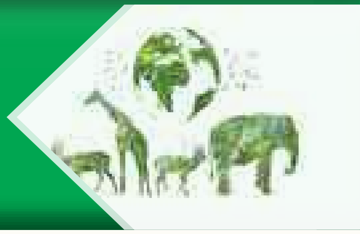

1 जलवायु सेवाओं के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा

चर्चा में क्यों?

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जलवायु खतरों और चरम मौसम की घटनाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ क्लाइमेट सर्विसेज (एनएफसीएस) लॉन्च किया है।

जलवायु सेवाओं हेतु राष्ट्रीय रूपरेखा के बारे में:

- जलवायु सेवाओं के लिए राष्ट्रीय रूपरेखा (एनएफसीएस) देश में पूर्ण- मूल्य श्रृंखला जलवायु सेवाएं प्रदान करने हेतु विभिन्न हितधारकों के बीच सहयोगात्मक प्रयासों को मजबूत करने में मदद करेगा।
- जलवायु सेवाओं के लिए वैश्विक ढांचे की तर्ज पर एनएफसीएस इंडिया का उद्देश्य कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों के लिए विज्ञान-आधारित जलवायु निगरानी तथा भविष्यवाणी सेवाओं के उत्पादन, उपलब्धता, वितरण और अनुप्रयोग को मजबूत करना है।
- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग भारत में राष्ट्रीय ढांचे के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है।

एनएफसीएस की आवश्यकता क्यों?

- आईएमडी (जो दिसंबर 2023 में अपने अस्तित्व के 150वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है) सर्दियों, गर्मी और मानसून के मौसम के लिए दैनिक मौसम पूर्वानुमान तथा मौसम की भविष्यवाणी करता है। इसने दक्षिण एशियाई देशों के लिए उच्च गुणवत्ता वाली मौसम सेवाएँ प्रदान करने में उल्लेखनीय पकड़ हासिल की है।
- इसके मौसम की सटीकता और मानसून, चक्रवात, लू तथा शीतलहर, तूफान और बिजली, बर्फबारी, अचानक बाढ़ (जो मुख्य रूप से भारत जैसे विशाल देश को प्रभावित करते हैं) के लिए मौसमी पूर्वानुमानों में कई गुना सुधार हुआ है।
- मौसम विभाग ने लगातार जमीन-आधारित मौसम अवलोकन स्टेशनों और राडार की संख्या को उन्नत किया, लेकिन भूभागों तथा समुद्रों के पार कई अंतराल क्षेत्र बने हुए हैं जहां मौसम का कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।
- रडार और उपग्रह-आधारित जलवायु विज्ञान की अनुपस्थिति के अलावा हिमालयी क्षेत्रों तथा महासागरों से दीर्घकालिक (100 वर्ष या अधिक) जलवायु संबंधी डेटा की कमी है।

जलवायु सेवाओं के लिए वैश्विक रूपरेखा:

- जलवायु सेवाओं के लिए वैश्विक रूपरेखा (जीएफसीएस) स्थापित करने की घोषणा 2009 में जिनेवा में आयोजित तीसरे विश्व जलवायु सम्मेलन के दौरान की गई थी।
- जीएफसीएस का उद्देश्य तापमान, वर्षा, हवा, मिट्टी की नमी और समुद्र की स्थिति तथा अन्य महत्त्वपूर्ण मौसम मापदंडों पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेटाबेस से उच्च गुणवत्ता वाले डेटा तैयार करना है।
- जीएफसीएस के तहत पांच प्रमुख घटक 'अवलोकन और निगरानी, अनुसंधान, मॉडलिंग व भविष्यवाणी, जलवायु सेवा सूचना प्रणाली, उपयोगकर्ता इंटरफेस प्लेटफॉर्म और क्षमता निर्माण' हैं।

आगे की राह:

बेहतर जलवायु भविष्यवाणियाँ करने के लिए सभी मौसम मापदंडों की जलवायु संबंधी जानकारी के पूर्ण संयोजन की आवश्यकता होती है। कई क्षेत्रों के साथ मौसम तथा जलवायु सेवाओं को एकीकृत करने की आवश्यकता है ताकि उनकी क्षमता को और बढ़ाया जा सके। एनएफसीएस के साथ भूमि और समुद्र पर अवलोकन नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा ताकि डेटा प्रवाह में सुधार सुधार करके जलवायु पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग किया जा सके।

2 विश्व की सबसे बड़े गहरे समुद्र की प्रवाल भित्तियां

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दुनिया की सबसे बड़े गहरे समुद्र की प्रवाल भित्तियां दक्षिण-पूर्व अमेरिकी तटरेखा के पास खोजी गई। ये अंधेरे में रहने वाले प्रवाल संभवतः विभिन्न प्रकार के समुद्री जीवों की सहायता करते हैं जो पहले नहीं खोजे गए होंगे।

मुख्य जानकारी:

- जियोमैटिक्स जर्नल में हालिया प्रकाशित एक नए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने उत्तरी कैरोलिना और फ्लोरिडा के बीच अमेरिकी समुद्र तट से लगभग 100 मील (160 किलोमीटर) दूर स्थित एक विशाल ढलान वाले शेल्फ से डेटा एकत्र किया।
- पहले इन प्रवाल को गहरे समुद्र में रहने वाले प्रवालों के 'टीले' के नाम से जाना जाता था, साथ ही इन्हें ठंडे पानी का प्रवाल भी कहा जाता था।
- ये प्रवाल सतह के नीचे 1,640 से 3,280 फीट (500 से 1,000 मीटर) के बीच 6.4 मिलियन एकड़ (2.6 मिलियन हेक्टेयर) क्षेत्र में फैले हुए हैं।
- प्रवालों की सबसे अधिक बहुतायत उस क्षेत्र में स्थित थी जिसे शोधकर्ताओं ने 'मिलियन माउंड्स' नाम दिया था जो लगभग 158 मील (254 किमी) लंबा और 26 मील (42 किमी) चौड़ा है।
- प्रवाल विस्तार सीधे गल्फ स्ट्रीम के नीचे गर्म पानी की एक गहरी व पोषक तत्वों से भरपूर धारा में स्थित है जो पूर्वी अमेरिकी तट के साथ उत्तर की ओर बहती है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यह उप-सतह सुपर हाइवे संभवतः प्रवालों को वे सभी भोजन प्रदान करता है जिनकी उन्हें इतनी बड़ी सांद्रता में पनपने के लिए आवश्यकता होती है।

गहरे समुद्र वाले प्रवाल क्या हैं?

- गहरे समुद्र में प्रवाल भित्तियाँ उष्णकटिबंधीय प्रवाल भित्तियों से बहुत भिन्न होती हैं। वे ऐसे पानी में रहते हैं जो 39 डिग्री

फारेनहाइट (4 डिग्री सेल्सियस) तक ठंडे पानी में पहुंच सकता है और हजारों वर्षों तक जीवित रह सकता है।

- उष्णकटिबंधीय चट्टानों के विपरीत, गहरे समुद्र के प्रकार मुख्य रूप से सफेद होते हैं क्योंकि ठंडे पानी के प्रवाल के समान रंगीन सहजीवी शैवाल को आश्रय नहीं देते हैं। ये उनके गर्म पानी के समकक्षों को जीवंत रंग देते हैं जो उन्हें प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करते हैं।
- नतीजतन, वे बहुत हद तक उष्णकटिबंधीय चट्टानों के समान दिखते हैं जिन्होंने प्रवाल विरंजन का अनुभव किया है। यह एक ऐसी बीमारी होती है जहां गर्मी-तनावग्रस्त प्रवाल अपने सहजीवी शैवाल को बाहर निकाल देते हैं जिससे उनकी मृत्यु हो जाती है।
- नई खोजी गई चट्टानें मुख्य रूप से प्रवालों की एक प्रजाति डेस्मोफिलम पर्टुसम (जिसे पहले लोफेलिया पर्टुसा के नाम से जाना जाता था) से बनी हैं जिसमें एनालोप्सैमिया और माद्रेपोरा जेनेरा के अन्य प्रवालों का एक छोटा सा मिश्रण है।

आगे की राह:

प्रवाल भित्तियाँ पृथ्वी की सतह के केवल एक छोटे से हिस्से (एक प्रतिशत से भी कम) और समुद्र तल के दो प्रतिशत से भी कम हिस्से को कवर करती हैं, फिर भी वे प्रभावी रीसाइक्लिंग प्रक्रिया के माध्यम से हजारों प्रजाति समुदायों का समर्थन करती हैं। इस कारण इन्हें समुद्र के वर्षावन के रूप में भी जाना जाता है।

3 विश्व नवीकरणीय ऊर्जा में अपर्याप्त वृद्धि - अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी

चर्चा में क्यों?

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने बताया कि दुनिया की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 50% की वृद्धि हुई है, लेकिन यह 2030 तक विश्व की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है जिसे कॉप-28 जलवायु शिखर सम्मेलन में अंतिम रूप दिया गया है।

सकारात्मक विकास के पीछे के कारक:

- वाहनों, उद्योगों और घरेलू ऊर्जा क्षेत्र में जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करते हुए सौर तथा पवन ऊर्जा की बढ़ती तैनाती ने नवीकरणीय ऊर्जा की वैश्विक क्षमता को गति दी है।
- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी रिपोर्ट ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने में ग्रीनहाउस गैसों के सबसे बड़े उत्सर्जक चीन द्वारा किए गए योगदान पर प्रकाश डाला। एजेंसी ने इसे 'दुनिया का नवीकरणीय ऊर्जा केंद्र' कहा है।
- नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की स्थापना पहले से कहीं अधिक किफायती होती जा रही है। जैसा कि कई विकसित देशों में तटवर्ती पवन तथा सौर पैनल जीवाश्म ईंधन संयंत्रों की तुलना में अब कम महंगे हैं।
- सौर फोटोवोल्टिक (पीवी) उपकरणों की कीमतें पिछले वर्ष की तुलना में 2023 में 50% तक गिर गईं।

ये पर्याप्त क्यों नहीं है?

- विभिन्न वैश्विक संरक्षण समूहों के कई कार्यकारी प्रमुखों ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है लेकिन पर्याप्त तेजी से नहीं।
- 2023 में दुबई में कॉप-28 जलवायु शिखर सम्मेलन में अस्पष्ट लक्ष्यीकरण (जिसमें जीवाश्म ईंधन से 'दूर जाने' का आह्वान किया गया था) में बिना कोई समयसीमा तय किए कई देशों द्वारा 'चरण-आउट' की मांग की गई, लेकिन सऊदी अरब जैसे बड़े तेल निर्यातक देश ने इसका विरोध किया। .
- इसके साथ ही कई विकासशील देशों को अभी भी नवीकरणीय ऊर्जा की ओर स्थानांतरित होने में कठिनाई हो रही है क्योंकि इसमें कुशल उत्पादन क्षमताओं के लिए अग्रिम वित्तपोषण और तकनीकी विकास की आवश्यकता होती है।

आगे की राह:

ऊर्जा निगरानी संस्था ने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय देश, चीन और ब्राजील जैसे कई विकसित देश भी तेजी से अपनी ऊर्जा उत्पादन क्षमता को स्थायी साधनों की ओर परिवर्तित कर रहे हैं, लेकिन विश्व बैंक और आईएमएफ जैसी वैश्विक वित्तपोषण एजेंसियों द्वारा विकासशील देशों को टिकाऊ तथा किफायती परिवर्तन के लिए सस्ता वित्त प्रदान करने हेतु अधिक जोर देने की आवश्यकता है।

4 कर्नाटक के पश्चिमी घाट में तितली की नई प्रजाति

चर्चा में क्यों?

बेंगलुरु में नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज (एनसीबीएस-टीआईएफआर) के वैज्ञानिकों की एक टीम ने इंडियन फाउंडेशन फॉर बटरफ्लाइज ट्रस्ट के शोधकर्ताओं के सहयोग से कर्नाटक में भारत के पश्चिमी घाटों में जैव विविधता वाले हॉटस्पॉट में सिल्वरलाइन तितली की नई प्रजातियों की पहचान की है।

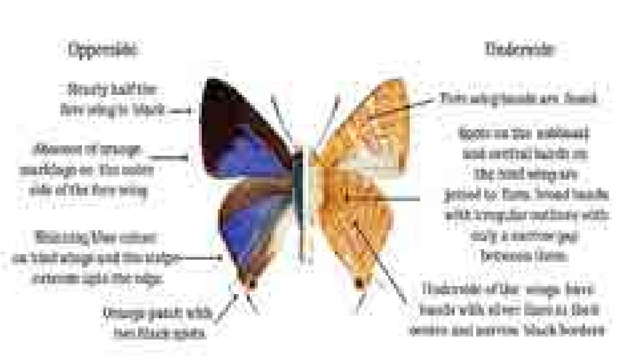

प्रजाति के बारे में:

- सिगरिट्स मेघामालियेन्सिस (Cigaritis Meghamalaiensis) नाम

की यह अनोखी प्रजाति लाइकेनिडाई परिवार से संबंधित है। इसे पहली बार 2008 में देखा गया था लेकिन व्यापक शोध के तहत 2021 में चर्चा बना।

- भारत में सिल्वरलाइन तितलियों की 16 प्रजातियाँ हैं जिनमें से 11 प्रायद्वीपीय भारत और श्रीलंका दोनों में पाई जाती हैं। हालाँकि ये तितली प्रजातियाँ भारत में व्यापक हैं, लेकिन कुछ हिमालय क्षेत्र तक ही सीमित हैं।
- नव वर्णित संयुक्त सिल्वरलाइन तितली, पश्चिमी घाट में खोजी गई दूसरी स्थानिक प्रजाति है और मुख्य रूप से घने मध्य-ऊंचाई वाले सदाबहार जंगलों में पाई जाती है जो विशेष निवास स्थान प्राथमिकताओं को दर्शाती है।

आकृति विज्ञान (Morphology):

- इस तितली के ऊपरी भाग पर पंख का लगभग आधा भाग काला, जबकि निचले पंखों पर चमकदार नीला रंग होता है। निचले पंखों पर दो काले धब्बों के साथ एक नारंगी रंग का धब्बा, जबकि ऊपरी पंख के बाहरी किनारे पर कोई नारंगी निशान नहीं होता है।
- जो पंखों का नीचे की ओर भाग होता है, उसमें रंगों की पट्टियाँ दिखाई देती हैं। ऊपरी पंखों के बैंड बिना अलग हुए एक साथ जुड़े हुए हैं और निचले पंखों पर धब्बे हैं जो अनियमित रूपरेखा के साथ चौड़े बैंड बनाने के लिए जुड़े हुए हैं।
- नीचे की तरफ बीच में चांदी की रेखाओं वाले बैंड और किनारों पर पतली काली लकीरें हैं।

आगे की राह:

विशिष्ट आवास प्राथमिकताओं के साथ गैर-वर्णित प्रजातियों की खोज शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के लिए विशेष रूप से उत्साहजनक है जो जैव विविधता दस्तावेजीकरण तथा संरक्षण के अभियान को बढ़ावा दे सकती है।

5 भारत के वर्षा पैटर्न पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव

चर्चा में क्यों?

सीईईडब्ल्यू के एक अध्ययन के अनुसार, तेजी से बढ़ते जलवायु संकट ने भारत के वर्षा पैटर्न को प्रभावित किया है जिसके कारण देश की 55 प्रतिशत तहसीलों में 2012 से 2022 तक दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। इस 10 प्रतिशत वृद्धि की तुलना 1982 से 2011 तक जलवायु आधार रेखा से की गई है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष:

- स्वतंत्र थिंक-टैंक 'द काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वॉटर (सीईईडब्ल्यू)' द्वारा 'डिकोडिंग इंडियाज चेंजिंग मॉनसून पैटर्न' शीर्षक वाला अध्ययन जलवायु परिवर्तन की तेज दर के लिए वर्षा के पैटर्न में बदलाव पर प्रकाश डालता है।
- अध्ययन में पूरे भारत में 4,500 से अधिक तहसीलों के 40 साल के वर्षा डेटा का विश्लेषण करके 11 प्रतिशत उप-जिलों में 10 साल की अवधि में दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा में कमी देखी गई।
- आंकड़ों से पता चला कि भारत के लगभग 30 प्रतिशत जिलों में कम वर्षा वाले वर्षों की संख्या अधिक थी, जबकि 38 प्रतिशत में अत्यधिक वर्षा वाले वर्षों की संख्या अधिक थी।
- इनमें से नई दिल्ली, बेंगलुरु, नीलगिरी, जयपुर, कच्छ और इंदौर सहित 23 प्रतिशत जिलों में कम तथा अत्यधिक वर्षा वाले वर्ष देखे गए। देश में लगभग 717 जिले हैं जहां से भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) मानसून डेटा एकत्र करता है।

सिन्धु-गंगा के मैदानों पर प्रभाव:

- जिन तहसीलों में कम बारिश दर्ज की गई, वे वर्षा आधारित सिंधु-गंगा के मैदानी इलाकों, पूर्वोत्तर भारत और ऊपरी हिमालयी क्षेत्र में स्थित हैं। ये क्षेत्र कृषि उत्पादन के लिए महत्त्वपूर्ण हैं जो नाजुक पारिस्थितिक तंत्र का क्षेत्र है, विशेष रूप से चरम जलवायु घटनाओं के प्रति संवेदनशील हैं।
- राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों जैसे परंपरागत रूप से शुष्क क्षेत्रों में अध्ययन की गई लगभग एक चौथाई तहसीलों में जून से सितंबर की अवधि के दौरान वर्षा में 30 प्रतिशत से अधिक की स्पष्ट वृद्धि देखी गई।
- यह भी पाया गया कि इन तहसीलों में बढ़ी हुई वर्षा लगातार कम अवधि की, भारी वर्षा की घटनाओं का परिणाम है जो अक्सर बाढ़ का कारण बनती है।

पूर्वोत्तर मानसून पर प्रभाव:

- पूर्वोत्तर मानसूनी वर्षा (जो मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय भारत को प्रभावित करती है) पिछले दशक (2012-2022) में तमिलनाडु की लगभग 80 प्रतिशत तहसीलों, तेलंगाना में 44 प्रतिशत और आंध्र प्रदेश में 39 प्रतिशत से अधिक बढ़ गई है।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि मासिक आधार पर भारत में लगभग 48 प्रतिशत तहसीलों में अक्टूबर में 10 प्रतिशत से अधिक बारिश देखी गई जो उपमहाद्वीप से दक्षिण-पश्चिम मानसून की देरी से वापसी के कारण हो सकता है।

आगे की राह:

अध्ययन में स्थानीय स्तर पर आधारित मानसून के प्रदर्शन की करीबी मैपिंग की सिफारिश की गई है जो मानसून परिवर्तनशीलता के खिलाफ लचीलापन बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण है। आईएमडी का हाल ही में लॉन्च किया गया मिशन 'पंचायत मौसम सेवा' इस संबंध में एक बड़ा कदम है जिसका उद्देश्य हर गांव में हर किसान तक मौसम के पूर्वानुमान की सूचना पहुंचानी है।

6 तेजी से हो रहे शहरीकरण से ग्लोबल वार्मिंग का खतरा - स्टडी

चर्चा में क्यों?

पूर्वी राज्य ओडिशा के शहर भुवनेश्वर पर हुए अध्ययन में शहर का तेजी से शहरीकरण होने से वैश्विक तापन का अनुभव हुआ। उदाहरण के लिए 2004-2015 की अवधि के दौरान शहर के निर्मित क्षेत्र में लगभग 166% की वृद्धि हुई। उपग्रह-आधारित अवलोकनों का उपयोग करने वाले अध्ययनों से पता चला है कि शहर के ऊपर रात के समय

तापमान 1°C अधिक था। ऐसी वार्मिंग विशेष रूप से शहर की परिधि में नए शहरीकरण वाले क्षेत्रों में अधिक है, इन शहरों में लगभग दोगुनी वार्मिंग का अनुभव हो रहा है।

तापमान में वृद्धि करने वाले कारक:

- सूक्ष्म जलवायु में परिवर्तन, शहर का विस्तार, वनस्पति आवरण में परिवर्तन आदि जैसे विभिन्न कारकों से तापमान में बढ़त देखी गयी है। शहर में देखी गई कुल वार्मिंग का लगभग 60% स्थानीय गतिविधियों/परिवर्तनों के कारण हुआ।
- इमारतें, सड़कें और अन्य बुनियादी ढांचे जैसी संरचनाएं जंगलों तथा जल निकायों जैसे प्राकृतिक परिदृश्यों की तुलना में सूर्य की गर्मी को अधिक अवशोषित और पुनः उत्सर्जित करती हैं। शहरी क्षेत्रों में जहां ये संरचनाएं अत्यधिक केंद्रित हैं और हरियाली सीमित है, इससे तापमान बढ़ा है।
- पूर्वी ओडिशा में हवा की गति कम होने से तापमान का डिस्ट्रीब्यूशन कम हो गया है।

शहरों का अवलोकन:

- दुनिया की आधी से अधिक आबादी अब शहरों में रहती है तथा इस प्रकार बढ़ती गर्मी के तनाव और चरम स्थितियों जैसे शहरी जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील हैं। वैश्विक स्तर पर शहर, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 80% से अधिक और सभी ग्रीनहाउस गैसों/कार्बन उत्सर्जन में 75% से अधिक का योगदान करते हैं, इसलिए वे दोनों जलवायु परिवर्तन में योगदानकर्ता हैं।
- हालाँकि, राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) और राष्ट्रीय अनुकूलन योजनाओं में उनका प्रतिनिधित्व अपर्याप्त है, फिर भी 11वें सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) में विशेष रूप से शहरों पर ध्यान केंद्रित करने तथा जी-20 के तहत यू-20 जैसे समूहों के गठन ने शहर-स्तरीय कार्य योजनाओं की आवश्यकता को स्वीकार किया है।
- सीओपी-28 में शहरीकरण और जलवायु परिवर्तन पर मंत्रिस्तरीय बैठक में जलवायु परिवर्तन शमन तथा अनुकूलन लक्ष्यों को प्राप्त करने में शहरों के महत्त्व और भूमिका पर जोर दिया गया। ये पहल शहरों से जुड़े महत्त्व और जलवायु परिवर्तन शमन तथा अनुकूलन सहित वैश्विक मामलों में उनकी भूमिका को दर्शाती हैं।

आगे की राह:

हालाँकि जलवायु परिवर्तन शहरों के तापमान में वृद्धि का सबसे बड़ा कारक है, लेकिन नए अध्ययन में स्थानीय गतिविधियों की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है जिसके कारण तापमान में वृद्धि हुई है। अब समय की मांग है कि शहरी तापमान से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन और स्थानीय गतिविधियों जैसे दोनों कारकों पर काम किया जाए।

7 ग्रीनलैंड में तेजी से कम हो रहा बर्फ का आवरण: अध्ययन

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राज्य अमेरिका के शोधकर्ताओं ने 1985 से 2022 तक ग्लेशियर टर्मिनस की स्थिति की लगभग 2,40,000 उपग्रह छवियों को संकलित करके निष्कर्ष निकाला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्रीनलैंड में पहले की तुलना में अनुमान से 20% अधिक बर्फ का आवरण कम हो गया है।

मुख्य बिंदु:

- पूर्व के अध्ययनों से पता चला है कि पिछले दो दशकों में ग्रीनलैंड की बर्फ की सतह से लगभग 5,000 गीगाटन बर्फ कम हो गई है जो समुद्र के बढ़ते स्तर में एक प्रमुख योगदानकर्ता है।

- हालाँकि, वर्तमान अध्ययन में पाया गया कि पिछले चार दशकों में ग्रीनलैंड के किनारों के आसपास 1,000 गीगाटन (1 गीगाटन 1 बिलियन टन के बराबर) या 20% से अधिक बर्फ नष्ट हुई जिसको रिकॉर्ड नहीं किया गया।
- शोधकर्ताओं ने फिर भी इस बात पर जोर दिया है कि इससे समुद्री जलस्तर की वृद्धि पर न्यूनतम प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ेगा क्योंकि द्वीप के किनारों पर बर्फ पहले से ही पानी में है। हालाँकि इससे समग्र रूप से बर्फ पिघल सकती है जिससे ग्लेशियर अधिक आसानी से समुद्र की ओर खिसक सकते हैं।
- शोधकर्ताओं ने पाया कि ग्रीनलैंड के ग्लेशियर मौसमी परिवर्तनों के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील हैं जो सर्दियों में फैलते हैं और गर्मियों में कम हो जाते हैं। ये ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के प्रति भी सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं और इन ग्लेशियरों ने 1985 के बाद से महत्त्वपूर्ण गिरावट का अनुभव किया है।

निष्कर्ष:

- ऐसा अनुमान है कि 2002 के बाद से ग्रीनलैंड की विशाल बर्फ की चादर के पिघलने से समुद्र के स्तर में 20% से अधिक की वृद्धि देखी गई है।
- यूएन एटलस ऑफ ओसियंस का कहना है कि दुनिया के 10 सबसे बड़े शहरों में से 8 शहर तट के करीब हैं। समुद्र का स्तर बढ़ने से उच्च ज्वार, बाढ़ और तूफान अधिक बार आएंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं और बुनियादी ढांचे के लिए खतरा पैदा हो जाएगा।
- इस तरह के ग्लेशियर के पीछे हटने से जोंबी बर्फ (जिसे डेड आइस या डूम्ड आइस भी कहा जाता है) के पिघलने का भी खतरा बन सकता है। ये वो बर्फ है जो पैरेंट आइस शीट या पुरानी बर्फ से जुड़ी होती है, लेकिन बर्फबारी होने के बावजूद ताजा बर्फ को अपने ऊपर जमने नहीं देती, जब भी जॉम्बी बर्फ तेजी से पिघलती है समुद्री जल स्तर बढ़ने लगता है।

1 रोगाणुरोधी प्रतिरोध का मुकाबला

चर्चा में क्यों?

रोगाणुरोधी प्रतिरोध की बढ़ती चुनौती के प्रति सक्रिय प्रतिक्रिया के लिए भारत में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकित्सकों को एक निर्देश जारी किया है जिसमें एंटीबायोटिक्स निर्धारित करते समय कारणों का दस्तावेजीकरण करने का आग्रह किया गया है। इस अपील की तात्कालिकता दवा-प्रतिरोधी रोगजनकों के बढ़ते खतरे को रेखांकित करती है।

रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) क्या है?

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) एक ऐसी घटना है जो तब होती है जब सूक्ष्मजीव, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी, समय के साथ परिवर्तन से गुजरते हैं जिससे उन्हें मुकाबला करने के लिए बनाई गई दवाओं के प्रति कम प्रतिक्रियाशील या पूरी तरह से अनुत्तरदायी बना दिया जाता है।
- इन रोगजनकों की अनुकूलन और इस तरह से विकसित होने की क्षमता ही संक्रमण के इलाज के लिए बनाई गई दवाओं को तेजी से अप्रभावी बना देती है।

अनुकरणीय प्रथाओं हेतु सरकार की अपील:

- मेडिकल कॉलेजों को संबोधित एक पत्र में केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने विवेकपूर्ण ढंग से एंटीबायोटिक उपयोग का उदाहरण स्थापित करने की वकालत की है। मेडिकल कॉलेजों के डॉक्टरों के लिए निर्देशित अपील, रोगाणुरोधकों को लिखते समय सटीक संकेत, कारण या औचित्य को शामिल करने की अनिवार्यता पर जोर देती है।
- भावी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के प्रशिक्षण में इन प्रथाओं को शामिल करके सरकार का लक्ष्य जिम्मेदार एंटीबायोटिक उपयोग की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

कानूनी अनुपालन और रिकॉर्ड रखने पर जोर:

- फार्मासिस्ट के लिए संदेश मौजूदा कानूनी ढांचे को इस बात पर जोर देता है कि दवा नियमों का पालन सिर्फ एक नैतिक कर्त्तव्य नहीं, बल्कि एक कानूनी दायित्व है। शक्तिशाली तीसरी और चौथी पीढ़ी के रोगाणुरोधी दवाओं सहित अनुसूची H1 दवाओं की बिक्री के रिकॉर्ड को तीन साल की अवधि के लिए सावधानीपूर्वक बनाए रखा जाना चाहिए। यह सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड-कीपिंग किसी भी संभावित कदाचार या अनधिकृत बिक्री के खिलाफ निवारक के रूप में कार्य करती है।

दुरुपयोग के खतरे को संबोधित करना:

- दवा प्रतिरोधी रोगजनकों के विकास में रोगाणुरोधकों के दुरुपयोग और अति प्रयोग द्वारा निभाई गई महत्त्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए सरकार विवेकपूर्ण एंटीबायोटिक उपयोग की आवश्यकता को रेखांकित करती है। अनुसंधान और विकास पाइपलाइन में नए एंटीबायोटिक दवाओं की कमी के साथ, विवेकपूर्ण रोगाणुरोधी उपयोग को बढ़ावा देने में सामूहिक समर्थन का आह्वान करती है। सरकार का निर्देश एक सर्वेक्षण की पृष्ठभूमि में प्रतिध्वनित होती है जिसमें खुलासा हुआ है कि तृतीयक देखभाल अस्पतालों में 71.9% रोगियों को एंटीबायोटिक्स निर्धारित किया गया था जिनमें से आधे से अधिक नुस्खे उपचारात्मक उपायों के बजाय निवारक उपायों के उद्देश्य से थे।

आगे की राह:

सरकार का यह दिशानिर्देश डॉक्टरों, फार्मासिस्टों और मेडिकल कॉलेजों को शामिल करते हुए सरकार के बहुआयामी दृष्टिकोण के सदुपयोग का प्रतीक है। जिम्मेदार प्रिस्क्राइबिंग प्रथाओं को स्थापित करके और कानूनी अनुपालन को मजबूत करके एंटीबायोटिक दवाओं की प्रभावकारिता को सुरक्षित रखने का प्रयास किया जा सकता है।

2 इसरो का डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर लांच

चर्चा में क्यों?

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने दूसरी पीढ़ी का डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर (DAT-SG) विकसित किया है जिसमें उन्नत उपग्रह संचार और नेविगेशन क्षमताएं हैं। यह विकास परिचालन पहली पीढ़ी के डीएटी की सफलता पर आधारित है जिसकी 2010 से वर्तमान तक 20,000 से अधिक इकाइयाँ उपयोग में हैं।

वास्तविक समय आपातकालीन संचार:

- डीएटी-एसजी समुद्र में मछुआरों को वास्तविक समय पर रसीद प्राप्त करते हुए अपनी नावों से आपातकालीन संदेश भेजने की अनुमति देता है। संदेश संचार उपग्रहों के माध्यम से प्रसारित किए जाते हैं और भारतीय मिशन नियंत्रण केंद्र (आईएनएमसीसी) में डिकोड किए जाते हैं जिससे संकटग्रस्त मछली पकड़ने वाली नाव की पहचान का पता चलता है। इसके बाद यह महत्त्वपूर्ण जानकारी

भारतीय तट रक्षक (आईसीजी) के तहत समुद्री बचाव समन्वय केंद्रों (एमआरसीसी) को भेज दी जाती है।

डीएटी-एसजी की उन्नत सुविधाएँ:

- उपग्रह संचार और नेविगेशन में प्रगति के साथ इसरो ने डीएटी को अपनी दूसरी पीढ़ी तक बढ़ाया है। डीएटी-एसजी न केवल संकेतों को प्रसारित करता है, बल्कि संकट चेतावनी को सक्रिय करते हुए मछुआरों को रसीद वापस भेजने की एक अद्वितीय क्षमता भी प्रदान करता है। यह दो-तरफा संचार सुनिश्चित करता है कि मछुआरों को आश्वासन मिले कि एक बचाव दल रास्ते में है।

सक्रिय आपातकालीन अलर्ट और नेविगेशन सहायता:

- डीएटी-एसजी की उन्नत क्षमताएं नियंत्रण केंद्र से संदेश प्राप्त करने तक विस्तारित हैं जिससे प्रतिकूल मौसम की स्थिति, चक्रवात, सुनामी या अन्य आपात स्थितियों के बारे में अग्रिम अलर्ट प्रसारित करने की अनुमति मिलती है। यह मछुआरों को सुरक्षित लौटने या सुरक्षित स्थानों की तलाश करने जैसे निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। इसके अतिरिक्त ट्रांसमीटर पकड़ को अनुकूलित करने और समय तथा ईंधन बचाने के लिए संभावित मछली पकड़ने के क्षेत्रों (पीएफजेड) के बारे में जानकारी प्रदान करता है।

मोबाइल उपकरणों के साथ एकीकरण:

- डीएटी-एसजी को ब्लूटूथ के माध्यम से मोबाइल फोन से निर्बाध रूप से जोड़कर एक समर्पित ऐप का उपयोग करके संदेशों को मूल भाषा में पढ़ा जा सकता है। यह एकीकरण मछुआरों और नियंत्रण केंद्र के बीच कुशल संचार की सुविधा प्रदान करता है।

सागरमित्र-रीयल-टाइम नेटवर्क प्रबंधन:

- आईएनएमसीसी में 'सागरमित्र' नामक एक वेब-आधारित नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली कार्यरत है। यह प्रणाली पंजीकृत डीएटी-एसजी का एक व्यापक डेटाबेस बनाए रखती है जो एमआरसीसी को संकटग्रस्त नावों के बारे में वास्तविक समय की जानकारी तक पहुंचने में सक्षम बनाती है। यह त्वरित प्रतिक्रिया तंत्र सुनिश्चित करता है कि भारतीय तटरक्षक संकट की स्थिति के दौरान देरी को कम करते हुए तुरंत खोज और बचाव अभियान चला सकता है।

आगे की राह:

डीएटी-एसजी का उद्घाटन समुद्री सुरक्षा में एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर है जो मछुआरों के कल्याण के लिए तकनीकी प्रगति का लाभ उठाने की इसरो की प्रतिबद्धता पर जोर देता है। 24x7 परिचालन क्षमताओं के साथ, डीएटी-एसजी मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए आशा की किरण के रूप में देखा जा रहा है जो समुद्र में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

3 मिट्टी से चलने वाला ईंधन सेल

चर्चा में क्यों?

नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिट्टी से संचालित ईंधन सेल विकसित किया है जो मिट्टी में रहने वाले रोगाणुओं से ऊर्जा प्राप्त करता है। एक किताब के आकार की यह नवोन्वेषी तकनीक, ऊर्जा परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है, विशेष रूप से हरित बुनियादी ढांचे और सटीक कृषि अनुप्रयोगों में।

सतत विकल्पों की आवश्यकता:

- जहरीले और ज्वलनशील रसायनों से युक्त पारंपरिक बैटरियों ने पर्यावरण संबंधी चिंताएँ बढ़ा दी हैं, खासकर जब मिट्टी में उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त पारंपरिक बैटरियों की विनिर्माण प्रक्रियाएं इलेक्ट्रॉनिक कचरे में योगदान करती हैं जो अक्सर संघर्ष-प्रभावित आपूर्ति श्रृंखलाओं से जुड़ी होती हैं। मिट्टी से संचालित ईंधन सेल एक आशाजनक टिकाऊ और नवीकरणीय विकल्प के रूप में उभर रहा है जो खतरनाक सामग्रियों से उत्पन्न जोखिमों को समाप्त करता है।

परीक्षण और अनुप्रयोग:

- शोधकर्ताओं ने स्पर्श का पता लगाने और मिट्टी की नमी को मापने में सक्षम पावर सेंसरों के लिए ईंधन सेल का उपयोग करके व्यापक परीक्षण किए। कंप्यूटिंग मशीनरी एसोसिएशन की कार्यवाही में प्रकाशित परिणामों ने उपकरणों के विकेंद्रीकृत नेटवर्क, विशेष रूप से इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी) का समर्थन करने में ईंधन सेल की व्यवहार्यता को प्रदर्शित किया। अनुप्रयोगों में स्पर्श-संवेदनशील सेंसर के माध्यम से जानवरों को ट्रैक करने से लेकर मिट्टी से संचालित सेंसर से जुड़े एक छोटे एंटीना के माध्यम से डेटा संचारित करना शामिल है।

अंतहीन ऊर्जा स्रोत:

- पारंपरिक माइक्रोबियल ईंधन सेल के विपरीत (जो कम नमी की स्थिति में चुनौतियों का सामना करते हैं) नव विकसित ईंधन सेल एक अद्वितीय ज्यामितीय डिजाइन का दावा करता है। एनोड और कैथोड की पारंपरिक समानांतर व्यवस्था से हटकर, यह ईंधन सेल एक लंबवत डिजाइन का उपयोग करता है। यह नवप्रवर्तन लगातार वायु प्रवाह सुनिश्चित करता है और सूखी मिट्टी में एमएफसी संचालन के लिए जलयोजन तथा ऑक्सीजनेशन के मुद्दे को संबोधित करता है।
- यह लंबवत डिजाइन जमीन के साथ एक फ्लश सतह की सुविधा प्रदान करता है जिसे मलबे से बचाने के लिए 3 डी-मुद्रित कवर के साथ शामिल किया जाता है। कैथोड का निचला सिरा (जो जलयोजन बनाए रखने के लिए महत्त्वपूर्ण है) मिट्टी की सतह के नीचे स्थित रहता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि यह डिजाइन सेंसर संचालन के लिए आवश्यकता से 68 गुना बिजली उत्पन्न करता है जो मिट्टी की नमी में महत्त्वपूर्ण परिवर्तनों के बावजूद लचीलापन प्रदर्शित करता है।
- शोधकर्ताओं ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि मिट्टी से संचालित एमएफसी के सभी घटकों को स्थानीय हार्डवेयर स्टोर से प्राप्त किया जा सकता है। सैद्धांतिक रूप से, जब तक मिट्टी में रोगाणु और कार्बनिक कार्बन मौजूद हैं, ईंधन सेल में अनिश्चित काल तक काम करने की क्षमता है। यह टिकाऊ और स्थायी ऊर्जा समाधानों के लिए एक आकर्षक संभावना पेश करता है।

आगे की राह:

मिट्टी से संचालित ईंधन सेल पर्यावरणीय अनुकूल ऊर्जा विकल्पों की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। इसका अभिनव डिजाइन, प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता और अनुप्रयोगों में बहुमुखी प्रतिभा इसे अगली पीढ़ी के इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों को शक्ति प्रदान करने तथा अधिक टिकाऊ भविष्य में योगदान देने हेतु एक आशाजनक विकल्प के रूप में स्थापित करती है।

4 कैमरून में मलेरिया वैक्सीन के प्रयोग की अनुमति

चर्चा में क्यों?

कैमरून नई मलेरिया वैक्सीन मॉस्किरिक्स (Mosquirix) को व्यवस्थित रूप से प्रशासित करने वाला पहला देश बनकर एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल किया है। यह मलेरिया से निपटने के वैश्विक प्रयास में एक महत्त्वपूर्ण कदम है, विशेष रूप से उप-सहारा अफ्रीका में, जहां विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने मध्यम से उच्च प्लास्मोडियम फाल्सीपेरम मलेरिया संचरण का सामना करने वाले बच्चों के लिए 2021 में मॉस्किरिक्स के उपयोग को लाइसेंस दिया था।

मलेरिया के बारे में:

- मलेरिया में लक्षणों की एक शृंखला होती है जो गंभीरता और अभिव्यक्ति में भिन्न हो सकती है। सामान्य लक्षणों में बुखार, ठंड लगना, पसीना आना, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और थकान शामिल हैं। अन्य लक्षणों में मतली, उल्टी और दस्त शामिल हो सकते हैं। गंभीर मामलों में मलेरिया एनीमिया, श्वसन संकट, अंग विफलता और चरम मामलों में मृत्यु जैसी जटिलताओं का कारण बन सकता है। लक्षणों की गंभीरता अक्सर संक्रमण पैदा करने वाले प्लास्मोडियम परजीवी की प्रजाति पर निर्भर करती है।

इलाज:

- मलेरिया में आमतौर पर मलेरियारोधी दवाएं शामिल होती हैं। दवा का चुनाव परजीवी की प्रजाति, संक्रमण की गंभीरता और रोगी की उम्र तथा स्वास्थ्य स्थिति जैसे कारकों पर निर्भर करता है। आर्टेमिसिनिन-आधारित संयोजन चिकित्सा (एसीटी) आमतौर पर उपयोग की जाती है जो मलेरिया के खिलाफ प्रभावी साबित हुई है। हालाँकि, दवा प्रतिरोध एक बढ़ती हुई चिंता है जो चल रहे अनुसंधान और नई मलेरिया-रोधी दवाओं के विकास की आवश्यकता पर जोर देती है।
- मलेरिया नियंत्रण में निवारक उपाय महत्त्वपूर्ण हैं, विशेषकर स्थानिक क्षेत्रों में।
- **वेक्टर नियंत्रण:** चूंकि मलेरिया संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है, इसलिए वेक्टर नियंत्रण एक मौलिक रोकथाम दृष्टिकोण है। इसमें मच्छरों के प्रजनन स्थलों को कम करने के लिए कीटनाशक-उपचारित बिस्तर जाल का उपयोग, कीटनाशकों के इनडोर अवशेषों का छिड़काव और पर्यावरण प्रबंधन शामिल है।
- **कीमोप्रिवेंशन:** उच्च मलेरिया संचरण वाले क्षेत्रों में संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों जैसी कमजोर आबादी को निवारक मलेरिया-रोधी दवाएं दी जा सकती हैं।
- **व्यक्तिगत सुरक्षा उपाय:** व्यक्ति कीट निरोधकों का उपयोग करके लंबी बाजू के कपड़े पहनकर और कीटनाशक-उपचारित बिस्तर जाल के नीचे सोकर बचाव कर सकते हैं।
- **शीघ्र निदान और उपचार:** गंभीर बीमारी और मृत्यु को रोकने के लिए मलेरिया के मामलों का शीघ्र निदान और उपचार महत्त्वपूर्ण है। मलेरिया के निदान के लिए रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) और माइक्रोस्कोपी सामान्य तरीके हैं।
- **टीकाकरण:** मलेरिया वैक्सीन का विकास, जैसे कि आरटीएस, एस/एएस01 वैक्सीन, मलेरिया की रोकथाम में एक महत्त्वपूर्ण कदम का सूचक है। हालांकि यह कोई सटीक समाधान नहीं है, लेकिन टीके बीमारी के बोझ को कम करने में योगदान दे सकते हैं।

आगे की राह:

जीएवीआई द्वारा समर्थित मॉस्किरिक्स वैक्सीन के साथ कैमरून की पहल, मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति का प्रतिनिधित्व करती है जो उप-सहारा अफ्रीका और उससे आगे की कमजोर आबादी के लिए एक स्वस्थ भविष्य की आशा प्रदान करती है।

5 मौसम संबंधी कारकों से स्क्रब टाइफस बीमारी बढ़ने की संभावना - स्टडी

चर्चा में क्यों?

तमिलनाडु के वेल्लोर में किए गए एक अध्ययन में मौसम संबंधी कारकों और स्क्रब टाइफस की व्यापकता के बीच एक संबंध स्थापित किया गया है जो वेक्टर-जनित बीमारियों पर जलवायु के प्रभाव का उल्लेख करता है।

स्क्रब टाइफस बीमारी पर वर्षा की भूमिका:

- 15 वर्षों में किए गए अध्ययन से वर्षा और स्क्रब टाइफस के बीच एक मात्रात्मक संबंध का पता चलता है। वर्षा में प्रत्येक मिलीमीटर वृद्धि के लिए मासिक स्क्रब टाइफस मामलों में 0.5% से 0.7% की वृद्धि होती है।
- यह जलवायु पैटर्न और संक्रामक रोगों के संचरण के बीच जटिल संबंध को रेखांकित करता है, विशेष रूप से वेक्टर-जनित खतरों के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों में।

आर्द्रता का स्क्रब टाइफस पर प्रभाव:

- मौसम संबंधी कारकों की गहराई से पड़ताल करते हुए शोध में औसत सापेक्ष आर्द्रता में प्रत्येक प्रतिशत वृद्धि के लिए मासिक स्क्रब टाइफस मामलों में 7.6% की उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। यह ओरिएंटिया त्सुत्सुगामुशी, स्क्रब टाइफस पैदा करने वाले बैक्टीरिया, के प्रसार के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने में आर्द्रता की महत्त्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है।

स्क्रब टाइफस: एक जलवायु-संवेदनशील संक्रामक खतरा

- स्क्रब टाइफस, ओरिएंटिया त्सुत्सुगामुशी (Orientia Tsutsugamushi) के कारण होता है जो संक्रमित घुनों (Infected Chiggers) के माध्यम से फैलता है। अध्ययन में स्क्रब टाइफस की व्यापकता के साथ तापमान, वर्षा और आर्द्रता के संबंध की जांच की गई है जिससे एक गतिशील अंत:क्रिया का पता चलता है जो रोग के मौसमी पैटर्न को प्रभावित करता है।
- **मौसम की गंभीरता:** बुखार, सिरदर्द और शरीर में दर्द जैसे लक्षणों वाली यह बीमारी स्थानिक क्षेत्रों में मौसमी रूप से प्रदर्शित होती है। शोध से पता चलता है कि ठंड के महीनों के साथ अगस्त से फरवरी तक इस मामलों की संख्या चरम पर होती है। गंभीर मामलों में श्वसन संकट, अंग विफलता और घातक मामलों में मृत्यु भी हो सकती है।

स्वास्थ्य देखभाल और रोकथाम रणनीतियां:

- **सक्रिय स्वास्थ्य देखभाल उपाय:** इसका निष्कर्ष बरसात के मौसम और बढ़ी हुई आर्द्रता वाले ठंडे महीनों के दौरान शीघ्र उपचार के महत्त्व को रेखांकित करता है। चूंकि वर्षा और आर्द्रता स्क्रब टाइफस की घटनाओं में प्रमुख योगदानकर्ताओं के रूप में उभरती है, इसलिए स्वास्थ्य पेशेवरों से इस अवधि के दौरान संभावित प्रकोपों के लिए सतर्क रहने का आग्रह किया जाता है।
- **जनसांख्यिकीय सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:** अध्ययन विशिष्ट जनसांख्यिकीय और सामाजिक आर्थिक कमजोरियों की पहचान करता है। जीवन के तीसरे दशक में व्यक्तियों, विशेष रूप से 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में, उच्च प्रसार दर प्रदर्शित होती है। इसके अलावा किसानों, दिहाड़ी मजदूरों और गृहिणियों को अधिक संवेदनशील के रूप में पहचाना जाता है जिससे इन समुदायों के भीतर लक्षित निवारक उपायों की आवश्यकता पर बल दिया जाता है।

स्क्रब टाइफस से वैश्विक स्तर पर तैयारियां:

- **अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता:** यह अध्ययन तमिलनाडु पर केंद्रित है, जबकि चीन, नेपाल, दक्षिण कोरिया और जापान सहित वैश्विक स्तर पर अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह के पैटर्न देखे गए हैं। इन जलवायु-स्वास्थ्य संबंधों को समझना स्क्रब टाइफस और संबंधित संक्रामक रोगों के प्रभाव की आशंका तथा उन्हें कम करने के वैश्विक प्रयासों के लिए एक आधार प्रदान करता है।
- **वेक्टर नियंत्रण रणनीतियों का महत्त्व:** निष्कर्षों के प्रकाश में यह अध्ययन विशेष रूप से उच्च वर्षा और आर्द्रता की अवधि के दौरान मजबूत वेक्टर नियंत्रण रणनीतियों को लागू करने के महत्त्व को पुष्ट करता है। ये उपाय संचरण चक्र को तोड़ने और स्क्रब टाइफस से जुड़े स्वास्थ्य प्रभावों से कमजोर आबादी की सुरक्षा के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

आगे की राह:

यह शोध स्क्रब टाइफस की घटनाओं को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय और सामाजिक आर्थिक कारकों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। अध्ययन को समझने से प्रभावित क्षेत्रों में स्क्रब टाइफस की रोकथाम, निदान और उपचार के लिए लक्षित सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीतियों के विकास में सहायता मिल सकती है।

6 स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा कुष्ठ रोग उन्मूलन के लिए नई दवा की घोषणा

चर्चा में क्यों?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुष्ठ रोग के लिए एक नई तीन-दवा व्यवस्था की घोषणा की है जिसका लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों से तीन साल पहले, 2027 तक उप-राष्ट्रीय स्तर पर संचरण को रोकना है। यह निर्णय वैश्विक वैज्ञानिक अनुसंधान पर आधारित है और विश्व स्वास्थ्य संगठन 1 अप्रैल, 2025 से संशोधित दवा आहार की आपूर्ति करेगा। उपचार का उद्देश्य प्रभावकारिता में सुधार करना और भारत में कुष्ठ रोग उन्मूलन के सामूहिक प्रयास में योगदान करना है।

कुष्ठ रोग के बारे में:

- कुष्ठ रोग (जिसे हैनसेन रोग के नाम से भी जाना जाता है) माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होने वाला एक दीर्घकालिक संक्रामक रोग है। यह रोग त्वचा, परिधीय तंत्रिकाओं, ऊपरी श्वसन पथ की श्लैष्मिक सतहों (Mucosal Surfaces) और आंखों को प्रभावित करता है।
- यह ज्ञात है कि कुष्ठ रोग बचपन से लेकर बुढ़ापे तक सभी उम्र में होता है। कुष्ठ रोग का इलाज संभव है और प्रारंभिक अवस्था में उपचार से विकलांगता को रोका जा सकता है।

लक्षण:

- पीली (हाइपोपिगमेंटेड) या लाल त्वचा के पैच में संवेदना का निश्चित कमी होना।
- परिधीय तंत्रिका का मोटा या बड़ा होना, संवेदना की हानि और/या उस तंत्रिका द्वारा आपूर्ति की गई मांसपेशियों की कमजोरी।
- स्लिट-स्किन स्मीयर में एसिड-फास्ट बेसिली की उपस्थिति।

कार्यान्वयन और डब्ल्यूएचओ समर्थन:

- एक सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने संशोधित दवा आहार का समर्थन किया है। इसमें 1 अप्रैल, 2025 से दवाओं की आपूर्ति करने की योजना है। नया उपचार दृष्टिकोण डब्ल्यूएचओ के स्थापित प्रोटोकॉल के अनुरूप है जिसमें डैपसोन तथा रिफैम्पिसिन शामिल हैं।

लॉजिस्टिकल तैयारी की आवश्यकता:

- नई व्यवस्था के निर्बाध कार्यान्वयन की सुविधा के लिए भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से एक साल पहले कुष्ठ रोग रोधी दवाओं के लिए अपनी मांगें प्रस्तुत करने का आग्रह किया था। इस सक्रिय उपाय का उद्देश्य 1 अप्रैल, 2025 से शुरू होने वाले संशोधित उपचार आहार के लिए दवाओं की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए किसी भी संभावित तार्किक चुनौतियों का पूर्व-समाधान करना है।

वैश्विक प्रभाव और लक्ष्यों के उन्मूलन में योगदान:

- कुष्ठ रोग, माइकोबैक्टीरियम लेप्री बैक्टीरिया के कारण होने वाली एक पुरानी संक्रामक बीमारी है जो विश्व स्तर पर एक महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है। भारत द्वारा नवीन तीन-दवा व्यवस्था को अपनाने से देश कुष्ठ रोग उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों में अग्रणी बन गया है। यह पहल सतत विकास के व्यापक वैश्विक एजेंडे के अनुरूप है और संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है।

विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि और विचार:

- जबकि दो-दवा आहार ने अतीत में प्रभावकारिता का प्रदर्शन किया है, विशेषज्ञ स्वीकार करते हैं कि तीसरी दवा को शामिल करने से संभावित रूप से उपचार के परिणामों में सुधार हो सकता है।

आगे की राह:

कुष्ठ रोग के इलाज के लिए भारत की तीन-दवा व्यवस्था की घोषणा रोग उन्मूलन की दिशा में एक साहसिक और दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाती है। वैज्ञानिक अनुसंधान, वैश्विक सहयोग और सक्रिय उपायों पर पहल की निर्भरता भारत को कुष्ठ रोग के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सामूहिक लड़ाई में एक प्रमुख अभिकर्ता के रूप में स्थापित करती है जिसका लक्ष्य 2027 तक हासिल करना है।

7 कैनबिस का प्रयोग यौगिक प्रतिरोधी बैक्टीरिया के खिलाफ सफल - स्टडी

चर्चा में क्यों?

सीएसआईआर-इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन (आईआईआईएम), जम्मू के वैज्ञानिकों ने भांग (Cannabis) के पौधे में पाए जाने वाले यौगिक फाइटोकैनाबिनोइड्स के एंटीबायोटिक गुणों का खुलासा किया है। एसीएस संक्रामक रोगों में प्रकाशित अध्ययन, एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी उपभेदों, विशेष रूप से मेथिसिलिन-प्रतिरोधी स्टैफिलोकोकस ऑरियस (एमआरएसए) से निपटने के लिए टेट्राहाइड्रोकैनाबिडिओल (टीएचसीडी) की क्षमता पर केंद्रित है।

एंटीबायोटिक प्रतिरोध चुनौती:

- रोगाणुरोधी प्रतिरोध (एएमआर) एक महत्त्वपूर्ण वैश्विक स्वास्थ्य खतरा पैदा करता है जो पारंपरिक एंटीबायोटिक दवाओं को जीवाणु संक्रमण के खिलाफ अप्रभावी बना देता है। सीएसआईआर-आईआईआईएम जम्मू के शोधकर्ताओं ने एएमआर द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए वैकल्पिक समाधान की तलाश की जो दुनिया भर में बड़ी संख्या में मौतों के लिए जिम्मेदार है।

टीएचसीबीडी की जीवाणुरोधी प्रभावकारिता:

- अध्ययन से पता चला कि कैनबिस से प्राप्त टीएचसीबीडी, कई एमआरएसए उपभेदों के खिलाफ शक्तिशाली जीवाणुरोधी गुण प्रदर्शित करता है। शोधकर्ताओं ने बैक्टीरिया के खिलाफ टीएचसीबीडी का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया जिससे व्यवहार्य माइक्रोबियल कोशिकाओं को कम करने में इसकी प्रभावकारिता का पता चला।

कार्यप्रणाली:

- टीएचसीबीडी ने इफ्लक्स पंप ओवरएक्प्रेशन जैसे बैक्टीरिया द्वारा विकसित तंत्र के खिलाफ प्रभावशीलता का प्रदर्शन किया जो एक नए चिकित्सीय व्यवस्था के रूप में इसकी क्षमता में योगदान देता है। इसके अतिरिक्त, अध्ययन ने टीएचसीबीडी की मुपिरोसिन, पेनिसिलिन जी और सिप्रोफ्लोक्सासिन जैसे मौजूदा एंटीबायोटिक दवाओं के साथ संगतता पर प्रकाश डाला जो संयोजन उपचार की संभावना का सुझाव देता है।

चुनौतियाँ और भविष्य की दिशाएँ:

- आशाजनक निष्कर्षों के बावजूद, अध्ययन टीएचसीबीडी को एक व्यवहार्य दवा में बदलने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता को स्वीकार करता है। व्यापक सुरक्षा प्रोफाइलिंग और घुलनशीलता चुनौतियों का समाधान जैसी बाधाओं पर काबू पाना इस यात्रा में आवश्यक कदम हैं। शोधकर्ताओं ने भांग अनुसंधान के लिए एकीकृत राष्ट्रीय नीति के महत्त्व पर जोर देते हुए सहयोग करने और प्रगति में तेजी लाने की उत्सुकता व्यक्त की है।

कैनबिस से जुड़े नीतिगत निहितार्थ:

- यह अध्ययन भारत में कैनबिस अनुसंधान से जुड़ी कानूनी बाधाओं और नियामक चुनौतियों पर प्रकाश डालता है। शोधकर्ता राष्ट्रीय नीति में बदलाव की वकालत करते हैं। भांग की जीवाणुरोधी प्रकृति पर प्रकाश डालते हुए इसे एएमआर के खिलाफ लड़ाई में एक मूल्यवान संसाधन के रूप में स्थापित करते हैं।

आगे की राह:

टीएचसीबीडी के एंटीबायोटिक गुणों की खोज एंटीबायोटिक-प्रतिरोधी बैक्टीरिया के खिलाफ नई रणनीतियों की खोज में एक महत्त्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है। जैसे-जैसे शोधकर्ता नियामक जटिलताओं को पार करते हैं और टीएचसीबीडी को एक संभावित दवा में परिष्कृत करने के लिए सहयोग करते हैं। यह अध्ययन रोगाणुरोधी प्रतिरोध के बढ़ते खतरे से निपटने में नवीन दृष्टिकोण का संकेत देता है।

आर्थिक मुद्दे

1 विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक दावोस में सम्पन्न

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक स्विट्जरलैंड के दावोस में सम्पन्न हुई। बैठक के मुख्य एजेंडे में कौशल क्रांति, टिकाऊ व्यापार रणनीतियों और काम के भविष्य पर जेनरेटिव एआई के प्रभाव सहित व्यापार जगत के कुछ महत्त्वपूर्ण विषय शामिल थे।

बैठक की प्रमुख बातें:

- वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2024 ने आर्थिक अवसर की कमी को अगले दो वर्षों में जोखिम विशेषज्ञों के शीर्ष 10 सबसे बड़े जोखिमों में से एक के रूप में स्थान दिया है।
- इस संबंध में बैठक में उन रुझानों की जांच पर ध्यान केंद्रित किया गया जो नौकरियों के भविष्य को आकार देंगे। सत्र में इन चुनौतियों से निपटने के लिए अनुशंसित नीतियों, नियोक्ता और कार्यकर्ता की प्रतिक्रियाओं का भी पता लगाया गया।

लैंगिक अंतराल (Gender Gap):

- बैठक में आर्थिक लैंगिक अंतर को कम करने से होने वाले संभावित लाभों पर प्रकाश डाला गया जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए 172 ट्रिलियन डॉलर का 'लैंगिक लाभांश' मिल सकता है। इसके अलावा, महिलाओं के स्वास्थ्य में निवेश से 2040 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था को सालाना 1 ट्रिलियन डॉलर तक बढ़ावा मिल सकता है।
- भारत के संदर्भ में डब्ल्यूईएफ और भारत सरकार के समर्थन से लैंगिक समानता के लिए ग्लोबल गुड अलायंस की घोषणा की गई।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता:

- दावोस में आईएमएफ की 'जनरल-एआई: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क' रिपोर्ट का अनावरण किया गया। इसमें कहा गया कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में 60% तक नौकरियां एआई के कारण खतरे में हैं।
- बैठक में मानव कल्याण के लिए एआई की कई परिवर्तनकारी क्षमताओं पर चर्चा की गई जिसमें विनियमन की आवश्यकता, नौकरी छूटने का डर, प्रतिरूपण और गलत सूचना के जोखिम से बढ़ने वाली असमानताओं पर भी जोर दिया गया।

भारत में जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण:

- बैठक में माना गया कि भारत की खपत वैश्विक औसत से तीन गुना बढ़ रही है। अगले लगभग 20 वर्षों में भारत विश्व की ऊर्जा मांग का 25% पूरा करेगा। भारत को योजना के अनुसार 2070 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए ऊर्जा उत्पादन के गैर-पारंपरिक तरीकों को अपनाने की आवश्यकता है।
- हालाँकि, भारत ने ग्रीन हाइड्रोजन, जैव ईंधन और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसी पहल शुरू की है जो नवीकरणीय ऊर्जा के लिए एक वैश्विक ग्रिड का प्रस्ताव करता है। फोरम के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स (ईटीआई) 2023 में भारत 120 देशों में से 67वें स्थान पर है जो पिछले दशक में ऊर्जा त्रिकोण के तीन आयामों 'न्यायसंगत, टिकाऊ और सुरक्षित' में लगातार सुधार दर्शाता है।

आगे की राह:

बैठक में दुनिया में सबसे तेजी से उभरती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक भारत ने सबका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। विश्व नेताओं ने इस बात पर जोर दिया कि जब 2024 और उसके बाद प्रौद्योगिकी, प्रतिभा, स्वास्थ्य सेवा और अन्य क्षेत्रों की बात आती है तो दुनिया भारत की ओर देखती है, इसलिए भारत को लगातार सकारात्मक सुधार एवं विकास दर तेज बनाये रखने की जरूरत है।

2 स्टेट स्टार्ट-अप रैंकिंग 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 जारी किया है। इसमें भारत के लिए सकारात्मक संकेत का उल्लेख किया गया है।

रिपोर्ट के बारे में:

- वर्ष 2018 से उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) स्टार्टअप विकास हेतु अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए राज्यों के नीतिगत प्रयासों की रैंकिंग कर रहा है।
- यह राज्यों की नीतियों के विकास और समग्र प्रयासों पर नजर रखता है। स्टार्ट-अप रैंकिंग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत करती है:
  - सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले
  - शीर्ष प्रदर्शन करने वाले
  - नेतृत्वकर्ता
  - आकांक्षी नेतृत्वकर्ता
  - उभरते स्टार्ट-अप इकोसिस्टम
- इस वर्ष की रैंकिंग सात सुधार क्षेत्रों 'संस्थागत समर्थन का निर्माण, नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, बाजार तक पहुंच, इनक्यूबेशन तथा मेंटरिंग समर्थन, फंडिंग समर्थन, सक्षम लोगों के लिए क्षमता निर्माण और एक सतत भविष्य के लिए रोडमैप' पर केंद्रित है।
- रैंकिंग की शुरुआत के बाद पहली बार राज्य और केंद्रशासित प्रदेश पारिस्थितिकी प्रणालियों के मूल्यांकन में स्थिरता के महत्त्वपूर्ण आयाम को शामिल किया गया है।
- गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों के रूप में शीर्ष पर हैं।
- महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब और राजस्थान को शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं के रूप में स्थान दिया गया है। आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को अग्रणी स्थान दिया गया है।
- बिहार और हरियाणा को महत्त्वाकांक्षी राज्यों के रूप में, जबकि

छत्तीसगढ़, दिल्ली तथा जम्मू-कश्मीर को उभरते स्टार्टअप इकोसिस्टम के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

भारत में स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्रः

- रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि पिछले 7 वर्षों में मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप की संख्या 120% (सीएजीआर) बढ़कर, अक्टूबर 2023 तक एक लाख से अधिक स्टार्ट-अप हो गये हैं।
- रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पहले फंडिंग राउंड से लेकर आईपीओ तक का औसत वर्ष 2022 में 9.9 साल से घटकर 2023 में 9.4 साल हो गया है।

आगे की राहः

राज्य स्टार्ट-अप रैंकिंग अभ्यास का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके स्टार्ट-अप पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने में सहायता करना तथा प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वोत्तम प्रथाओं का विस्तार करना है। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करने में राज्य सरकार की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाती है। वैश्विक फोकस में बदलाव महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने और एक समावेशी तथा नवोन्मेषी माहौल को बढ़ावा देने पर है। बुनियादी ढांचे और सहायक सेवाओं को भारत में कम लागत और उच्च प्रभाव वाले समाधानों पर निर्माण करने की आवश्यकता है।

3 भारत का बढ़ता शेयर बाजार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारतीय शेयर बाजार ने हांगकांग के शेयर बाजार को पीछे छोड़ दिया जिसके बाद भारतीय शेयर बाजार चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार बन गया है। भारतीय एक्सचेंजों पर सूचीबद्ध शेयरों का संयुक्त मूल्य 22 जनवरी, 2024 को 4.33 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया।

इस वृद्धि का कारण क्या?

- व्यापक वैश्विक आर्थिक प्रतिकूल परिस्थितियों, मध्य पूर्व और यूरोपीय क्षेत्र में भू-राजनीतिक संघर्षों के कारण दुनिया के शेयर बाजारों को भारी उथल-पुथल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था घरेलू और वैश्विक निवेशकों के लिए अच्छा तथा मजबूत निवेश क्षेत्र उपलब्ध करा रही है।

इस उत्कृष्ट वृद्धि के महत्त्वपूर्ण कारणः

- भारत का शेयर बाजार पूंजीकरण 5 दिसंबर 2023 को पहली बार $4 ट्रिलियन को पार कर गया जिसका लगभग आधा हिस्सा पिछले चार वर्षों में निवेश किया गया है।
- मजबूत सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का पूर्वानुमान और लचीला औद्योगिक विकास।
- बढ़ती वैश्विक मुद्रास्फीति दरों के संबंध में सापेक्ष प्रबंधनीय मुद्रास्फीति दरें।
- भारतीय सेंट्रल बैंक की सापेक्ष लचीली या मौद्रिक सहजता नीति और अन्य देशों के केंद्रीय बैंकों (यू.एस.ए. तथा ईयू) की सख्त मौद्रिक नीति ने भारत के लिए एक सकारात्मक स्थिति बनाई है।
- मूडीज और क्रिसिल जैसी विश्व क्रेडिट एजेंसियों द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत सकारात्मक पूर्वानुमान।

भारत के लिए अन्य सकारात्मक संकेतः

- शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के मजबूत प्रवाह ने शेयरों को अब तक के उच्चतम स्तर की ओर बढ़ने में मदद की है।
- **भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राजनीतिक स्थिरता-** भारत में स्थिर राजनीतिक व्यवस्था ने नीतिगत स्थिरता को बढ़ावा दिया है। चूंकि भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश भी बन गया है, इसलिए इसने विशाल उभरते बाजार में नई पूंजी निवेश करने का विकल्प प्रदान किया है।

वैश्विक आर्थिक प्रतिकूल स्थितियांः

- **दुनिया के शीर्ष शेयर बाजार-** यू.एस.ए., चीन तथा जापान आंतरिक और बाहरी भू-राजनीतिक तनाव से जूझ रहे हैं जिसने कथित तौर पर नियामक कार्यवाही के कारण आर्थिक विकास दर को धीमी किया है।

भारतीय शेयर बाजारः

- शेयर बाजार वह प्लेटफार्म है जहां खरीददार और विक्रेता सार्वजनिक (सूचीबद्ध) निगमों के इक्विटी शेयरों का आदान-प्रदान करने के लिए मिलते हैं।
- भारत में दो स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैं। सेबी भारत में प्रतिभूति बाजार का नियामक है।

आगे की राहः

शेयर बाजार वैश्विक निवेशकों को किसी भी अर्थव्यवस्था की महत्त्वपूर्ण जानकारी देता है। यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंचों पर भारत की बड़ी स्थिति का भी समर्थन करता है क्योंकि कई विदेशी निवेशकों का देश के विकास में निहित स्वार्थ है। भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए यह सकारात्मक संकेत देता है।

4 वैश्विक व्यापार अनुसंधान पहल

चर्चा में क्यों?

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) ने 'स्विट्जरलैंड और अन्य ईएफटीए देशों के साथ एफटीए वार्ता में भारत की चुनौतियां' शीर्षक से अपनी रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत तथा यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के बीच एफटीए के लिए चल रही बातचीत के बीच भारत के सामने आने वाले मुद्दों की जांच की गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मौजूदा प्रारूप में व्यापार समझौते से भारतीय निर्यात को मदद नहीं मिलेगी जिसके परिणामस्वरूप उच्च आयात और व्यापक व्यापार घाटा होगा।

रिपोर्ट की मुख्य बातेंः

बड़ा व्यापार घाटाः

- स्विट्जरलैंड के साथ भारत का बड़ा व्यापार घाटा होने और 1 जनवरी से सभी औद्योगिक वस्तुओं पर आयात शुल्क हटाने के स्विट्जरलैंड के फैसले से ईएफटीए ब्लॉक के साथ प्रस्तावित

व्यापार समझौते में भारत के लिए लाभ सीमित हो जाएगा।

सेवा क्षेत्र:

- रिपोर्ट में कहा गया है कि हालांकि समझौते का उद्देश्य आईटी, वित्त, पर्यटन और शिक्षा जैसे क्षेत्रों को खोलना है जिससे सेवा प्रदाताओं को कम प्रतिबंधों के साथ एक-दूसरे के बाजारों में काम करने की इजाजत मिल सके, लेकिन सेवाओं में संभावित लाभ सीमित हैं।
- चूंकि देश आम तौर पर नीतिगत प्रतिबद्धताओं के मौजूदा स्तरों को बांधने के लिए सहमत होते हैं जिसका अर्थ है यथास्थिति जारी रहना। भारतीय पेशेवरों के लिए प्राथमिकता वाले वीजा के भारत के अनुरोध पर स्विट्ज़रलैंड का रुख एक और बाधा साबित हो सकता है।

सोने का आयात:

- रिपोर्ट में कहा गया है कि स्विट्ज़रलैंड से भारत के आयात का 80 प्रतिशत हिस्सा सोना है जो एक अन्य महत्त्वपूर्ण कारक है। यदि समझौते में सोना शामिल नहीं है, तो यह एफटीए के लिए पर्याप्त व्यापार पर शुल्क कटौती के लिए डब्ल्यूटीओ (विश्व व्यापार संगठन) के प्रावधान को पूरा नहीं कर सकता है।

बौद्धिक संपदा अधिकार:

- बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलू (ट्रिप्स) और भारत में बौद्धिक संपदा अधिकारों (आईपीआर), विशेष रूप से पेटेंट तथा कॉपीराइट को मजबूत करने के लिए ईएफटीए देशों का अनुरोध भारत के घरेलू नियमों के साथ टकराव होगा।

भारत और ईएफटीए देश:

- ईएफटीए मुक्त व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें आइसलैंड, लिकटेंस्टीन, नॉर्वे और स्विटजरलैंड शामिल हैं।
- 2022-23 के दौरान ईएफटीए देशों को भारत का निर्यात 1.92 बिलियन डॉलर रहा, जबकि 2021-22 में यह 1.74 बिलियन डॉलर था। पिछले वित्त वर्ष के दौरान कुल आयात 16.74 बिलियन डॉलर रहा, जबकि 2021-22 में यह 25.5 बिलियन डॉलर था।

भारत और स्विट्ज़रलैंड:

- स्विट्ज़रलैंड के संबंध में 2022-23 में, स्विट्ज़रलैंड से भारत का आयात 15.79 बिलियन अमेरिकी डॉलर था जो इसके 1.34 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात के बिल्कुल विपरीत था जिससे 14.45 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पर्याप्त व्यापार घाटा हुआ।
- स्विट्ज़रलैंड से भारत के मुख्य आयात में सोना (12.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर), मशीनरी (409 मिलियन अमेरिकी डॉलर), फार्मास्यूटिकल्स (309 मिलियन अमेरिकी डॉलर), कोकिंग और स्टीम कोयला (380 मिलियन अमेरिकी डॉलर), ऑप्टिकल उपकरण और आर्थोपेडिक उपकरण (296 मिलियन अमेरिकी डॉलर), घड़ियाँ (211.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर), सोयाबीन तेल (202 मिलियन अमेरिकी डॉलर) तथा चॉकलेट 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर) शामिल हैं।

आगे की राह:

भारत और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहे हैं जिसे आधिकारिक तौर पर व्यापार तथा आर्थिक साझेदारी समझौता (टीईपीए) कहा जाता है। एफटीए (मुक्त व्यापार समझौता) वार्ता जनवरी 2008 में शुरू की गई थी। भारत को व्यापार संतुलन, घरेलू हितों की रक्षा और लाभकारी समझौते को हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करके इन वार्ताओं को आगे बढ़ाना चाहिए।

5 तेलंगाना का चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र की स्थापना हेतु डब्ल्यूईएफ से समझौता

चर्चा में क्यों?

तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य की राजधानी हैदराबाद में चौथी औद्योगिक क्रांति केंद्र (C4IR) स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसको फरवरी 2025 में निर्धारित बायो एशिया 2025 में लॉन्च किया जाएगा। यह केंद्र मुख्य रूप से स्वास्थ्य देखभाल और जीवन विज्ञान पर केंद्रित है।

चौथी औद्योगिक क्रांति का केंद्र:

- सी4आईआर तेलंगाना डब्ल्यूईएफ के चौथे औद्योगिक क्रांति नेटवर्क में शामिल होने वाला 18वां केंद्र होगा जो चार महाद्वीपों में फैला हुआ है।
- यह केंद्र जीवन विज्ञान क्षेत्र में प्रगति के लिए नवीनतम तकनीक का लाभ उठाने में मदद करेगा। इन दोनों एजेंसियों के बीच सहयोग से राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को बढ़ावा मिलेगा।
- इससे वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को भी नए सिरे से परिभाषित किया जाएगा और राज्य सरकार ग्रामीण आबादी को प्राथमिकता के आधार पर सस्ती तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगी।
- यह तेलंगाना राज्य को तकनीकी केंद्र और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए वैश्विक गंतव्य के रूप में भी बदल देगा। इससे राज्य के मेडिकल पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा और राज्य की जीडीपी में भी वृद्धि होगी।

चौथी औद्योगिक क्रांति क्या है?

- 4आईआर शब्द विश्व आर्थिक मंच के कार्यकारी अध्यक्ष किआउस श्वाब द्वारा 2016 में दिया गया था।

- चौथी औद्योगिक क्रांति रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, नैनो टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ड्रोन टेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग और कई अन्य का मिश्रण है। यह संवाद करने, उत्पादन करने और उपभोग करने के तरीके को बदल देगा।
- चौथी क्रांति तीसरी क्रांति पर आधारित है जिसके मूल में डेटा का संग्रह है।

4आईआर के अवसर:

- इसमें वैश्विक उत्पादन बढ़ाने और विश्व जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने की क्षमता है।
- रोबोटिक्स और नैनोटेक्नोलॉजी की मदद से 'प्रिसिजन टेक्नोलॉजी' के विकास से दवा वितरण के तरीकों में क्रांति आ जाएगी।
- तकनीकी प्रगति और निगरानी की नई पद्धति से ई-गवर्नेंस की प्रभावशीलता में वृद्धि होगी।

4आईआर की चुनौतियाँ:

- नौकरी छूटने का डर, डिजिटल विभाजन में वृद्धि और असमानता 4आईआर से जुड़ी कुछ गंभीर चिंताएं हैं। नैतिक उल्लंघन, साइबर सुरक्षा, गोपनीयता का उल्लंघन और सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के अन्य महत्त्वपूर्ण मुद्दे कई हितधारकों द्वारा दृढ़ता से उठाए गए हैं।

आगे की राह:

भारत में राज्य और केंद्र सरकार 4आईआर के फायदों पर विचार करते हुए बड़े उत्साह के साथ नई पहल कर रही हैं। तकनीकी के बेहतर उपयोग करने से भविष्य में मानव कल्याण को बढ़ावा मिल सकता है।

6 'भारतीय अर्थव्यवस्था-एक समीक्षा'

चर्चा में क्यों?

आम चुनाव के कारण इस साल बजट 2024 से पहले आर्थिक सर्वेक्षण नहीं पेश किया गया। अब इसे चुनाव के बाद पूर्ण बजट पेश होने से पहले जारी किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा भारत के पिछले 10 वर्षों पर 'भारतीय अर्थव्यवस्था-एक समीक्षा' नामक एक रिपोर्ट जारी की गई है।

भारतीय अर्थव्यवस्था: एक समीक्षा

- वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद, भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 24 में 7.2% से अधिक होने का अनुमान है जो लगातार तीसरे वर्ष 7% से अधिक वृद्धि के साथ मजबूत अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। इसका श्रेय सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश में वृद्धि, मजबूत वित्तीय क्षेत्र और गैर-खाद्य ऋण विस्तार को दिया जा सकता है।
- भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी फिनटेक अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति मजबूत किया है, वहीं वैश्विक शेयर बाजारों में चौथा स्थान हासिल करने के लिए हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। इस सफलता का कारण घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों निवेशकों की रुचि के साथ-साथ निरंतर आईपीओ गतिविधि को जाता है।
- प्रमुख सामाजिक और आर्थिक पहल एवं सुधारों ने इस परिदृश्य पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव डाला है। पीएम जन धन योजना ने महिला बैंक खाताधारक का प्रतिशत उल्लेखनीय रूप से बढ़ाया है जो 2015-16 में 53% से बढ़कर 2019-21 में प्रभावशाली रूप से 78.6% हो गया है। इस दौरान महिला श्रम शक्ति भागीदारी में भी पर्याप्त वृद्धि देखी गई है जो 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2022-23 में 37% हो गई है। स्किल इंडिया मिशन, स्टार्ट-अप इंडिया और स्टैंड-अप इंडिया जैसी पहलों ने मानव पूंजी निर्माण में महिला भागीदारी को बढ़ाने में योगदान दिया है।
- उच्च शिक्षा में महिला सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) वित्त वर्ष 2001 में 6.7% से बढ़कर वित्त वर्ष 2021 में 27.9% हो गया है, जबकि समग्र जीईआर वित्त वर्ष 2005 और वित्त वर्ष 22 के बीच 24.5% से 58.2% हो गया है। लगातार हो रहे सहायक सरकारी सुधारों ने एमएसएमई क्षेत्र में गतिशीलता बढ़ायी है।
- घरेलू बाजारों के एकीकरण और उत्पादन प्रोत्साहन में वृद्धि के साथ वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को अपनाने से आर्थिक दक्षता में वृद्धि हुई है जिसके परिणामस्वरूप रसद लागत में कमी आई है।

आगे की राह:

समीक्षा में भारत की आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डाला गया। इसने भारत के मजबूत आर्थिक बुनियादी सिद्धांतों पर भी प्रकाश डाला है जो भारतीय अर्थव्यवस्था को निरंतर उच्च विकास के लिए प्रेरित करता है।

7 अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 संसद में प्रस्तुत

चर्चा में क्यों?

1 फरवरी को केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। चुनाव बाद गठित होने वाली नई सरकार पूर्ण बजट को जून/जुलाई 2024 में पेश करेगी।

अंतरिम केंद्रीय बजट 2024-25 की मुख्य बातें:

- सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी

गरीबी से बाहर निकलने में सहायता की।

- पीएम-स्वनिधि ने 78 लाख स्ट्रीट वेंडरों को ऋण सहायता प्रदान की।
- विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के विकास में सहायता के लिए पीएम-जनमन योजना।
- पीएम-विश्वकर्मा योजना 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को अंत तक सहायता किया है।
- पीएम-किसान सम्मान योजना ने 11.8 करोड़ किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की।
- पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों को फसल बीमा दिया गया है।
- इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट (ई-एनएएम) ने 1361 मंडियों को एकीकृत किया जो 1.8 करोड़ किसानों को 3 लाख करोड़ रुपये की व्यापार मात्रा के साथ सेवाएं प्रदान करता है।
- महिला उद्यमियों को 30 करोड़ का मुद्रा योजना ऋण दिया गया।
- उच्च शिक्षा में महिला नामांकन 28% बढ़ा है।
- एसटीईएम पाठ्यक्रमों में 43% नामांकन लड़कियों और महिलाओं का है।
- पीएम आवास योजना के तहत 70% से अधिक घर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को दिए गए।
- रूफटॉप सोलराइजेशन के माध्यम से 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी।
- प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसानों को लाभ हुआ है, जबकि 10 लाख रोजगार पैदा हुए हैं।
- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना ने 2.4 लाख एसएचजी और 60000 व्यक्तियों को क्रेडिट लिंकेज से सहायता प्रदान की है।
- 2030 तक 100 मीट्रिक टन कोयला गैसीकरण और द्रवीकरण क्षमता स्थापित की जाएगी।
- पिछले दस वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रह तीन गुना से अधिक हो गया है, वहीं रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 2.4 गुना तक बढ़ी है।
- 2014-23 के दौरान 596 बिलियन अमेरिकी डॉलर का एफडीआई प्रवाह हुआ जो 2005-14 के दौरान प्राप्त हुए एफडीआई का दोगुना है।
- इस वर्ष औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह दोगुना होकर 1.66 लाख करोड़ रुपये हो गया।
- जीएसटी कर आधार दोगुना हो गया है।
- वित्त वर्ष 2013-14 में 2.2 लाख रुपये से बढ़कर 7 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर देनदारी नहीं किया गया है।
- मौजूदा घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट आयकर 30% से घटकर 22% किया गया।
- नई विनिर्माण कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट आयकर की दर 15% को 31 मार्च, 2024 तक देय होगा। इसकी तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

बजट अनुमान 2024-25:

- उधार के अलावा कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः 30.80 तथा 47.66 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।
- कर प्राप्तियाँ 26.02 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं।
- 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 5.1 फीसदी रहने का अनुमान है।
- 2024-25 के दौरान दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल और शुद्ध बाजार उधार क्रमशः 14.13 लाख करोड़ रुपये और 11.75 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

आगे की राह:

अंतरिम बजट 2024 राजकोषीय समेकन को बनाए रखते हुए युवाओं और महिला सशक्तीकरण पर केंद्रित है। वित्त मंत्री सीतारमण ने वित्त वर्ष 2015 के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को घटाकर सकल घरेलू उत्पाद का 5.1% कर दिया। प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दरों में कोई बदलाव न करना, जरूर व्यवसायी वर्ग के लिए मायूसी भरा रहा है।

SUBSCRIBE TO OUR
YOUTUBE CHANNEL
DHYEYA TV QR
BATEN UP KI QR

विविध मुद्दे

1 अनौपचारिक रोजगार और कम वेतन के दुष्चक्र को तोड़ना जरूरी-रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नीति सलाहकार, आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (OECD) की एक नई रिपोर्ट 'अनौपचारिक रोजगार और कम वेतन वाले कार्य के दुष्चक्र को तोड़ना' के अनुसार, दुनिया की अधिकांश नियोजित आबादी अनौपचारिक रोजगार में संलग्न हैं। यह रिपोर्ट अनौपचारिक रोजगार के अंतर-पीढ़ीगत पहलू पर प्रकाश डालता है और उन विभिन्न चैनलों का वर्णन करता है जिनके माध्यम से पर्याप्त शिक्षा, कौशल तथा सामाजिक सुरक्षा नीति के अभाव में अनौपचारिक श्रमिकों की भेद्यता की चुनौती उनके बच्चों तक पहुंच रही है।

मुख्य बिंदु:

- नई ओईसीडी रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि दुनिया की अधिकांश नियोजित आबादी अनौपचारिक रोजगार से जुड़ी हुई है जिससे उच्च गरीबी और व्यावसायिक जोखिम उत्पन्न होते हैं।
- अनौपचारिक श्रमिकों के लिए पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा का अभाव होने से श्रमिकों और उनके परिवार दोनों को विभिन्न जोखिमों के प्रति संवेदनशील बनाता है।
- जिन घरों में परिवार के सभी सदस्य अनौपचारिक रूप से काम करते हैं, उनमें बच्चों को कमजोरियाँ विरासत में मिलती हैं जिससे चुनौतियों का एक दुष्चक्र बन जाता है।
- विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 15 वर्ष से कम उम्र के लगभग 60% बच्चे पूरी तरह से अनौपचारिक क्षेत्रों में रहते हैं, कुछ अफ्रीकी देशों में यह आंकड़ा 80% से भी अधिक हो जाता है।
- औपचारिक परिवार अनौपचारिक परिवारों की तुलना में प्रति बच्चे की शिक्षा पर अधिक खर्च करते हैं जिससे प्रारंभिक शैक्षिक असमानताएँ उत्पन्न होती हैं।
- मौजूदा शैक्षिक असमानताएं कोविड-19 संकट के कारण और बढ़ गई हैं जिससे माता-पिता की संसाधन तक पहुंच सीमित हो गई है।
- मिश्रित और पूरी तरह से औपचारिक परिवारों की तुलना में अनौपचारिक परिवारों के युवाओं की 'शिक्षा, रोजगार या प्रशिक्षण में नहीं (एनईईटी)' की हिस्सेदारी अधिक है।
- उप-सहारा अफ्रीका में अनौपचारिक शिक्षा का होना सामान्य बात है, जबकि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में तीन-चौथाई से अधिक युवा अनौपचारिक क्षेत्र में ही अपना रोजगार शुरू करते हैं।
- युवा श्रमिकों को यूरोप, मध्य एशिया और लैटिन अमेरिका में औपचारिक काम मिलने की बेहतर संभावना है, जबकि उप-सहारा अफ्रीकी देशों में 95% तक युवा श्रमिक अनौपचारिक रोजगार में संलग्न हैं।

आगे की राह:

वर्तमान ओईसीडी रिपोर्ट अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में अधिकांश श्रमिकों द्वारा उठाए जाने वाले कम वेतन वाले काम के दोहरे बोझ को रेखांकित करती है, साथ ही सुलभ गुणवत्ता वाली शिक्षा में निवेश करने, स्कूल छोड़ने वालों को रोकने और अनौपचारिक घरों के युवाओं के लिए स्कूल से काम की ओर संक्रमण को सुचारू बनाने जैसी नीतियों की सिफारिश भी करती है। प्रस्तावित नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकारी एजेंसियों, शैक्षणिक संस्थानों, नियोक्ताओं और नागरिक समाजों के बीच सहयोग की आवश्यकता पर भी जोर देती है।

2 पंचायती राज व्यवस्था पर आरबीआई की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में आरबीआई ने पंचायती राज व्यवस्था की वित्तीय स्थिति पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें पंचायती राज व्यवस्था में पर्याप्त राजस्व की कमी का उल्लेख किया गया है।

रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

- पंचायती राज संस्था को वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि संपत्ति कर, शुल्क और जुर्माने से उनका अपना राजस्व सीमित है।
- उनका लगभग राजस्व उच्च स्तर की सरकारों यानी केंद्र और राज्य सरकार से अनुदान के माध्यम से प्राप्त होता है।
- पंचायती राज व्यवस्था के सतत विकास के लिए कर और गैर-कर राजस्व स्रोतों के माध्यम से पंचायतों के राजस्व को बढ़ाने की आवश्यकता है।
- केंद्रीय वित्त आयोग (सीएफसी) के समान भूमिकाओं के साथ राज्य वित्त आयोग की स्थापना करने और राज्य विधानमंडलों में अपनी कार्यवाही रिपोर्ट पेश करने से पीआरआई की वित्तीय स्थिति को मजबूत किया जा सकता है।
- पंचायती राज संस्थाओं को बजट में पारदर्शिता और स्थानीय लोगों की भागीदारी के माध्यम से अपने संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करना चाहिए।
- पीआरआई को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराना, स्थानीय शासन का विकेंद्रीकरण करना और पीआरआई प्रणाली से जुड़े लोगों की क्षमता निर्माण पर काम करना समय की मांग है।
- इसने स्थानीय शासन प्रक्रियाओं में उनकी बढ़ती भागीदारी को प्रोत्साहित करके जन-केंद्रित प्रशासन और संचार को बढ़ाकर पीआरआई के कार्यों तथा महत्त्व के बारे में नागरिकों की जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

पंचायती राज व्यवस्था के बारे में:

- पंचायती राज संस्था (पीआरआई) भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है।
- स्थानीय स्वशासन ऐसे स्थानीय निकायों द्वारा स्थानीय मामलों का प्रबंधन है जिन्हें स्थानीय लोगों ने चुना है।
- जमीनी स्तर पर लोकतंत्र का निर्माण करने के लिए 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पीआरआई को

संवैधानिक बनाकर देश में ग्रामीण विकास का कार्य सौंपा गया।

आगे की राह:

पंचायती राज संस्थाएँ तब तक शासन नहीं कर सकतीं जब तक उन्हें वास्तव में शासन से संबंधित कार्य करने का अधिकार नहीं दिया जाता। जागरूकता की कमी और इन निकायों द्वारा किए गए वादों को पूरा न करना, गांव के लोगों को पंचायती राज निकायों की उपयोगिता के प्रति संदिग्ध बनाता है, इसीलिए इन समस्याओं का शीघ्र समाधान किये जाने की आवश्यकता है।

3 श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प का उद्‌घाटन

चर्चा में क्यों?

ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी के 12वीं शताब्दी के श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास एक विशाल परिधीय विकास परियोजना 'श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प (एसएमपीपी)' का अनावरण किया।

श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प के बारे में:

- मंदिर को घेरने वाली 75 मीटर चौड़ी जगह (जिसे हेरिटेज कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है) को अब एसएमपीपी नाम देकर इसे नौ अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।
- सबसे पहले, एसएमपीपी के पास 7 मीटर का हरा बफर जोन है जो मेघनाद पचेरी या मंदिर की सीमा से सटा हुआ है।
- इसके बाद 10 मीटर की अंतर प्रदक्षिणा है जो पूरे वर्ष देवताओं के औपचारिक जुलूसों के लिए जगह प्रदान करती है। यह एक परिक्रमा पथ के रूप में भी काम करता है जो आम जनता को पवित्र श्री मंदिर परिसर की परिक्रमा करने के लिए सुगम बनाता है।
- यहां 14 मीटर का भूदृश्य क्षेत्र है जहां एक उद्यान विभिन्न प्रकार के पेड़ों को प्रदर्शित करता है जो जगन्नाथपुरी संस्कृति के अभिन्न अंग हैं।
- 8 मीटर की बाह्य प्रदक्षिणा आगंतुकों को शांति और चिंतन में कुछ समय बिताने की सुविधा देती है। 10 मीटर के सार्वजनिक सुविधा क्षेत्र में एक पुलिस कियोस्क के अलावा नौ शौचालय, पीने के पानी की सुविधा, दो सूचना-सह-दान कियोस्क और तीन मिनी क्लॉकरूम हैं। यहां एक छायादार फुटपाथ और एक समर्पित आपातकालीन लेन भी है।
- अन्य तीन धामों के विपरीत, पुरी में काशी के समान 'परिक्रमा मार्ग' में परिक्रमा के लिए कोई मार्ग नहीं था, इसलिए 2019 में इस परियोजना का नाम बदलकर 'श्री मंदिर परिक्रमा' परियोजना (एसएमपीपी) या श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर (एसजेएचसी) कर दिया गया जिसे जगन्नाथ मंदिर की परिधि के सौंदर्यीकरण के लिए निष्पादित किया जाना था।

मंदिर के बारे में:

- श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर भारतीय राज्य ओडिशा के सबसे प्रभावशाली स्मारकों में से एक है जिसका निर्माण गंग राजवंश के प्रसिद्ध राजा अनंत वर्मन चोडगंग देव ने 12वीं शताब्दी में समुद्री तट पुरी में किया था।

आगे की राह:

12वीं सदी के मंदिर के आसपास की जगह को आधुनिक बनाने के लिए 'पुरी हेरिटेज कॉरिडोर प्रोजेक्ट' योजना के हिस्से के रूप में इस परियोजना की अवधारणा पहली बार 2016 में ओडिशा सरकार द्वारा की गई थी। यह तीर्थयात्रियों को बेहतर और सहज अनुभव के लिए पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करता है।

4 अयोध्या में राम मंदिर का उद्‌घाटन

चर्चा में क्यों?

22 जनवरी, 2024 को अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के साथ लगभग 500 साल पहले की परिणति को चिह्नित किया गया। इसने भारत के सामाजिक-धार्मिक-राजनीतिक परिदृश्य को महत्त्वपूर्ण आकार दिया है। नागर शैली में डिजाइन किया गया राम मंदिर, सांस्कृतिक और धार्मिक महत्त्व का प्रतीक है।

राम मंदिर की विशिष्टता:

- **पारंपरिक वास्तुकला और निर्माण:** पारंपरिक नागर शैली में निर्मित राम मंदिर में मिर्जापुर और बंसी-पहाड़पुर (राजस्थान) की पहाड़ियों से प्राप्त गुलाबी बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है।
- **मंदिर के आयाम:** यह मंदिर 71 एकड़ में फैला हुआ है जो वास्तुशिल्प कौशल का प्रदर्शन है। 250 फीट की चौड़ाई और 161 फीट की ऊंचाई के साथ, मुख्य मंदिर क्षेत्र 2.67 एकड़ में फैला है। उल्लेखनीय विशेषताओं में 390 स्तंभ, 46 दरवाजे और 5 मंडप शामिल हैं।
- **अंदर की अनूठी विशेषताएं:** मंदिर के भीतर गर्भ गृह में राम लला की मूर्तियाँ हैं जो रंग मंडप और नृत्य मंडप जैसे विभिन्न मंडपों से परिपूर्ण हैं।

मंदिर वास्तुकला की नागर शैली:

- मंदिर वास्तुकला की नागर शैली की उत्पत्ति गुप्त काल के समय में लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में उत्तरी भारत में हुई थी। इसी अवधि के दौरान उभरी द्रविड़ शैली भी दक्षिणी भारत में देखी जा सकती है।

विशेषताएँ:

- नागर मंदिरों की नींव में एक ऊंचा चबूतरा होता है।
- गर्भ गृह (जिसमें देवता की मूर्ति होती है) मंदिर के भीतर सबसे पवित्र क्षेत्र माना जाता है।
- इसमें शिखर, एक पर्वत शिखर जैसा दिखता है जोकि गर्भ गृह के ठीक ऊपर बनाया जाता है। यह हिंदू परंपरा में प्राकृतिक और ब्रह्मांड संबंधी व्यवस्था का प्रतीक है।
- इन मंदिरों में आम तौर पर गर्भगृह के चारों ओर एक प्रदक्षिणा पथ शामिल होता है।
- एक या अधिक मंडप (हॉल) गर्भगृह के समान अक्ष पर संरेखित होते हैं।
- विस्तृत भित्ति चित्र और नक्काशी अक्सर नागर शैली के मंदिरों की दीवारों को सुशोभित करते हैं जो उनकी दृश्य समृद्धि तथा सांस्कृतिक महत्त्व को बढ़ाते हैं।

आगे की राह:

अयोध्या राम मंदिर सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि यह आस्था, एकता और सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। इसका निर्माण भारत में एक ऐतिहासिक महत्त्व है जो सत्य, न्याय और धार्मिकता का प्रतीक है। एक धार्मिक संरचना होने के अलावा यह मंदिर राम के रूप में राष्ट्रीय चेतना का जीवंत स्वरूप है।

5 चित्तौड़गढ़ किला के पास खनन गतिविधि पर रोक- सुप्रीम कोर्ट

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने मौर्य काल में निर्मित और विरासत स्मारक के रूप में घोषित राजस्थान के प्रतिष्ठित चित्तौड़गढ़ किले की परिसर की दीवार के पांच किलोमीटर के दायरे में विस्फोट या विस्फोटकों के उपयोग से चूना पत्थर के खनन पर रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि आसपास के क्षेत्र में अवैज्ञानिक तरीके से उपलब्ध खनिजों का दोहन या हार्डकोर खनन गतिविधियां किले के लिए खतरा है।

चित्तौड़गढ़ किला के बारे में:

- इसे 7वीं शताब्दी में स्थानीय मौर्य शासकों द्वारा बनवाया गया था। राजस्थान में स्थित चित्तौड़गढ़ किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है।
- 728 ई. में किले पर मेवाड़ शासकों ने कब्जा कर लिया।
- यह मेवाड़ शासकों की राजधानी हुआ करती थी।
- यह बेराच नदी के तट पर 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है।
- इसे 2013 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

विशेषताएँ:

- यह किला अपने सात दरवाजों के लिए जाना जाता है जिसमें 'पदन गेट, गणेश गेट, हनुमान गेट, भैरों गेट, जोडला गेट, लक्ष्मण गेट और मुख्य द्वार, जिसका नाम भगवान राम के नाम पर रखा गया है' शामिल हैं।
- ये द्वार किले को दुश्मन के हमलों और मेहराब हाथियों को प्रवेश करने से बचाने के लिए बनाए गए थे।
- 700 एकड़ में और 13 किमी की परिधि में फैले इस किले में एक किलोमीटर लंबी सड़क है जो सात द्वारों से गुजरने के बाद प्राचीर तक जाती है।
- चूने के गारे से बनी ये दीवारें जमीन से 500 मीटर ऊपर उठी हुई हैं।
- किले में चार महल, जैन और हिंदू मंदिरों सहित 19 मंदिर, 20 जल निकाय तथा चार स्मारक शामिल हैं।

आगे की राह:

यह किला और चित्तौड़गढ़ शहर जौहर मेले नामक सबसे बड़े राजपूत उत्सव की मेजबानी करते हैं। यह त्यौहार मुख्य रूप से राजपूत पूर्वजों की बहादुरी और चित्तौड़गढ़ किले में हुए तीनों जौहर की याद में आयोजित किया जाता है। जून 2013 में नोम पेन्ह में विश्व धरोहर समिति की 37वीं बैठक के दौरान राजस्थान के छह किलों, अर्थात् अंबर किला, चित्तौड़गढ़ किला, गागरोन किला, जैसलमेर किला, कुंभलगढ़ और रणथंभौर किले को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया था। अतः ऐसी विरासत को संजोने की जरूरत है ताकि आने वाली पीढ़ियां इससे सीख ले सकें।

6 वडनगर भारत का सबसे पुराना जीवित शहर

चर्चा में क्यों:

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (खड़गपुर) के एक संयुक्त अध्ययन में हड़प्पा के पतन के बाद भी वडनगर में सांस्कृतिक निरंतरता के प्रमाण मिले हैं जिससे यह संभावना बनती है कि 'अंधकार युग' एक मिथक था।

समाचार के बारे में अधिक जानकारी:

- आईआईटी खड़गपुर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई), भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (पीआरएल), जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) और डेक्कन कॉलेज के वैज्ञानिकों के एक संघ ने वडनगर में एक गहरी पुरातात्विक खुदाई की है।
- ये निष्कर्ष एल्सेवियर जर्नल क्वाटरनरी साइंस रिव्यूज में 'जलवायु, मानव बस्ती और दक्षिण एशिया में प्रारंभिक ऐतिहासिक से मध्ययुगीन काल तक प्रवासन: वडनगर, पश्चिमी भारत में नए पुरातात्विक उत्खनन से साक्ष्य' नामक शीर्षक वाले पेपर में प्रकाशित हुआ है।
- अध्ययन में एक मानव बस्ती के प्रमाण मिले जो 800 ईसा पूर्व जितनी पुरानी है। यह उत्तर-वैदिक/पूर्व-बौद्ध महाजनपदों या कुलीनतंत्र गणराज्यों के समकालीन है।
- अध्ययन से यह भी पता चलता है कि 3,000 साल की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों का उत्थान, पतन और मध्य एशियाई योद्धाओं

द्वारा भारत पर बार-बार आक्रमण, वर्षा या सूखे जैसे जलवायु में गंभीर परिवर्तन से प्रेरित थे।

उत्खनन के प्रमुख निष्कर्ष:

- खोज में वडनगर को एक बहुसांस्कृतिक तथा बहु-धार्मिक (बौद्ध, हिंदू, जैन और इस्लामी) बस्ती के रूप में दर्शाया गया है।
- कई गहरी खाइयों की खुदाई से मौर्य, इंडो-ग्रीक, इंडो-सीथियन, हिंदू-सोलंकी, सल्तनत-मुगल (इस्लामिक) से लेकर गायकवाड़-ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन तक सात सांस्कृतिक चरणों (कालों) की उपस्थिति का पता चलता है।
- खुदाई के दौरान विशिष्ट पुरातात्विक कलाकृतियों, मिट्टी के बर्तनों, तांबे, सोने, चांदी और लोहे की वस्तुओं और जटिल डिजाइन वाली चूड़ियों के साथ सबसे पुराने बौद्ध मठों में से एक की खोज की गई है।
- वडनगर में इंडो-ग्रीक शासन के दौरान ग्रीक राजा एपोलोडैटस के सिक्के के सांचे भी पाए गए।
- दुर्लभ पुरातात्विक अभिलेख भारत के प्राचीन इतिहास में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। गुजरात के गिरनार पहाड़ी में सुदर्शन झील पर सम्राट अशोक का मौर्य काल का शिलालेख, सबसे पहले दर्ज की गई कलाकृतियों में से एक है।
- वडनगर भारत में एकल किलेबंदी के भीतर सबसे पुराने जीवित शहर के रूप में उभर रहा है। हाल की रेडियोकार्बन तिथियों से 1400 ईसा पूर्व की संभावित बस्ती का संकेत मिलता है, यह शहरी हड़प्पा काल के बाद के चरण के साथ संरेखित होता है।

आगे की राह:

सिंधु घाटी सभ्यता के पतन, लौह युग और गांधार, कोशल तथा अवंती जैसे शहरों के उद्भव के बीच की अवधि को पुरातत्वविदों द्वारा अक्सर अंधकार युग के रूप में चित्रित किया जाता है। यदि यह अध्ययन सत्य साबित होता है, तो यह भारत में लगभग 5500 वर्षों की उल्लेखनीय सांस्कृतिक निरंतरता को प्रदर्शित करेगा जो अंधकार युग की धारणा को चुनौती देगा।

7 लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को मिला भारत रत्न

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी तथा समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हुई।

भारत रत्न पुरस्कार के बारे में:

- भारत रत्न भारतीय गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
- वर्ष 1954 में स्थापित किया गया यह पुरस्कार जाति, व्यवसाय, स्थिति या लिंग के भेदभाव के बिना, उच्चतम क्रम की असाधारण सेवा/प्रदर्शन की मान्यता में प्रदान किया जाता है।
- यह पुरस्कार मूल रूप से कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवाओं में उपलब्धियों तक सीमित था, लेकिन दिसंबर 2011 में सरकार ने मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र को शामिल करने के लिए मानदंडों का विस्तार किया।

प्रमुख पहलु:

- यह अनिवार्य नहीं है कि हर वर्ष भारत रत्न प्रदान किया जाए।
- ऐसा कोई लिखित प्रावधान नहीं है कि भारत रत्न केवल भारतीय नागरिकों को ही दिया जाना चाहिए।
- भारत रत्न के लिए सिफारिशें भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी जाती हैं।
- भारत रत्न पुरस्कारों की संख्या किसी विशेष वर्ष में अधिकतम तीन लोगों को दिया जा सकता है।
- पुरस्कार प्रदान करने पर प्राप्तकर्ता को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित एक सनद (प्रमाण पत्र) और एक पदक प्राप्त होता है।
- पुरस्कार में कोई मौद्रिक अनुदान शामिल नहीं होता है।
- संविधान के अनुच्छेद 18(1) के अनुसार, पुरस्कार का उपयोग प्राप्तकर्ता के नाम के उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है।

लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में:

- भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख संस्थापकों में से एक लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म पाकिस्तान के कराची में 1927 में हुआ था परन्तु विभाजन के बाद इनका परिवार कराची से मुंबई बस गया था। शुरूआती शिक्षा के बाद आडवाणी ने जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़कर राजनीति में प्रवेश किया।
- राम मंदिर आन्दोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी कई बार केन्द्रीय मंत्री और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उप-प्रधानमन्त्री भी रहे। विपक्ष में रहकर हमेशा ज्वलंत मुद्दों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देने वाले लाल कृष्ण आडवाणी का सम्मान दलगत राजनीति से ऊपर होता रहा है।

जन नायक कर्पूरी ठाकुर के बारे में:

- कर्पूरी ठाकुर (जिन्हें 'जन नायक' कहा जाता है) एक प्रमुख भारतीय राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने 1970-71 और 1977-79 तक दो बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया।
- **मुख्यमंत्री कार्यकाल और नीतियां:** 1977 में उनके मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान मुंगेरी लाल आयोग ने पिछड़े वर्गों को अत्यंत पिछड़े वर्गों (मुसलमानों के कमजोर वर्गों सहित) और पिछड़े वर्गों में पुनर्वर्गीकृत करने की सिफारिश की।
- 1978 में उन्होंने एक अभूतपूर्व आरक्षण मॉडल पेश किया जिसमें ओबीसी, ईबीसी, महिलाओं और उच्च जातियों के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशिष्ट कोटा के साथ 26% आरक्षण आवंटित किया गया।

आगे की राह:

भारत रत्न भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। यह सामाजिक उत्थान के लिए किये गए कार्यों को मान्यता देने हेतु दिया जाता है ताकि ऐसे महान लोगों की नीतियों से सीख लेकर आम जनमानस भी सामाजिक जीवन आगे बढ़ सके।

ब्रेन बूस्टर– वर्षांत समीक्षा-2023

विद्युत मंत्रालय

विद्युत क्षेत्र के बारे में

- बिजली उत्पादन की वर्तमान **स्थापित क्षमता** लगभग **4,26,132 मेगावाट** है।
- चालू वर्ष 2023-24 में जोड़ी गई 9,943 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता जोड़ी गयी है, जो निम्न से प्राप्त है:
  - 1,674 मेगावाट जीवाश्म ईंधन स्रोतों से
  - 8,269 मेगावाट गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से
- वर्ष के दौरान, 7,569 मेगावाट की नवीकरणीय क्षमता जोड़ी गई है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की उपलब्धता 2015 में 12 घंटे से बढ़कर 20.6 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 23.8 घंटे तक बढ़ गई है।

समर्थ मिशन

- खेतों में पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने और ताप विद्युत उत्पादन के कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए, विद्युत मंत्रालय ने **कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर राष्ट्रीय मिशन** स्थापित करने का निर्णय लिया है।
- यह देश में ऊर्जा संबंधी बदलाव और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों की ओर बढ़ने के हमारे लक्ष्यों में और मदद करेगा।
- बायोमास पर राष्ट्रीय मिशन, **राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम** (एनसीएपी) में भी योगदान देगा।

ट्रांसमिशन क्षमता

- पिछले 9 वर्षों में, 187849 सीकेएम के साथ, 479185 सीकेएम का ट्रांसमिशन नेटवर्क दुनिया में **सबसे बड़े राष्ट्रीय सिंक्रोनस ग्रिड** के रूप में विकसित हुआ है।
- एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में **बिजली ट्रांसमिट करने की कुल अंतर-क्षेत्रीय क्षमता** पिछले 9 वर्षों में 35,950 मेगावाट से बढ़कर **1,16,540 मेगावाट** हो गई है।

संशोधित वितरण क्षेत्र योजना

- भारत सरकार ने **डिस्कॉम को उनकी परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद** करने के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) शुरू की।
- इसका उद्देश्य पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क प्राप्त करने के आधार पर आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए डिस्कॉम को परिणाम-लिंक्ड वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन

नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) को यूएसएआईडी की दक्षिण एशिया क्षेत्रीय ऊर्जा साझेदारी (एसएआरईपी) की तकनीकी सहायता से, विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में, स्मार्ट वितरण शहरों के लिए मूल्यांकन का नेतृत्व करने के लिए नामित किया गया है।

स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम

प्रधानमंत्री ने 5 जनवरी, 2015 को पूरे भारत में पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट और ऊर्जा कुशल एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलने के लिए स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) लॉन्च किया।

उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल (उजाला)

- प्रधानमंत्री ने 5 जनवरी 2015 को उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
- उजाला योजना के तहत, पारंपरिक और अप्रभावी वेरिएंट के प्रतिस्थापन के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूब लाइट और बिजली बचाने वाले पंखे बेचे जा रहे हैं।

ब्रेन बूस्टर– वर्षांत समीक्षा-2023

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय

सेक्टर के बारे में

- एमएसएमई क्षेत्र में **6.30 करोड़ से अधिक उद्यम** हैं।
- यह भारतीय अर्थव्यवस्था के एक अत्यधिक जीवंत और गतिशील क्षेत्र के रूप में उभरा है, जो उद्यमिता को बढ़ावा देता है और कृषि के बाद तुलनात्मक रूप से कम पूंजी लागत पर **स्व-रोजगार के अवसर** पैदा करता है।
- एमएसएमई मंत्रालय विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करके क्षेत्र की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देता है:
  - ऋण सहायता
  - तकनीकी सहायता
  - अवसंरचना विकास
  - कौशल विकास और प्रशिक्षण
  - प्रतिस्पर्धात्मकता
  - बाजार सहायता
- मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने वाले संगठनों में शामिल हैं:
  - विकास आयुक्त कार्यालय (एमएसएमई)
  - खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)
  - कॉयर बोर्ड
  - राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी)
  - राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम संस्थान (एनआईएमएसएमई)
  - महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमजीआईआरआई)

पीएम विश्वकर्मा

- 'पीएम विश्वकर्मा' योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के **उत्पादों व सेवाओं की पहुंच के साथ-साथ गुणवत्ता में सुधार** करना है। साथ ही यह सुनिश्चित करना है कि 'विश्वकर्मा' घरेलू एवं वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत किया जाए।
- 1 फरवरी 2023 को वित्त वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में इस योजना की घोषणा की गई थी।
- यह योजना 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी।
- पीएम विश्वकर्मा **केंद्र की योजना** है, जो पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इसमें पांच साल की शुरुआती अवधि यानी 2023-24 से 2027-28 के दौरान 13,000 करोड़ रुपये का प्रारंभिक परिव्यय प्रस्तावित है।
- **उपलब्धियां:**
  - 30 दिसंबर 2023 तक पीएम विश्वकर्मा के तहत कुल 48.80 लाख नामांकन किए गए हैं।
  - योजना के तहत कुल 1.32 लाख आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत किए गए हैं।

खरीद एवं विपणन सहायता

- **सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सार्वजनिक खरीद नीति**
  - एमएसएमई मंत्रालय ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति, आदेश, 2012 को अधिसूचित किया, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा एमएसई से 25% वार्षिक खरीद अनिवार्य है।
  - एमएसई से विशेष खरीद के लिए कुल 358 आइटम आरक्षित हैं।
- **खरीद और विपणन सहायता (पीएमएस) योजना**
  - यह योजना नई बाजार पहुंच के अवसरों को बढ़ावा देती है और एमएसएमई क्षेत्र में उत्पादों और सेवाओं की विपणन क्षमता को बढ़ाती है।

क्रेडिट तक पहुंच

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)

- पीएमईजीपी **गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना** के माध्यम से रोजगार के अवसर देने के लिए **क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना** है।
- नई परियोजना स्थापित करने के लिए स्वीकार्य अधिकतम परियोजना लागत है:
  - विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपये
  - सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपये
- इकाइयों द्वारा पेश किए गए उत्पादों और सेवाओं का विवरण हासिल करने और उनके लिए बाजार तक पहुंच बनाने के लिए पीएमईजीपी इकाइयों की **जियो-टैगिंग** शुरू की गई है।

क्रेडिट गारंटी योजना

- देश में एमएसई तक ऋण पहुंच की सुविधा के लिए **सूक्ष्म और लघु उद्यमों को लेकर क्रेडिट गारंटी** (सीजीटीएमएसई) वर्ष 2000 में शुरू की गई थी।
- इस योजना को वर्ष 2023 में नया रूप दिया गया। 1 अप्रैल 2023 से योजना में निम्नलिखित विशेषताएं जोड़ी गईः
  - गारंटी कवरेज की अधिकतम सीमा को 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये करना।
  - वार्षिक गारंटी शुल्क 0.75% से घटाकर 0.37% कर दिया गया।
  - कानूनी कार्यवाही से छूट के लिए निर्धारित सीमा को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया।

बुनियादी ढांचा एवं क्षमता निर्माण

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी):

- वर्ष 2003 में सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) शुरू किया गया था।
- **उद्देश्यः** 'सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी)' की स्थापना और औद्योगिक संपदा के निर्माण और उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) की **उत्पादकता व प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना।**

पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष की योजना (स्फूर्ति):

- **उद्देश्यः** कारीगरों और पारंपरिक उद्योगों को समूहों को निम्न में संगठित करनाः
  - बेहतर प्रतिस्पर्धात्मकता।
  - रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए।
  - ऐसे समूहों के उत्पादों की विपणन क्षमता बढ़ाना।
- कुल 513 समूह स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 389 समूहों ने काम करना शुरू कर दिया है।

नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना (एस्पायर):

- एस्पायर का उद्देश्य **कृषि-ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना** है।
- एस्पायर के तहत दो घटक हैं:
  - **लाइवलीहुड बिजनेस इन्क्यूबेटर्स (एलबीआई):**
    - **उद्देश्यः** नई तकनीकी से औपचारिक, मापनीय सूक्ष्म-उद्यम निर्माण की सुविधा देकर रोजगार के अवसर पैदा करना है। इसके साथ ही बेरोजगार, मौजूदा स्व-रोजगार/वेतन कमाने वालों के लिए कौशल, कौशल क्षमता को बढ़ाने व उसे और कुशल बनाना है।
  - **एस्पायर फंड ऑफ फंड्स (एफओएफ):**
    - इसका प्रबंधन सिडबी द्वारा किया जाता है।
    - शुरुआती दौर में नवाचार, उद्यमिता, कृषि-आधारित क्षेत्र में विनिर्माण व सेवा वितरण की कई मूल्य श्रृंखलाओं के साथ आगे व पीछे के संबंधों को विकसित करने में तकनीक और व्यावसायिक उद्यम विकसित करने में सफल होने के लिए स्केलेबल स्टार्ट-अप को सहयोग और पोषण की आवश्यकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सिडबी द्वारा प्रबंधित एफओएफ को वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) के माध्यम से निवेश पर ध्यान केंद्रित करके बनाया गया था।

रैंप योजना

- **रैंपः एमएसएमई के प्रदर्शन को बढ़ाने और तेज करने का कार्यक्रम**
- रैंप योजना का उद्देश्यः
  - केंद्र और राज्य में संस्थानों और शासन को मजबूत करना,
  - केंद्र-राज्य लिंकेज और साझेदारी में सुधार करना
  - निम्न हेतु एमएसएमई की पहुंच में सुधारः
    - बाजार और क्रेडिट तक
    - प्रौद्योगिकी उन्नयन
    - विलंबित भुगतान के मुद्दों को संबोधित करना
    - एमएसएमई का कायाकल्प

प्रौद्योगिकी तक पहुंच

एमएसएमई चैंपियंस

- उद्देश्य:
  - समूहों और उद्यमों को चुनना एवं उनकी प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना
  - बर्बादी को कम करना
  - व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना
  - राष्ट्रीय व वैश्विक पहुंच एवं उत्कृष्टता को सुविधाजनक बनाना
- स्कीम तीन घटक हैं:
  - एमएसएमई-सस्टेनेबल (जेडईडी)
  - एमएसएमई-कंपीटिटिव (एलईएएन)
  - एमएसएमई - इनोवेटिव (इनक्यूबेशन, डिजाइन, आईपीआर)

प्रौद्योगिकी केंद्र

- प्रौद्योगिकी केंद्र (जिसे टूल रूम और तकनीकी संस्थान के रूप में भी जाना जाता है) निम्न सेक्टर्स में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं:
  - फाउंड्री और फोर्जिंग
  - इलेक्ट्रॉनिक्स
  - विद्युत मापने के उपकरण
  - सुगंध और स्वाद
  - ग्लास
  - खेल के सामान
  - फुटवियर डिजाइनिंग

खादी, ग्रामोद्योग और नारियल-जटा क्षेत्र को बढ़ावा देना

खादी एवं ग्रामोद्योग:

- उद्योग के पुनर्गठन अभ्यास के तहत भारत सरकार ने 2019 में सभी मौजूदा केवीआई योजनाओं/उप-योजनाओं/घटकों का विलय कर **खादी और ग्रामोद्योग विकास योजना** (केजीवीवाई) की शुरुआत की गई।

नारियल-जटा क्षेत्र:

- भारतीय कॉयर क्षेत्र ने जनवरी से दिसंबर 2023 की अवधि के दौरान 3,992 करोड़ रुपये मूल्य के 12,65,000 मीट्रिक टन का निर्यात कारोबार हासिल किया।
- इस अवधि के दौरान नारियल-जटा रेशे का कुल उत्पादन 7,31,000 मीट्रिक टन है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी)

- एनएसआईसी **कच्चे माल की खरीद के लिए** बैंक गारंटी के लिए कच्चे माल सहायता योजना में आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान करके **ऋण सहायता** प्रदान करता है।
- **मिशन:** विपणन, प्रौद्योगिकी, वित्त और अन्य सेवाओं को शामिल करते हुए एकीकृत सहायता सेवाएं प्रदान करके 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र को बढ़ावा देना और समर्थन करना'।

महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान (एमजीआईआरआई)

- एमजीआईआरआई, वर्धा एक राष्ट्रीय स्वायत्त संस्थान है। इसे भारत सरकार के एमएसएमई मंत्रालय के तत्वावधान में 2009 में स्थापित किया गया था।
- एमजीआईआरआई में निम्नलिखित विभाग हैं:
  - खादी और कपड़ा उद्योग (केएंडटी)
  - जैव-प्रसंस्करण और हर्बल आधारित उद्योग (बीएंडएच)
  - ग्रामीण रसायन उद्योग (आरसीआई)
  - ग्रामीण शिल्प और इंजीनियरिंग (आरसीएंडई)
  - ग्रामीण बुनियादी ढांचे और ऊर्जा (आरईआई)
  - प्रबंधन और सिस्टम (एमएस)

ब्रेन बूस्टर– वर्षांत समीक्षा-2023

जनजातीय कार्य मंत्रालय

मंत्रालय के बारे में

जनजातीय कार्य मंत्रालय की स्थापना 1999 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विभाजन के बाद की गई थी।

प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन

अत्यधिक कमजोर आदिवासी समूह (पीवीटीजी) परिवारों और बस्तियों को बुनियादी सुविधाओं से संतृप्त करना जैसे:

- सुरक्षित आवास
- स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता
- शिक्षा स्वास्थ्य तथा पोषण
- सड़क तथा दूरसंचार कनेक्टिविटी
- टिकाऊ आजीविका के अवसरों तक पहुंच बढ़ाने के मौके

राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन

- आईसीएमआर और संबंधित राज्यों के सहयोग से **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** और **जनजातीय कार्य मंत्रालय** द्वारा संयुक्त रूप से लागू किया जा रहा है।
- इस मिशन के तहत एकीकृत तरीके से इस आनुवंशिक बीमारी के निवारक, उपचारात्मक और प्रबंधन पहलुओं को शामिल किया जाएगा।

जन जातीय गौरव दिवस

भगवान बिरसा मुंडा को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देने के लिए **15 नवंबर**, 2023 को जन जातीय गौरव दिवस मनाया जाता है।

प्रधानमंत्री जनजातीय न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन)

- 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में एसटी आबादी 10.45 करोड़ है, जिसमें से 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित **75 समुदायों** को **अत्यधिक कमजोर आदिवासी समूह** (पीवीटीजी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अत्यधिक कमजोर आदिवासी समूहों यानी पीवीटीजी को 11 बुनियादी सुविधाएं देना सुनिश्चित करने के लिए 9-संबद्ध मंत्रालयों और जिला प्रशासन के साथ मिलकर 100 जिलों में पीएम जनमन योजना का पहला चरण शुरू किया। इसके अंतर्गत निम्न बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं:
  - आधार नामांकन
  - पीएम जनधन खाते खुलवाने
  - सामुदायिक प्रमाणपत्र जारी करने
  - आयुष्मान भारत नामांकन
  - एफआरए पट्टा वितरण
  - किसान क्रेडिट कार्ड नामांकन

आदि महोत्सव

- आदि महोत्सव एक विशाल राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव है।
- आदी महोत्सव राष्ट्रीय फलक पर आदिवासी संस्कृति को दिखाने का एक प्रयास है और यह आदिवासी संस्कृति की भावना, शिल्प, खान-पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला का उत्सव मनाने का अवसर भी है।
- यह जनजातीय मंत्रालय के तहत आदिवासी सहकारी विपणन विकास फेडरेशन लिमिटेड (ट्राइफेड) की एक वार्षिक पहल है।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस)

- ईएमआरएस की शुरुआत वर्ष 1997-98 में हुई थी।
- इसका उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों में **अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान** करना है ताकि वे उच्च और व्यावसायिक शैक्षिक पाठ्यक्रमों में अवसरों का लाभ उठा सकें और विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त कर सकें।
- स्कूल न केवल शैक्षणिक शिक्षा पर बल्कि छात्रों के **सर्वांगीण विकास** पर ध्यान केंद्रित करते हैं।
- संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान के तहत राज्य सरकारों को स्कूलों के निर्माण और आवर्ती खर्चों के लिए अनुदान दिया जाता है।

ब्रेन बूस्टर– वर्षांत समीक्षा-2023

वित्त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

सॉवरेन ग्रीन बांड

- केंद्रीय बजट 2022-23 में, सरकार ने घोषणा की कि 2022-23 में सरकार के समग्र बाजार ऋण भार के एक हिस्से के रूप में, **हरित बुनियादी ढांचे के लिए संसाधन** जुटाने के लिए सॉवरेन ग्रीन बांड जारी किए जाएंगे।
- प्राप्त राशि का सेक्टर परियोजनाओं में उपयोग किया जाएगा जो अर्थव्यवस्था की **कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को कम करने** में सहायता करती हैं।

महिला सम्मान बचत प्रमाणपत्र

- कुल खोले गए खातों की संख्या 14,83,980 है जिनमें जुलाई 2023 तक 8,630 करोड़ रुपये की धनराशि जमा हैं।
- यह पहल **तिमाही चक्रवृद्धि 7.5 प्रतिशत की ब्याज दर** की पेशकश के साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है।

सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई)

- एसएसवाई वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा प्रारंभ की गई एक बचत योजना है, जो विशेष रूप से बालिकाओं के लाभ के लिए बनाई गई है।
- यह योजना बालिकाओं के कल्याण को बढ़ावा देने और माता-पिता को उनकी शिक्षा और विवाह के खर्चों में बचत करने को प्रोत्साहन देने के लिए 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान के अंग के रूप में शुरू की गई थी।

भविष्य के शहरों के वित्तपोषण के लिए जी20 सिद्धांत

- जी20 सिद्धांतों का उद्देश्य **स्थायी शहरी बुनियादी ढांचे की योजना और वित्तपोषण** का मार्गदर्शन करना है।
- ये सिद्धांत एक प्रारूप प्रदान करते हैं जो सरकारों, एमडीबी और अन्य विकास वित्तपोषण संस्थानों को उनकी योजना और स्थायी शहरी बुनियादी ढांचे के वित्तपोषण में मार्गदर्शन करने की क्षमता रखते हैं।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी)

- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) में आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा दोनों क्षेत्रों में 100 करोड़ रुपये से अधिक की **ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड बुनियादी ढांचा परियोजनाएं** शामिल हैं।
- पाइपलाइन में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और सरकार के 22 बुनियादी ढांचा मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाएं शामिल हैं।
- एनआईपी का 6,835 परियोजनाओं के साथ शुभारंभ किया गया था और 2020-2025 के बीच 108.88 लाख करोड़ रुपये के कुल परियोजना परिव्यय के साथ **9,288 से अधिक परियोजनाओं** पर कार्य के लिए इसका विस्तार किया गया है।
- परिवहन (42%), ऊर्जा (25%), जल और स्वच्छता (15%) और सामाजिक बुनियादी ढाँचा (3%) क्षेत्र एनआईपी के तहत अनुमानित बुनियादी ढाँचे के निवेश का लगभग 85% है।
- एनआईपी परियोजनाओं की जानकारी **भारत निवेश ग्रिड** (आईआईजी) पोर्टल पर रखी गई हैं।

वित्तीय सेवा विभाग

डिजिटल भुगतान

1. डिजिटल भुगतानों में प्रगति

- डिजिटल भुगतान पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ावा देना डिजिटल भारत कार्यक्रम का आवश्यक पहलू रहा है और इसमें समावेशी वित्तीय सेवाओं को विस्तार देते हुये भारतीय अर्थव्यवस्था में बदलाव लाने की क्षमता है।
- पिछले कुछ सालों के दौरान भारत में डिजिटल भुगतान में जबर्दस्त वृद्धि हुई है।
- कुल डिजिटल लेनदेन की संख्या जो कि 2017-18 में 2,071 करोड़ थी 2022-23 में बढ़कर 13,462 करोड़ पर पहुंच गई।

2. यूपीआई की प्रगति

- मात्र तीन साल से कुछ अधिक अवधि, अप्रैल 2020 से सितंबर 2023, के दौरान यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई।
- हर महीने एक अरब लेनदेन से बढ़कर **10 अरब लेनदेन** तक पहुंचकर यूपीआई ने डिजिटल भुगतान प्रणाली को नये ढंग से परिभाषित कर दिया और इसके साथ ही नवोन्मेष और उपयोग-केन्द्रित पहलों के लिये नये मानक तय कर दिये।

वित्तीय समावेश के लिये हस्तक्षेप

1. प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई)

- प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) को वित्तीय समावेश के राष्ट्रीय मिशन के तौर पर 28.08.2014 को शुरू किया गया था।
- इसका उद्देश्य देश के सभी परिवारों को समान रूप से बैंकिंग सुविधाओं तक प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बेसिक बैंक खाता, वित्तीय साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा कवर तक पहुंच सुनिश्चित कराते हुये **वृहद वित्तीय समावेश** की दिशा में आगे बढ़ना था। योजना में दी गई सुविधाएँ:
  - » जिन लोगों का बैंक खाता नहीं था उन्हें बिना किसी न्यूनतम बकाया आवश्यकता के एक बेसिक बैंक खाता उपलब्ध कराना जिसे 'बेसिक सेविंग्स बैंक डिपाजिट (बीएसबीडी) खाता कहा गया।
  - » दो लाख रूपये के दुर्घटना बीमा कवर के साथ निशुल्क रूपे डेबिट कार्ड उपलब्ध कराना।
  - » पात्रता शर्तों को ध्यान में रखते हुये 10,000 रूपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा।
  - » ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक मित्र के जरिये बैंक सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना।
  - » वित्तीय साक्षरता कार्यक्रमों के जरिये वित्तीय उत्पादों के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

2. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

- किसी भी कारण मृत्यू होने पर दो लाख रूपये का बीमा कवर।
- 18 से 50 वर्ष आयु के सभी व्यक्तिगत खाता धारक पंजीकरण के पात्र।
- प्रति सदस्य वार्षिक प्रीमियम 436 रूपये अथवा तिमाही समानुपात में।
- **कवर अवधि:** हर साल एक जून से 31 मई।
- जीवन बीमा कवर का नवीनीकरण एक साल की अवधि के लिये।

3. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई)

- मृत्यू/स्थायी विकलांगता होने पर 2 लाख रूपये का दुर्घटना बीमा। कवर, आंशिक विकलांगता पर एक लाख रूपये का बीमा कवर।
- 18 से 70 वर्ष आयु वाले सभी व्यक्तिगत खाताधारक योजना के लिये पात्र।
- प्रति सदस्य वार्षिक प्रीमियम 20 रूपये सालाना।
- **कवर अवधि:** एक जून से 31 मई।
- बीमा योजना की नवीनीकरण अवधि एक साल।

4. मुद्रा - वित्तपोषण रहित का वित्तपोषण

- 8 अप्रैल 2015 को योजना की शुरूआत।
- **उद्देश्य:** मुर्गीपालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन आदि जैसी कृषि से संबद्ध गतिविधियों सहित विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में आय पैदा करने वाले छोटे व्यवसाय उद्यमों के वित्तपोषण के लिए, सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी दोनों आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।
- **ऋणदाता सदस्य संस्थान:** बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी), और सूक्ष्म वित्तीय संस्थान (एमएफआई)।
- श्रेणियां:
  - » शिशु - 50,000 रूपये तक कर्ज।
  - » किशोर - 50,000 रूपये से अधिक और 5.00 लाख रूपये तक।
  - » तरूण - पांच लाख से अधिक और 10.00 लाख रूपये तक का कर्ज।
- गारंटी के लिये दबाव नहीं।
- **ब्याज दर-** कर्जदाता संस्थान द्वारा तय की जाती है। लेनदार द्वारा केवल रातभर रखी गई राशि पर ब्याज देय होता है।

5. स्टैण्ड अप इंडिया योजना

- योजना 5 अप्रैल 2016 को शुरू की गई।
- **उद्देश्य:** अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से अनुसूचित जाति (एससी)/अनुसूचित जनजाति (एसटी) और महिलाओं को 10 लाख से एक करोड़ रूपये तक का कर्ज उपलब्ध कराने की सुविधा देना। यह नया उद्यम व्यापार, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र और कृषि क्षेत्र से जुड़ी गतिविधियों में हो सकता है।

पावर पैक्ड न्यूज

पेमेंट एग्रीगेटर

हाल ही में जोमैटो की सहायक कंपनी जोमैटो पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड को भारत में 'ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर' के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से प्राधिकरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

भुगतान एग्रीगेटर के बारे में:

- पेमेंट एग्रीगेटर एक तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता है जो व्यापारियों को भुगतान प्रोसेसर से जोड़ता है।
- यह व्यापारियों को अपनी वेबसाइटों या ऐप्स में एकीकृत करके ग्राहकों से भुगतान स्वीकार करने की अनुमति देता है।
- यह व्यापारियों को व्यक्तिगत बैंक-आधारित व्यापारी खाते स्थापित करने की आवश्यकता के बिना ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान सहित विभिन्न प्रकार के लेनदेन को सक्षम बनाता है।
- इसे भारत में कंपनी अधिनियम 2013 के तहत शामिल किया गया है।
- इसे संचालित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस की आवश्यकता होती है भले ही यह एक बैंक या गैर-बैंक इकाई हो।
- भारत में पेमेंट एग्रीगेटर के कुछ उदाहरणों में अमेजन (पे) इंडिया, गूगल इंडिया, रेजरपे, पाइन लैब्स आदि शामिल हैं।
- कई भुगतान एग्रीगेटर्स अपने व्यापारी ग्राहकों को विशेष सेवाएं प्रदान करने के लिए भुगतान गेटवे के मालिक होते हैं।

सी-बॉट

हाल ही में, गोवा स्थित राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान (एनआईओ) ने प्रवाल चट्टानों की दीर्घकालिक निगरानी के लिए एक कोरल रीफ मॉनिटरिंग एंड सर्विलांस रोबोट या सी-बॉट लॉन्च किया है।

सी-बॉट के बारे में:

- सी-बॉट एक कोरल ऑटोनॉमस अन्डर वाटर विहीकल (Coral Autonomous Underwater Vehicle) है जो लंबे समय तक मूंगा चट्टानों की निगरानी करता है।
- यह उन्नत निगरानी क्षमताओं वाला एक उन्नत रोबोट है।
- यह पानी के भीतर 200 मीटर की गहराई जाने में सक्षम है जो हिंद महासागर की गहराई को स्कैन कर सकता है।
- यह नौसेना को नेविगेशन चैनलों की योजना बनाने और हाइड्रोथर्मल वेंट को बाहर निकालने में मदद करने के लिए बैथीमेट्री अध्ययन करने में भी मदद करेगा जहां भू-तापीय रूप से गर्म पानी समुद्र तल के नीचे से रिसता है।

फाइटोकैनाबिनोइड्स

हाल ही में सीएसआईआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, जम्मू के वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि भांग के पौधे में फाइटोकैनाबिनोइड्स अज्ञात एंटीबायोटिक गुण होते हैं।

फाइटोकैनाबिनोइड्स (Phytocannabinoids) के बारे में:

- फाइटोकैनाबिनोइड्स मल्टी-रिंग फेनोलिक यौगिक हैं जो संरचनात्मक रूप से टेट्राहाइड्रोकैनाबी (THC) से संबंधित हैं।
- यह अन्य पौधों जैसे-रोडोडेंड्रोन, लिकोरिस और लिवरवॉर्ट में पाए जाते हैं।
- उनकी क्रिया का तंत्र अन्य कैनाबिनोइड्स के समान है, जैसे डेल्टा-9-टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल (9&THC)
- यद्यपि वे सीबीआई रिसेप्टर्स के लिए कम आकर्षण है जिसका अर्थ है कि प्रभाव का अनुभव करने के लिए बहुत अधिक खुराक की आवश्यकता होती है।
- **फाइटोकैनाबिनोइड्स:** कैनाबिस सैटिवा की जटिल रसायन विज्ञान तथा फार्माकोलॉजी को उजागर करना एक पुस्तक है जो फाइटोकैनाबिनोइड रसायन विज्ञान और फार्माकोलॉजी पर कला की वर्तमान स्थिति को प्रस्तुत करती है।
- इसे पहली बार 24 जनवरी, 2017 को प्रकाशित किया गया था जिसके संपादकों में ए. डगलस किंगहॉर्न और साइमन गिबन्स शामिल हैं।

चाकलीया समुदाय

हाल ही में यह पता चला है कि के.पी. नारायणन और उनकी भतीजी राजपुत्री (जो केरल के कन्नूर जिले में चाकलीया समुदाय से संबंध रखते हैं) माधिका भाषा के अंतिम धाराप्रवाह वक्ता हैं। उनके बाद यह लिपिविहीन भाषा दुनिया से विलुप्त हो जाएगी।

चाकलीया समुदाय (Chakaliya Community) के बारे में:

- चाकलीया समुदाय एक खानाबदोश समुदाय है जो तिरुवेंकटरामन और मरियम्मा के उपासक हैं।
- अतीत में उन्हें अछूत माना जाता था जिससे उन्हें सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने की अनुमति नहीं थी।
- वे कई सदियों पहले कर्नाटक के पहाड़ी क्षेत्रों से उत्तरी मालाबार गए थे।
- वे कम संख्या में पलकुन्नू, कूक्कना, प्रांधनचल और एझिलोदे जैसे क्षेत्रों में रहते हैं।
- उन्हें शुरू में एक अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई, परन्तु बाद में उन्हें अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया गया।

माधिका भाषा:

- माधिका केरल के कन्नूर जिले की एक लुप्तप्राय: भाषा है। मलयालम के प्रभुत्व के कारण यह विलुप्त होने का सामना कर रही है क्योंकि इसका उचित दस्तावेजीकरण नहीं हो पाया है। चाकलीया समुदाय माधिका का संरक्षक है।
- माधिका की कोई लिपि नहीं है, यह पूरी तरह से मौखिक है। यह तेलुगु, तुलु, कन्नड़ और मलयालम के प्रभावों को शामिल करने वाली एक भाषाई मिश्रण की विशेषता है। चाकलीया समुदाय को ऐतिहासिक सामाजिक कलंक और भेदभाव का सामना करना पड़ा।

मपेम्बा प्रभाव (Mpemba Effect)

हाल ही में आधुनिक वैज्ञानिकों ने मपेम्बा प्रभाव पर ध्यान देना शुरू किया है। हालांकि कई वैज्ञानिकों ने पहले ही इसका उल्लेख किया था।

मपेम्बा प्रभाव के बारे में:

- मपेम्बा प्रभाव एक ऐसी घटना है जहां एक गर्म जल प्रणाली उसी प्रणाली की तुलना में तेजी से ठंडी हो जाती है जो ठंडे तापमान पर शुरू होती है।
- इसका नाम तंजानियाई गेम वार्डन एरास्टो बार्थोलोमियो एमपेम्बा के नाम पर रखा गया है जिन्होंने 1969 में इस घटना की खोज की थी।
- यह प्रभाव प्रति-सहज ज्ञान युक्त है जिसे अरस्तू के समय से देखा गया है।
- इसे कई प्रायोगिक अवलोकनों में संक्रमण समय द्वारा परिभाषित किया गया है। उदाहरण के लिए यदि गर्म पानी 99.9°C पर शुरू होता है और ठंडा पानी 0.01°C पर शुरू होता है, तो ठंडा पानी पहले जम जाएगा।

विंग्स इंडिया अवाईस

हाल ही में हैदराबाद में आयोजित नागरिक उड्डयन क्षेत्र में 'विंग्स इंडिया अवाड्र्स' के चौथे संस्करण में बैंगलोर और दिल्ली हवाई अड्डों ने संयुक्त रूप से वर्ष 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता।

विंग्स इंडिया अवाईस के बारे में:

- विंग्स इंडिया अवाड्र्स विमानन क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास और नवाचार का प्रदर्शन करने वालों के लिए उत्कृष्टता का मानक है।
- यह पुरस्कार उन लोगों को सम्मानित करता है जिन्होंने उत्कृष्ट प्रथाओं और नवाचार का प्रदर्शन किया है।
- 2024 विंग्स इंडिया अवाड्र्स केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत किए गए।
- यह कार्यक्रम नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MOCA) और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था।
- कार्यक्रम का विषय 'अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना: भारतीय नागरिक उड्डयन @2047 के लिए मंच तैयार करना' था।

तिब्बती भूरा भालू

हाल ही में उत्तरी सिक्किम के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू की प्रजाति देखी गई है।

तिब्बती भूरे भालू के बारे में:

- तिब्बती भूरा भालू (उर्सस आर्कटोस पुइनोसस), भूरे भालू की एक उप-प्रजाति है जो पूर्वी तिब्बती पठार में रहता है।
- यह दुनिया में सबसे दुर्लभ भालू उप-प्रजातियों में से एक है जो जंगलों में बहुत कम देखा जाता है।
- यह दिखने, निवास स्थान और व्यवहार में अधिक सामान्य हिमालयी काले भालू से भिन्न है।
- यह 4,000 मीटर से ऊपर अल्पाइन जंगलों और घास के मैदानों में रहता है।
- वयस्क नर तिब्बती नीले भालू 1.8-2.1 मीटर (6-7 फीट) लंबे और इनके कंधे की चौड़ाई मीटर (3 फीट) तक हो सकती है, जबकि मादाएं सामान्यत: छोटी होती हैं।

- यह एक सर्वाहारी है जो मर्मोट और अल्पाइन वनस्पति खाता है।
- तिब्बत में इसे डोम ग्यामुक के नाम से जाना जाता है।
- इसे अनुसूची-1 के तहत सूचीबद्ध करके वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत सर्वोच्च संरक्षण का दर्जा प्रदान किया गया है।
- इसे संरक्षित प्रजाति के रूप में लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन के परिशिष्ट-। में भी सूचीबद्ध किया गया है।

माउंट मेरापी

हाल ही में इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप पर माउंट मेरापी में फिर से विस्फोट हुआ जिससे निकली राख ने आस-पास के गांवों को प्रभावित किया।

माउंट मेरापी के बारे में:

- माउंट मेरापी मध्य जावा, इंडोनेशिया में एक सक्रिय ज्वालामुखी है।
- इसे जावानीस भाषा में 'आग का पहाड़' कहा जाता है।
- यह दुनिया के सबसे सक्रिय और खतरनाक ज्वालामुखियों में से एक है जिसमें लगातार और कभी-कभी तीव्र विस्फोटों होता रहता है।
- यह इंडोनेशिया के 130 सक्रिय ज्वालामुखियों में से सबसे सक्रिय है जो वर्ष 1548 से नियमित रूप से उद्गरित होता रहा है।
- इंडोनेशिया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के हिस्से, सबडक्शन जोन पर स्थित है जो प्राय: ज्वालामुखी और भूकंपीय घटनाओं का सामना करता रहता है।

पैसिफिक रिंग ऑफ फायर:

- पैसिफिक रिंग ऑफ फायर (जिसे सर्कम-पैसिफिक बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है) प्रशांत महासागर के चारों ओर एक घोड़े की नाल के आकार का क्षेत्र है जो अपनी ज्वालामुखी गतिविधि और भूकंप के लिए जाना जाता है।
- रिंग ऑफ फावर में मारियाना ट्रेंच भी शामिल है जो 7 मील गहरी दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाई है।

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी (एनएसीआईएन) संस्थान का उद्घाटन किया।

एनएसीआईएन के बारे में:

- एनएसीआईएन (National Academy of Customs] Indirect Taxes and Narcotics) भारत सरकार का एक सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थान है जिसकी स्थापना 1955 में हुई थी।
- यह भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर) के अधिकारी प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षित करने के लिए उत्तरदायी है।
- यह केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के सभी अधिकारियों तथा कैडरों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण भी प्रदान करता है।
- यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
- इसका मुख्यालय फरीदाबाद में स्थित है जिसके भारत में 16 क्षेत्रीय परिसर हैं।

पाके पागा हॉर्नबिल महोत्सव

पाके पागा हॉर्नबिल महोत्सव का 9वां संस्करण अरुणाचल प्रदेश के पाके केसांग जिले के सेजोसा में 18-20 जनवरी, 2024 में सम्पन्न हुआ।

पाके पागा हॉर्नबिल महोत्सव के बारे में:

- पाके पागा हॉर्नबिल महोत्सव (पीपीएचएफ) अरुणाचल प्रदेश में वन्यजीव और प्रकृति संरक्षण को समर्थन देने के लिए सालाना आयोजित होने वाला तीन दिवसीय उत्सव है।
- 2015 से इसे अरुणाचल प्रदेश के राज्य उत्सव के रूप में मनाया जाता है।
- पाके पागा हॉर्नबिल महोत्सव 2024 का विषय 'डोमुतोह डोमुतोह, पगा हम डोमुतोह' है जिसका अर्थ निशि भाषा में 'हमें अपने हॉर्नबिल बचाए रखने दो' है।

- यह उत्सव हॉर्नबिल संरक्षण पर केंद्रित है जो हॉर्नबिल का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक पक्षी है जिसे नागा जनजाति सदियों से पूजता रहा है।
- इस उत्सव के उद्देश्यों में हॉर्नबिल संरक्षण में निशि जनजाति की भूमिका को पहचानना और क्षेत्र के लिए वैकल्पिक आय स्रोत निर्मित करना शामिल है।
- यह अरुणाचल प्रदेश का एक संरक्षण उत्सव है जो वन्यजीव और प्रकृति संरक्षण को बढ़ावा देता है।

कर्बी युवा महोत्सव

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने असम के डिफू में कर्बी युवा महोत्सव के स्वर्णिम समारोह में भाग लिया।

कर्बी युवा महोत्सव के बारे में:

- कर्बी युवा महोत्सव (केवाईएफ) सांस्कृतिक विरासत का एक वार्षिक उत्सव है।
- इसे भारत के सबसे पुराने नृजातीय उत्सवों में से एक माना जाता है।
- यह उत्सव 1980 के दशक के प्रारंभ में शुरू हुआ था जो अन्य जनजातियों के लिए अपनी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करके बढ़ावा देने का एक मॉडल है।
- इस उत्सव का उद्देश्य सूखे बीजों से खेले जाने वाले खेल हंबी केपाथु जैसे पारंपरिक खेलों को संरक्षित और बढ़ावा देना है।
- कर्बी लोग, असम के कर्बी आंगलोंग और पश्चिम कर्बी आंगलोंग जिलों की प्रमुख जनजाति है।
- कर्बी युवा महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के कर्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद (केएएसी) द्वारा प्रशासित क्षेत्रों में रहने वाले कर्बी और अन्य नृजातीय समुदायों द्वारा मनाया जाता है।
- उत्सव के स्वर्णिम जयंती को चिह्नित करने के लिए आयोजकों ने वार्षिक कार्यक्रम की अवधि को सामान्य पांच दिनों से बढ़ाकर आठ दिन कर दिया।

ह्यूमन पेपिलोमावायरस

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने खुलासा किया है कि सर्वाइकल कैंसर (भारत में महिलाओं में दूसरा सबसे आम कैंसर है) पेपिलोमावायरस संक्रमण के कारण होता है।

ह्यूमन पेपिलोमावायरस:

- ह्यूमन पेपिलोमावायरस (एचपीवी) डीएनए वायरस का एक परिवार है।
- यह संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे आम यौन संचारित संक्रमण (एसटीआई) है।
- यह आमतौर पर हानिरहित होता है और अपने आप ठीक हो जाता है लेकिन कभी-कभी कैंसर या जननांग मस्से का कारण हो सकता है।
- यह वायरस किसी के शारीरिक सम्पर्क में आने या त्वचा से त्वचा के संपर्क द्वारा फैलता है।
- ऐसा अनुमान है कि हर साल लगभग 1.25 लाख महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का पता चलता है और उनमें से लगभग 75,000 की मृत्यु हो जाती है।
- वैश्विक सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौतों में से लगभग 25% मौतें भारत में होती हैं।
- 2022 में, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्तर पर सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने के लिए एक रणनीति अपनाई।
- रणनीति में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि 2030 तक 90% लड़कियों को एचपीवी टीका पूरी तरह से लगाया जाए। भारत में दो टीके 'गार्डासिल और सेरवावैक' इसके लिए उपलब्ध हैं।

अनुवादिनी ऐप

हाल ही में केंद्र सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित प्लेटफॉर्म 'अनुवादिनी' ऐप पेश किया है।

- इस पहल का उद्देश्य सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए अध्ययन सामग्री को डिजिटल रूप में उपलब्ध कराना है जो विशेष रूप से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध भारतीय भाषाओं में हो।
- यह कदम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है जो अपनी मातृभाषा में अध्ययन के महत्त्व पर जोर देती है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और स्कूल शिक्षा विभाग को एनईपी, 2020 के आदेश के अनुसार क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1. हाल ही में भारत के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने करियर का पहला मेन्स डबल्स ग्रैंड स्लैम खिताब, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 जीता। वे 43 वर्ष की उम्र में यह खिताब जीतकर ग्रैंड स्लैम जीतने के इतिहास में सबसे उम्रदराज पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं।
2. हाल ही में IRSE ऑफिसर अनिल कुमार लाहोटी को टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। मीनाक्षी गुप्ता को अंतरिम चेयरमैन बनाया गया था। TRAI चेयरमैन का कार्यकाल 3 साल या 65 वर्ष की आयु या अगले आदेश तक रहता है।
3. हाल ही में केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग के लिए चार सदस्यों की नियुक्ति की है जिसमें पूर्व सचिव अजय नारायण झा, पूर्व विशेष सचिव एनी जॉर्ज मैथ्यू, कार्यकारी निदेशक अर्था ग्लोबल डॉ. निरंजन राजाध्यक्ष और स्टेट बैंक ग्रुप के मुख्य आर्थिक सलाहकार सौम्य कांति घोष का नाम शामिल है।
4. हाल ही में ब्लूमबर्ग ने दुनिया की टॉप सेलिंग कार कंपनी 2023 रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक टोयोटा मोटर कॉर्प दुनिया की सबसे बड़ी कार बेचने वाली कंपनी है, वहीं दूसरे स्थान पर फॉक्सवैगन है जिसने 12% की वार्षिक वृद्धि के साथ 92.4 लाख कारें बेचीं।
5. हाल ही में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना रेफरेंस मामले में 14 साल की सजा व 78 करोड़ पाकिस्तानी रूपये का जुर्माना लगाया गया है।
6. हाल ही में 26 जनवरी के भारतीय गणतंत्र दिवस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
7. हाल ही में ओला ग्रुप की कंपनी क्रुट्रिम भारत की पहली यूनिकॉर्न AI कंपनी बनी।
8. हाल ही में भारतीय वायु सेना, फ्रांसीसी वायु और अंतरिक्ष बल (FASF) तथा संयुक्त अरब अमीरात वायु सेना ने सयुंक्त डेजर्ट नाइट अभ्यास किया।
9. गणतंत्र दिवस की पूर्वसंध्या पर 25 जनवरी को राष्ट्रपति ने सेना के 80 जवानों को वीरता पुरस्कार देने की घोषणा की जिसमें 12 जवानों को मरणोपरांत सम्मान, 6 को कीर्ति चक्र (3 मरणोपरांत), 16 शौर्य चक्र (2 मरणोपरांत), 53 सेना मेडल (7 मरणोपरांत) समेत एक नौसेना और 4 वायुसेना मेडल शामिल हैं।
10. जनरल इंश्योरेंस काउंसिल द्वारा हाल ही में 'कैशलेस एवरीवेयर' नाम से नए इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है। इसके तहत हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी धारक अब देश के किसी भी हॉस्पिटल में कैश-लेस इलाज की सुविधा का लाभ ले सकेंगे। इसके लिए अलग से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा।
11. हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के 12 उत्पादों अपातानी, मोनपा, आदि, गैलो, ताई खामती, न्यीशी वस्त्र, मोनपा हेंडमेड कागज, सिंगफो फलाप (सिंगफो चाय), आदि अपोंग, दाओ, अंगन्यात बाजरा तथा मारूआ अपो को जीआई टैग प्राप्त हुआ।
12. हाल ही में सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 3 ट्रिलियन डॉलर मार्केट वैल्यू पार करके मार्केट वैल्यू के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेर कंपनी बन गई है।
13. हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 जनवरी को यूपी दिवस के अवसर पर लखनऊ की वैज्ञानिक और भारत के मंगल मिशन के विकास में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली डॉ. ऋतु करिधल तथा दुनिया में सबसे बड़ा स्वतंत्र मोबाइल एडटेक प्लेटफॉर्म स्थापित करने वाले कानपुर के उद्यमी नवीन तिवारी को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से सम्मानित किया।
14. हाल ही में बीसीसीआई ने हैदराबाद में अवॉर्ड सेरेमनी में भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को 'क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024' और टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री को 'लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड' से सम्मानित किया।
15. हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार वर्ष 2024, देश के सभी क्षेत्रों से असाधारण उपलब्धियों के लिए 19 बच्चों को दिया गया। बहादुरी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा नवाचार की प्रत्येक श्रेणी में से चयनित सूची में एक बच्चा, समाज सेवा की श्रेणी में चार बच्चे, खेल की श्रेणी में पांच बच्चे और कला एवं संस्कृति की श्रेणी में सात बच्चे शामिल हैं। सूची में 9 लड़के और 10 लड़कियां शामिल हैं जो 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से हैं।
16. हाल ही में भारत और मिस्र की आर्मी के बीच 'साइक्लोन' युद्धाभ्यास के दूसरे संस्करण का समापन हुआ।
17. पेप्सिको इंडिया ने जागृत कोटेचा (Jagrut Kotecha) को अपना नया CEO नियुक्त किया।
18. भारत सरकार की नई शिक्षा नीति के तहत फारसी को भारत की नौ शास्त्रीय भाषाओं में शामिल करने का फैसला लिया गया।
19. छत्तीसगढ़ सरकार ने महतारी वन्दन योजना नाम से एक नई योजना शुरू की। इस योजना के तहत हर महीने महिलाओं को एक हजार रुपए दिए जाएंगे।
20. हाल ही में लंदन में आयोजित 'फीफा अवॉर्ड्स 2023' सेरेमनी में अर्जेंटीना के लियोनल मेसी को फीफा का 'फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023' और स्पेन की आइताना बोनमती को 'विमेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर 2023' अवार्ड से सम्मानित किया गया।

चर्चा में रहे प्रमुख स्थल

नौरू

हाल ही में नौरू ने एक-चीन सिद्धांत के तहत पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता देने और ताइवान के साथ राजनयिक संबंध तोड़ने की घोषणा किया।

- **स्थानः** नौरू दुनिया का सबसे छोटा द्वीपीय गणराज्य और दुनिया का तीसरा सबसे छोटा देश होने के अलावा माइक्रोनेशिया का एक हिस्सा है जो भूमध्य रेखा से 42 किलोमीटर दक्षिण तथा सिडनी (ऑस्ट्रेलिया) से 4,000 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है।
- नौरू देश की राजधानी यारेन है।
- **सीमाएँः** यह द्वीप एक झालरदार प्रवाल चट्टान से घिरा हुआ है जो कम ज्वार पर उजागर होता है और शिखरों से युक्त है। इसके पड़ोसी द्वीपीय क्षेत्र किरिबाती और सोलोमन हैं।

भौतिक विशेषताएंः

- कमांड रिज नौरू का सबसे ऊंचा स्थान है।
- प्रशांत महासागर में स्थित यह फॉस्फेट चट्टान से बना है।
- भूमध्य रेखा और महासागर से निकटता के कारण नौरू की जलवायु पूरे वर्ष गर्म तथा बहुत आर्द्र रहती है।

सेनेगल

हाल ही में यह पाया गया है कि सेनेगल की गुलाबी झील (लेक रेटबा या लेक रोज) के नाइट्रेट स्तर में अचानक वृद्धि के कारण यह लुप्त होने की कगार पर है।

स्थानः

- सेनेगल पश्चिम अफ्रीका का एक देश है जो महाद्वीप के सबसे पश्चिमी बिंदु पर स्थित है। यह सेनेगल-मॉरिटानियन बेसिन के नाम से प्रसिद्ध अवसाद में स्थित है।
- सेनेगल की राजधानी डकार (Dakar) है।
- **सीमाएँः** सेनेगल अपनी सीमा माली (पूर्व), अटलांटिक महासागर (पश्चिम), मॉरिटानिया (उत्तर), गिनी (दक्षिण), गाम्बिया (दक्षिणपूर्व) और दक्षिण-पश्चिम में गिनी-बिसाऊ के साथ साझा करता है।

भौतिक विशेषताएंः

- बौनेज रिज सेनेगल का सबसे ऊँचा स्थान है।
- सेनेगल और सलौम सेनेगल की प्रमुख नदियाँ हैं।
- गैलेकाउटो सेनेगल का सबसे प्रमुख पर्वत है।
- देश में कुछ महत्त्वपूर्ण खनिज जैसे-फॉस्फेट, चूना पत्थर, सोना और जिरकोन के भंडार भी पाए जाते हैं।

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. दुनिया की आधी से अधिक आबादी शहरों में रहती है

2. वैश्विक स्तर पर, शहर वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में 80% से अधिक और सभी ग्रीनहाउस गैसों/कार्बन उत्सर्जन में 75% से अधिक का योगदान करते हैं।

3. हाल ही में 11वें सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) में विशेष रूप से शहरों पर ध्यान केंद्रित करने और जी-20 के तहत यू-20 जैसे समूहों के गठन ने शहर-स्तरीय कार्य योजनाओं की आवश्यकता को स्वीकार किया है।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी
D. कोई भी नहीं

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पुरी के 12वीं शताब्दी के श्री जगन्नाथ मंदिर के आसपास एक परिधीय विकास परियोजना, श्री मंदिर परिक्रमा प्रकल्प (एसएमपीपी) का अनावरण किया।

2. मंदिर को घेरने वाली 75 मीटर चौड़ी जगह, जिसे हेरिटेज कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है, को एसएमपीपी नाम दिया गया है और इसे नौ अलग-अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

3. श्री जगन्नाथ पुरी मंदिर का निर्माण गंगा राजवंश के प्रसिद्ध राजा अनंत वर्मन चोदगंगा देव ने 12वीं शताब्दी में समुद्र तट पुरी में करवाया था।

उपर्युक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. सभी
D. कोई भी नहीं

3. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

कथन-I: पंचायती राज संस्था के वित्त को बाधाओं का सामना करना पड़ता है क्योंकि संपत्ति कर, शुल्क और जुर्माने से उनका अपना राजस्व सीमित है।

कथन-II: उनका लगभग सारा राजस्व उच्च स्तर की सरकारों, यानी केंद्र और राज्य सरकार से अनुदान के माध्यम से उत्पन्न होता है।

उपर्युक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है?

A. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II कथन-I की सही व्याख्या है।
B. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं तथा कथन-II, कथन-I की सही व्याख्या नहीं है।
C. कथन-I सही है किन्तु कथन-II गलत है।
D. कथन-I गलत है किन्तु कथन-II सही है।

4. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. हाल ही में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने विद्युत अधिनियम, 2003 के तत्वावधान में विद्युत (संशोधन) नियम, 2024 जारी किए, जिसका उद्देश्य बड़े कॉर्पोरेट और हरित ऊर्जा क्षेत्रों के लिए विद्युत आपूर्ति की परेशानियों को कम करना है।

2. नियम अब उन उपभोक्ताओं को अनुमति देते हैं जिनके पास निर्दिष्ट ऊर्जा भार और ऊर्जा भंडारण प्रणाली (ईएसएस) हैं, वे लाइसेंस की आवश्यकता के बिना अपनी समर्पित ट्रांसमिशन लाइनों को स्वयं संचालित और बनाए रख सकते हैं।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

5. सपिंड विवाह के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 (एचएमए) की धारा 5(v) की संवैधानिकता को दी गई चुनौती को खारिज कर दिया है, जो दो हिंदुओं के बीच विवाह पर रोक लगाती है यदि वे एक-दूसरे के 'सपिंड' हैं।

2. हालाँकि, सपिंडों के बीच विवाह की अनुमति दी जा सकती है यदि रीति-रिवाज अनुमति देते हो।

3. एचएमए के प्रावधानों के तहत, माता की ओर से, एक हिंदू व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति से शादी नहीं कर सकता जो उनकी तीन पीढ़ियों तक सम्बंधित हो। पिता की ओर से, यह निषेध व्यक्ति की पाँच पीढ़ियों के भीतर किसी पर भी लागू होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं?

A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

6. उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार ने उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISHE) 2021-22 जारी किया।

2. सर्वेक्षण में उच्च शिक्षा में कुल नामांकन में पिछले सत्र के 4.14 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में लगभग 4.33 करोड़ की वृद्धि देखी गई।

3. सर्वेक्षण में यह भी बताया गया कि कुल महिला नामांकन 2020-21 में 2.01 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में 2.07 करोड़ हो गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. सभी D. कोई भी नहीं

7. चित्तौड़गढ़ किले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. चित्तौड़गढ़ किला 7वीं शताब्दी में स्थानीय मौर्य शासकों द्वारा बनाया गया था और 728 ईस्वी में मेवाड़ शासकों द्वारा कब्जा कर लिया गया था।
2. यह 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है जो बेराच नदी के तट से निकलती है।
3. इसे 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. सभी D. कोई भी नहीं

8. राम मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. 22 जनवरी 2024 को पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया।
2. पारंपरिक नागर शैली का प्रतीक, 3 मंजिला राम मंदिर का निर्माण मिर्जापुर और बंसी-पहाड़पुर (राजस्थान) की पहाड़ियों से प्राप्त गुलाबी बलुआ पत्थर से किया गया है।
3. मंदिर वास्तुकला की नागर शैली की उत्पत्ति गुप्त काल के अंत में, लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी में, उत्तरी भारत में हुई थी।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. सभी D. कोई भी नहीं

9. प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 जारी की है।
2. स्टार्ट-अप रैंकिंग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 5 श्रेणियों में वर्गीकृत करती है।
3. गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वालों के रूप में शीर्ष पर हैं, जो रैंकिंग में शीर्ष श्रेणी है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. सभी D. कोई भी नहीं

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हैदराबाद में C4IR की स्थापना विश्व आर्थिक मंच और तेलंगाना राज्य सरकार की मदद से की गई है।
2. नीति आयोग और विश्व आर्थिक मंच के सहयोग से मुंबई में एक और C4IR स्थापित किया गया है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. कोई नहीं

11. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. कृषि भूमि पर्यावरण में नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन करती है।
2. मवेशी पर्यावरण में अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं।
3. पोल्ट्री उद्योग पर्यावरण में प्रतिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक का उत्सर्जन करता है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1 और 3
B. केवल 2 और 3
C. केवल 2
D. 1, 2 और 3

12. प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना' का अनावरण किया।
2. यह एक करोड़ भारतीय परिवारों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली प्रदान करने के लिए एक सरकारी पहल है।
3. अगस्त 2023 तक, भारत की कुल सौर ऊर्जा क्षमता लगभग 70.10 गीगावॉट है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. सभी D. कोई भी नहीं

13. वीरता पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इनकी घोषणा साल में दो बार की जाती है।
2. सभी वीरता पुरस्कार 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा स्थापित किये गये थे।
3. इन पुरस्कारों का वरीयता क्रम परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, वीर चक्र और शौर्य चक्र है।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं?

A. केवल 1 B. केवल 2
C. सभी D. कोई भी नहीं

14. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) 2009 में स्थापित एक जर्मनी-आधारित अंतरसरकारी संगठन है।
2. IRENA का मुख्यालय अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में है और भारत IRENA का संस्थापक सदस्य है।
3. भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड (आईआरईडीए) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के दायरे में एक मिनी रत्न उद्यम है।
4. IREDA की स्थापना 1987 में एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में की गई थी।

उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. केवल 3
D. सभी

15. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के संबंध में कथन पर विचार करें:

1. यह 1990 में बहु-सदस्यीय निकाय के रूप में गठित एक अतिरिक्त-संवैधानिक निकाय है।
2. आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. कोई नहीं

16. 'ये वे वित्तीय उपकरण हैं जिनकी आवश्यकता निवेशकों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के साथ खुद को पंजीकृत किए बिना भारत में निवेश करने के लिए होती है'।

उपरोक्त विवरण में निम्नलिखित में से किस वित्तीय साधन का वर्णन किया गया है?

A. जमा प्रमाणपत्र
B. पार्टी सिपेटरी नोट्स
C. वाणिज्यिक पत्र
D. वचन पत्र

17. हाल ही में समाचारों में देखा गया 'डोगरी लोक नृत्य' का मूल निवासी है।

A. उत्तराखंड
B. हिमाचल प्रदेश
C. जम्मू
D. सिक्किम

18. समवेषा परियोजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?

A. सुविधाओं और प्रयोगशालाओं तक पहुंच में सुधार करके भारत में अनुसंधान सहयोग को बढ़ाना है।
B. इसका लक्ष्य देश की ग्रामीण इंटरनेट कनेक्टिविटी का विस्तार और संवर्धन करना है।
C. एसएचजी के गठन और कौशल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार को बढ़ावा देना।
D. SC/ST समुदायों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देना।

19. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. लेखानुदान के विपरीत, अंतरिम बजट पर लोकसभा में चर्चा की जाती और पारित किया जाता है।
2. अंतरिम बजट कर व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव कर सकता है, जबकि लेखानुदान किसी भी परिस्थिति में कर व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकता है।
3. लेखानुदान को अंतरिम बजट के ढांचे के भीतर मंजूरी दी जा सकती है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कितने सही हैं?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. तीनों
D. उपरोक्त में से कोई नहीं

20. अभ्यास अयुत्या, पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया गया है?

A. मलेशिया
B. वियतनाम
C. दक्षिण अफ्रीका
D. थाईलैंड

उत्तर

1. **C**	4. **C**	7. **C**	10. **C**	13. **B**	16. **B**	19. **C**
2. **C**	5. **D**	8. **C**	11. **D**	14. **D**	17. **C**	20. **D**
3. **A**	6. **C**	9. **C**	12. **C**	15. **A**	18. **A**	

महत्त्वपूर्ण पहल व योजनाएं

विषय सूची

- पशु महामारी तैयारी पहल और वन हेल्थ के लिए पशु स्वास्थ्य प्रणाली समर्थन पहल
- PRET पहल
- ग्रेट (GREAT) पहल
- स्मार्ट सिटी मिशन
- राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति
- पीएम श्री स्कूल
- सिटीआईएस 2.0 कार्यक्रम
- माहिर (MAHIR) पहल
- सागर समृद्धि
- ग्रेट निकोबार परियोजना
- भारत एनसीएपी
- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना
- जलवायु सेवाओं के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क
- पीएम स्वनिधि
- आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम
- अपार (APAR) पहल
- इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस
- प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)
- आरसीएस-उड़ान
- डिजी यात्रा
- पीएम मित्रा पार्क योजना
- पीएलआई योजना
- कस्तूरी कॉटन भारत
- राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन (एनटीटीएम)
- पीएम-डिवाइन
- एमडीओएनईआर डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड
- जल जीवन मिशन
- गोवर्धन मिशन
- राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम)
- राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी)
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)
- अटल भूजल योजना
- रैंप योजना
- एस्पायर योजना
- राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन
- सौर पार्क
- पीएम कुसुम योजना
- समर्थ मिशन
- पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)
- राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन
- स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी)
- उजाला स्कीम
- राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन
- स्वामित्व
- ई-ग्राम स्वराज
- ग्राम ऊर्जा स्वराज अभियान
- प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)
- बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना
- प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)
- मुद्रा योजना
- स्टैंड अप इंडिया योजना
- अटल पेंशन योजना
- राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन
- आयुष्मान आरोग्य मंदिर
- प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान
- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन
- आरसीएस-उड़ान
- प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

पशु महामारी तैयारी पहल और वन हेल्थ के लिए पशु स्वास्थ्य प्रणाली समर्थन

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने जानवरों से मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियों के खतरे से निपटने के लिए एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण के तहत पशु महामारी तैयारी पहल (एपीपीआई) शुरू किया। वन हेल्थ दृष्टिकोण मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के अंतर्संबंध को पहचानता है। इसके अलावा मंत्रालय ने विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ (AHSSOH) परियोजना भी शुरू किया है।

पशु महामारी तैयारी पहल (एपीपीआई):

यह उन्नत जूनोटिक और अन्य पशु रोग निगरानी के लिए एकीकृत रोग रिपोर्टिंग प्रणाली प्रदान करता है। इस पहल के तहत निम्न गतिविधियाँ शामिल हैं:

- संयुक्त जांच और महामारी प्रतिक्रिया दल (राष्ट्रीय और राज्य) की स्थापना करना।
- एक व्यापक एकीकृत रोग निगरानी प्रणाली (राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन पर आधारित) बनाना।
- नियामक प्रणाली को मजबूत बनाना। उदाहरण के लिए, नंदी ऑनलाइन पोर्टल और फील्ड परीक्षण दिशानिर्देश आदि।
- बीमारी की भविष्यवाणी करने वाले एल्गोरिदम और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करना।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ आपदा न्यूनीकरण योजना बनाना।
- प्राथमिकता वाली बीमारियों के लिए टीके, निदान और उपचार के लिए केंद्रित अनुसंधान एवं विकास शुरू करना।
- रोग का पता लगाने की समयबद्धता और संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए आनुवंशिक तथा पर्यावरणीय निगरानी उपकरण बनाना।

वन हेल्थ के लिए पशु स्वास्थ्य प्रणाली सहायता (AHSSOH):

- यह पशुपालन और डेयरी विभाग और विश्व बैंक की एक संयुक्त पहल है।
- इसका लक्ष्य बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन हेतु एक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए वन हेल्थ अवधारणा का उपयोग करना।
- इसे पशु स्वास्थ्य और रोग प्रबंधन में शामिल हितधारकों की क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ पांच राज्यों में लागू करने की योजना है।

वन हेल्थ क्या है?

- वन हेल्थ एक एकीकृत अवधारणा होती है जो स्वास्थ्य, उत्पादकता और संरक्षण संबंधी चिंताओं से निपटने के लिए कई क्षेत्रों को एक साथ लाती है जिसका भारत पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पूरे संगठन में मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य प्रयासों को एकजुट करने के लिए वन हेल्थ इनिशिएटिव की शुरूआत की।
- वन हेल्थ के अन्तर्गत विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व संगठन (WOAH) के साथ सहयोग करता है।

उभरते खतरों हेतु तैयारी और लचीलापन (PRET)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने PRET पहल शुरू किया है।

इस पहल के बारे में:

- यह पहल रोग महामारी की तैयारियों में सुधार के लिए एक अभिनव दृष्टिकोण है।
- यह मानता है कि समान प्रणालियों, क्षमताओं, ज्ञान और उपकरणों का लाभ उठाया जा सकता है। उनके संचरण के तरीके (श्वसन, वेक्टर-जनित, खाद्य जनित आदि) के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है।
- इसमें COVID-19 महामारी और अन्य हालिया सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों के दौरान स्थापित सामूहिक कार्यवाही के लिए नवीनतम उपकरण तथा दृष्टिकोण शामिल हैं।
- यह समानता, समावेशिता और सुसंगतता के सिद्धांतों को सबसे आगे रखता है।
- यह राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक हितधारकों की तैयारियों को मजबूत करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

सुप्रीम (SUPREME) पहल

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधाओं (एआईएफ) के उन्नयन तथा रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सपोर्ट फॉर अपग्रेडेशन प्रिवेंटिव रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट (सुप्रीम) पहल शुरू किया है।

सुप्रीम पहल के बारे में:

- यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत बनाई गई विश्लेषणात्मक उपकरण सुविधाओं (एआईएफ) के उन्नयन तथा रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों में ऐसी सुविधाएं सुप्रीम पहल के तहत अनुदान हेतु आवेदन करने के लिए पात्र हैं।
- समर्थन की अवधि 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- योजना में फंडिंग पैटर्न सभी निजी और सरकारी स्वामित्व वाले संस्थानों के लिए 75:25 होगा।
- **नोडल मंत्रालय:** विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

स्मार्ट सिटी मिशन

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने स्मार्ट सिटी

मिशन की समय सीमा जून 2023 से बढ़ाकर जून 2024 कर दी है।

स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में:

- भारत में स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। स्मार्ट सिटी मिशन भारत सरकार द्वारा शहरों को विकसित करने और उन्हें नागरिक अनुकूल तथा टिकाऊ बनाने के लिए शुरू किया गया एक शहरी नवीनीकरण और रेट्रोफिटिंग कार्यक्रम है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय राज्य सरकारों के सहयोग से मिशन को लागू करने के लिए जिम्मेदार है।

उद्देश्य:

- स्मार्ट सिटी पहल का उद्देश्य टिकाऊ और समावेशी शहरों को बढ़ावा देना है जो कुछ स्मार्ट समाधानों जैसे डेटा-संचालित यातायात प्रबंधन, बुद्धिमान प्रकाश व्यवस्था आदि के माध्यम से जीवन की सभ्य गुणवत्ता, स्वच्छ तथा टिकाऊ वातावरण देने के लिए मुख्य बुनियादी ढांचा प्रदान करता है।

भारत के स्मार्ट सिटी मिशन का समर्थन करने वाले देश:

- स्पेन ने दिल्ली को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए भारत के साथ सहयोग करने का प्रस्ताव दिया।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) और अजमेर (राजस्थान) को स्मार्ट शहरों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया।
- जर्मनी ने भुवनेश्वर (ओडिशा), कोच्चि (केरल) और कोयम्बटूर (तमिलनाडु) को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए भारत के साथ समझौता किया।
- जापान ने चेन्नई, अहमदाबाद और वाराणसी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने में भारत की सहायता करने का निर्णय लिया।
- फ्रांस ने तीन भारतीय शहरों-चंडीगढ़, लखनऊ और पुडुचेरी को समर्थन देने का फैसला किया।
- सिंगापुर ने आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया।

राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 को अधिसूचित किया। नई राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति का लक्ष्य अगले कुछ वर्षों में इस निर्भरता को लगभग 30% तक कम करना और भारत को शीर्ष पांच वैश्विक विनिर्माण केंद्रों में से एक बनाना है।

नीति के मुख्य बिंदु:

- नीति का लक्ष्य अगले 25 वर्षों में 10-12% वैश्विक बाजार हिस्सेदारी हासिल करना है, जबकि तत्काल अल्पकालिक लक्ष्य 2030 तक 50 बिलियन डॉलर तक हिस्सेदारी बढ़ाना है।
- राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगी तथा शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र के स्थापना के साथ स्टार्ट-अप का समर्थन करेगी।
- यह नीति मेड-टेक विकसित करने के लिए विदेशी शैक्षणिक संस्थानों और उद्योग संगठनों के साथ साझेदारी करेगी।
- यह जागरूकता में सुधार करने, विनिर्माण की सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं को सीखने और भारत में विश्व स्तर पर सफल मॉडल को अपनाने के लिए अध्ययन तथा परियोजनाओं को बढ़ावा देने हेतु एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद भी बनाएगा।

पीएम श्री स्कूल

शिक्षा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम एसएचआरआई) के लिए देश भर से लगभग 9,000 स्कूलों को चयनित किया है। इन संस्थानों को 2.5 लाख से अधिक सरकारी स्कूलों में से चुना गया था।

पीएम श्री स्कूलों के बारे में:

- पीएम श्री स्कूल भारत सरकार द्वारा एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस पहल का उद्देश्य केवीएस और एनवीएस सहित केंद्र सरकार/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार/स्थानीय निकायों द्वारा प्रबंधित 14500 से अधिक पीएम एसएचआरआई स्कूलों को विकसित करना है।
- इन विद्यालयों में सीखने का सुरक्षित और प्रेरक माहौल बनाया जायेगा जहां एक व्यापक सीखने के अनुभवों की श्रृंखला होगी। इसमें सभी छात्रों को सीखने के लिए अनुकूल अच्छा भौतिक बुनियादी ढांचा और उपयुक्त संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे।

सिटीआईएस 2.0 कार्यक्रम

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन (CITIIS) 2.0 कार्यक्रम को मंजूरी दी है जो एक प्रतियोगिता के माध्यम से चुने गए 18 स्मार्ट शहरों में सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा।

प्रमुख विशेषताएं:

- इस पहल को फ्रांसीसी विकास एजेंसी (एएफडी) और जर्मन विकास बैंक क्रेडिटनस्टाल्ट फर विडेराउफबाउ (केएफडब्ल्यू) के ऋण के साथ-साथ यूरोपीय संघ से 106 करोड़ रुपये के अनुदान के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा।
- यह योजना 2023 में शुरू होकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स की फंडिंग से 2027 तक चलेगी।
- यह पहल प्रतिस्पर्धी रूप से चयनित परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए है जो शहर स्तर पर एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन, राज्य स्तर पर जलवायु-संबंधी सुधार गतिविधियों और राष्ट्रीय स्तर पर संस्थागत विकास तथा ज्ञान प्रसार पर ध्यान देने के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है।

उन्नत और उच्च प्रभाव अनुसंधान (MAHIR)

बिजली मंत्रालय और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने संयुक्त रूप से बिजली क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों की पहचान करने हेतु भारत के भीतर तथा बाहर बड़े पैमाने पर स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत और उच्च प्रभाव अनुसंधान (एमएएचआईआर) पर एक मिशन शुरू किया है।

सागर समृद्धि

बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने सरकार की 'अपशिष्ट से धन' परियोजना में तेजी लाने के लिए एक ऑनलाइन ड्रेजिंग निगरानी प्रणाली 'सागर समृद्धि' की शुरूआत की।

सागर समृद्धि के बारे में:

- बंदरगाहों, जलमार्गों और तटों के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी केंद्र (एनटीसीपीडब्ल्यूसी) ने इस प्रणाली का निर्माण किया।
- यह पूर्व के डीएलएम सिस्टम को प्रतिस्थापित करता है।
- यह दक्षता और अनुबंध प्रबंधन में सुधार करने के साथ-साथ ड्रेज्ड सामग्री के पुन: उपयोग को प्रोत्साहित करती है।

ग्रेट निकोबार परियोजना

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 72,000 करोड़ रुपये की ग्रेट निकोबार परियोजना पर रोक लगा दी है तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा दी गई मंजूरी की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

ग्रेट निकोबार परियोजना के बारे में:

- यह समृद्ध जैविक विविधता वाले 130 वर्ग किमी से अधिक प्राचीन जंगल पर बनाई जानी है।
- यह योजना 2020 में महामारी के दौरान शुरू की गई थी और पोर्ट ब्लेयर स्थित अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह एकीकृत विकास निगम (ANIIDCO) पर परियोजना को लागू करने की जिम्मेदारी दी गयी थी।

ग्रेट (GREAT) स्कीम

इस स्कीम के तहत केंद्र सरकार ने तकनीकी कपड़ा स्टार्टअप के लिए 50 लाख रुपये तक अनुदान की घोषणा की।

ग्रेट स्कीम के बारे में:

- यह योजना कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आती है।
- टेक्निकल टेक्सटाइल्स में महत्त्वाकांक्षी इनोवेटर्स हेतु अनुसंधान और उद्यमिता के लिए अनुदान (ग्रेट स्कीम) भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आती है जिसका उद्देश्य तकनीकी कपड़ा क्षेत्र के भीतर नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।
- ग्रेट योजना के तहत कपड़ा मंत्रालय ने 50 लाख रुपये तक की अनुदान सहायता को मंजूरी दी है। यह फंडिंग अधिकतम 18 महीने की अवधि के लिए उपलब्ध है। इसका लक्ष्य वित्तीय सहायता प्रदान करना है जो तकनीकी वस्त्रों के विशिष्ट क्षेत्रों में नवाचार को प्रोत्साहित करता है।
- इस योजना का उद्देश्य अनुसंधान और प्रोटोटाइप को व्यवहार्य प्रौद्योगिकियों तथा वाणिज्यिक उत्पादों में परिवर्तन का समर्थन करके तकनीकी वस्त्रों के विकास को बढ़ावा देना है।

भारत एनसीएपी

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बहुप्रतीक्षित इंडिया न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (भारत एनसीएपी) लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य 3.5 टन तक के मोटर वाहनों के सड़क सुरक्षा मानकों में सुधार करना है।

भारत एनसीएपी के बारे में:

- भारत में एनसीएपी कार्यक्रम 2011 में शुरू किया गया था लेकिन 2016 में इसे गति मिली जब सरकार ने देश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए एक मानक बनाने का फैसला किया।
- यह एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है जिसमें ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (एआईएस) 197 के आधार पर किसी दिए गए मॉडल के बेस वेरिएंट का परीक्षण किया जाएगा।
- इसका संचालन केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआईआरटी) द्वारा किया जाएगा।

प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना

प्रधानमंत्री ने कारीगरों और शिल्पकारों के उत्थान के लिए 13,000 करोड़ की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना (पीएमवीवाई) शुरू की है।

क्या है विश्वकर्मा योजना?

- देश के शिल्पकारों और कारीगरों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विश्वकर्मा योजना शुरू की गई है।
- यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित की जाएगी।
- एमएसएमई मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यान्वयन और समन्वय के सभी पहलुओं के लिए केंद्र बिंदु होंगे।
- इसे शुरुआत में 2027-28 तक पांच साल के लिए लागू किया जाएगा।

जलवायु सेवाओं के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क

भारत ने जलवायु सेवाएं और जानकारी प्रदान करने की दिशा में अपना पहला राष्ट्रीय स्तर का फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। नेशनल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज (एनएफसीएस) का नेतृत्व भारत मौसम विज्ञान विभाग

(आईएमडी) द्वारा किया जाता है। एनएफसीएस ग्लोबल फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट सर्विसेज (जीएफसीएस) पर आधारित है।

एनएफसीएस के बारे में:

- वैश्विक ढांचे के अनुरूप यह देश-विशिष्ट जलवायु और हितधारकों की जरूरतों पर आधारित है।
- यह जलवायु सेवाओं के विकास और वितरण को सक्षम करने के लिए एक बहु-हितधारक मंच है।
- एनएफसीएस का लक्ष्य संस्थानों का समन्वय करना है ताकि वे जलवायु कार्यवाही का सह-डिजाइन, सह-उत्पादन, संचार, वितरण तथा उपयोग करने के लिए मिलकर काम कर सकें।
- इसे कृषि, ऊर्जा, आपदा प्रबंधन, स्वास्थ्य और जल संसाधन प्रबंधन सहित विभिन्न उपयोगकर्ता समूहों तथा क्षेत्रों को मूल्यवान जलवायु-संबंधित डेटा और अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।

नोडल एजेंसी:

- आईएमडी भारत में राष्ट्रीय ढांचे के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी है।

पीएम स्वनिधि

- इसे 1 जून, 2020 को लॉन्च किया गया था।
- यह एक माइक्रो-क्रेडिट योजना है जो 7% ब्याज सब्सिडी के साथ कार्यशील पूंजी संपार्श्विक-मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान करती है।
- इस योजना का उद्देश्य स्ट्रीट वेंडरों को न केवल ऋण देकर सशक्त बनाना है, बल्कि उनका समग्र विकास और आर्थिक उत्थान भी करना है।
- यह योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो पूरी तरह से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है।
- **कार्यान्वयन एजेंसी:** भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

उद्देश्य:

- पहले के ऋणों के पुनर्भुगतान पर क्रमशः दूसरे और तीसरे किश्त में 20,000 और 50,000 के बढ़े हुए ऋण के साथ, 1 वर्ष की अवधि के 10,000 तक के संपार्श्विक-मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करना है।
- प्रति वर्ष 7% की दर से ब्याज सब्सिडी के माध्यम से नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना।
- प्रति वर्ष 1,200 तक कैशबैक के माध्यम से डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना है।

आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम

प्रधानमंत्री द्वारा 7 जनवरी, 2023 को मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम (एबीपी) लॉन्च किया गया। यह कार्यक्रम मौजूदा योजनाओं को एकजुट करके परिणामों को परिभाषित करने और निरंतर आधार पर उनकी निगरानी करके भारत के सबसे कठिन तथा अविकसित ब्लॉकों में नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शासन में सुधार लाने पर केंद्रित है।

एबीपी के स्तंभ:

- केंद्रीय और राज्य योजनाओं का अभिसरण।
- नीति आयोग, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों, राज्य सरकारों तथा जिला और ब्लॉक प्रशासन के बीच सहयोग।
- जन आंदोलन की भावना से प्रेरित ब्लॉकों के बीच प्रतिस्पर्धा।

स्वचालित स्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री (APAAR)

इस पहल के तहत प्रत्येक छात्र को आजीवन एपीएआर आईडी मिलेगी जिससे शिक्षार्थियों, स्कूलों और सरकारों के लिए पूर्व-प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक शैक्षणिक प्रगति को ट्रैक करना आसान हो जाएगा।

- यह डिजिलॉकर की तरह काम करेगा जहां छात्र अपने महत्त्वपूर्ण दस्तावेज और उपलब्धियां, जैसे परीक्षा परिणाम तथा रिपोर्ट कार्ड संग्रहीत कर सकते हैं।
- यह केंद्र सरकार की 'एक राष्ट्र, एक छात्र आईडी' पहल का हिस्सा है जो 2020 की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति से उपजी है।

इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस

- हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने ट्रेडिंग सदस्य या स्टॉक ब्रोकर द्वारा सामना की जाने वाली तकनीकी गड़बड़ियों के मामले में निवेशकों के लिये 'सुरक्षा संजाल' प्रदान करने हेतु इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस (IRRA) लॉन्च किया है।
- ट्रेडिंग सदस्य या स्टॉक ब्रोकर एक व्यक्ति या फर्म हैं जो वित्तीय बाजारों में निवेशकों की ओर से प्रतिभूतियों (स्टॉक, बॉण्ड, कमोडिटी आदि) को खरीदने और बेचने के लिये अधिकृत होते हैं। वे क्रेताओं एवं विक्रेताओं के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं और शेयर बाजार या अन्य वित्तीय एक्सचेंजों के भीतर लेन-देन की सुविधा प्रदान करते हैं।
- यह प्लेटफॉर्म सभी स्टॉक एक्सचेंजों 'बीएसई, एनएसई, एनसीडीईएक्स, एमसीएक्स और मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया' द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है।

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन)

पीएम नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी जिले से आदिवासी आइकन बिरसा मुंडा की जयंती पर कमजोर आदिवासी समूहों के लिए 24,000 करोड़ रुपये की परियोजना शुरू की।

पीएम-जनमन के बारे में:

- इस योजना का उद्देश्य विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) को कई सुविधाएं प्रदान करना है। इनमें आवास, पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा तक पहुंच, स्वास्थ्य तथा पोषण, सड़क, दूरसंचार कनेक्टिविटी और स्थायी आजीविका के अवसर शामिल हैं।
- आयुष मंत्रालय मौजूदा मानदंडों के अनुसार आयुष कल्याण केंद्र स्थापित करेगा जो मोबाइल चिकित्सा इकाइयों के माध्यम से आयुष सुविधाओं को पीवीटीजी बस्तियों तक बढ़ाएगा।
- कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय इन समुदायों के उचित कौशल के अनुसार पीवीटीजी बस्तियों, बहुउद्देशीय केंद्रों तथा छात्रावासों में कौशल और व्यावसायिक प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करेगा।
- यह योजना 2.39 लाख रुपये प्रति घर की लागत से लगभग 4.9 लाख पक्के मकान उपलब्ध कराती है। इसके अलावा यह 2.75 करोड़ रुपये प्रति यूनिट पर 500 छात्रावास, 2,500 आंगनवाड़ी केंद्र, 3,000 गांवों में मोबाइल टावरों की स्थापना और 8,000 किमी सड़क कनेक्टिविटी प्रदान करती है।
- केंद्र सरकार का हिस्सा 15,336 करोड़ रुपये, जबकि राज्य सरकार 8,768 करोड़ रुपये का योगदान करेगी। इसमें सहायता देने हेतु नौ मंत्रालय शामिल हैं।
- सरकार ने अगले तीन वर्षों में मिशन को लागू करने के लिए अनुसूचित जनजातियों हेतु विकास कार्य योजना के तहत 15,000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया है।

पीवीजीटी के बारे में:

- 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में 75 आदिवासी समुदायों को पीवीटीजी के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा संकेतकों में पिछड़े हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत में कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी 10.45 करोड़ है।
- जनजातीय मामलों के मंत्रालय और 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार, ओडिशा में पीवीटीजी की सबसे बड़ी आबादी 8.66 लाख है जिसके बाद मध्य प्रदेश में 6.09 लाख और आंध्र प्रदेश (जिसमें तब तेलंगाना शामिल था) में 5.39 लाख है। कुल पीवीटीजी जनसंख्या लगभग 40 लाख से अधिक है।

आरसीएस-उड़ान

- इसको 2016 में विभिन्न क्षेत्रों को जोड़ने वाले असेवित मार्गों (Underserved Routes) पर हवाई परिचालन को सक्षम करने, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने और जनता के लिए उड़ान को किफायती बनाने हेतु लॉन्च किया गया था।
- आरसीएस-उड़ान एक स्व-वित्तपोषण योजना है जिसमें बेहतर संचालन के लिए मुख्य मार्गों पर प्रत्येक प्रस्थान के लिए नाममात्र शुल्क लगाया जाता है।

डिजी यात्रा

- डिजी यात्रा चेहरे की पहचान प्रौद्योगिकी (एफआरटी) के आधार पर हवाई अड्डों पर यात्रियों की संपर्क रहित निर्बाध प्रसंस्करण प्राप्त करने के लिए बनाई गई एक परियोजना है।
- इसमें मूल रूप से परिकल्पना की गई है कि कोई भी यात्री पहचान स्थापित करने के लिए चेहरे की विशेषताओं का उपयोग करके कागज रहित संपर्क के माध्यम से हवाई अड्डे पर विभिन्न जांच से गुजरना शामिल है।
- यात्री घर बैठे ही प्लेटफॉर्म पर नामांकन कर सकते हैं। डिजी यात्रा निम्नलिखित 13 हवाई अड्डों पर शुरू की गई है:
  - » दिल्ली, बेंगलुरु, वाराणसी, हैदराबाद, पुणे, कोलकाता, विजयवाड़ा, अहमदाबाद, मुंबई, कोचीन, गुवाहाटी, जयपुर और लखनऊ में यह योजना लागू है।
- लॉन्च के बाद से 91 लाख से अधिक यात्रियों ने डिजी यात्रा की सुविधा का लाभ उठाया है।
- अंततः चरणबद्ध तरीके से सभी हवाईअड्डों को डिजी यात्रा से कवर किया जाएगा।

पीएम मित्रा पार्क योजना

सरकार ने विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा विकसित करने हेतु पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) पार्क योजना शुरू की है। इस योजना का शुभारंभ 6 अक्टूबर 2021 को किया गया था। पीएम मित्र पार्क योजना 5F (फील्ड से फाइबर, फाइबर से फैक्टरी, फैक्टरी से फैशन, फैशन से फारेन तक) विजन से प्रेरित है।

- पार्क एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण/रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक एक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाने का अवसर प्रदान करता है।
- विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को आकर्षित करेगा जो क्षेत्र में एफडीआई और स्थानीय निवेश को बढ़ावा देगा।
- केंद्र और राज्य सरकार पीएम मित्र पार्क स्थापित करने के लिए एसपीवी बनाएंगे। इन पार्कों को पीपीपी मोड में विकसित किया जाएगा।

पीएलआई योजना

- सरकार ने देश में एमएमएफ परिधान, एमएमएफ फैब्रिक और तकनीकी कपड़ा उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु पांच साल की अवधि के लिए कपड़ा उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई)

योजना को मंजूरी दी है।

- योजना के तहत कंपनियों को न्यूनतम निवेश और न्यूनतम टर्नओवर हासिल करने पर प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

कस्तूरी कॉटन भारत

- यह कार्यक्रम भारतीय कपास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार, व्यापार निकायों और उद्योग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाने वाला अपनी तरह का पहला ब्रांडिंग, ट्रेसबिलिटी तथा प्रमाणन प्रयास है।
- इसके तहत आपूर्ति श्रृंखला के हितधारक घरेलू और विदेशी बाजारों में भारतीय कपास के मूल्य को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगात्मक प्रयास में शामिल होंगे।

राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन (एनटीटीएम)

- इसे वर्ष 2020 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) द्वारा 1480 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ अनुमोदित किया गया था।
- कार्यान्वयन की अवधि वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2023-24 तक चार वर्ष है। एनटीटीएम के प्रमुख स्तंभों में शामिल हैं:
  - » अनुसंधान नवाचार एवं विकास
  - » संवर्धन एवं बाजार विकास
  - » शिक्षा, प्रशिक्षण और कौशल
  - » निर्यात प्रोत्साहन

पीएम-डिवाइन

उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डेवाइन) की घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में की गई थी। इसे 12 अक्टूबर, 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2022-23 से 2025-26 तक 4 साल की अवधि के लिए 6,600 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी।

उद्देश्य:

- पीएम गति शक्ति की भावना में बुनियादी ढांचे को एकमुश्त फंड देना।
- एनईआर की महसूस की गई जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं का समर्थन करना।
- युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियाँ सक्षम करना।
- विभिन्न क्षेत्रों में विकास की कमी को पूरा करना।

पूर्वोत्तर विशेष अवसंरचना विकास योजना (NESIDS):

- NESIDS 100% केंद्रीय वित्तपोषण वाली एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है जिसका वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिये नवीनीकृत अनुमोदित परिव्यय 8139.50 करोड़ रुपए है। इस योजना में दो घटक शामिल हैं:
  - » NESIDS- सड़क
  - » NESIDS- सड़क के अतिरिक्त अन्य बुनियादी ढाँचा (OTR)
- पहले से मौजूद नॉर्थ-ईस्ट रोड सेक्टर डेवलपमेंट स्कीम (NERSDS) के NESIDS-सड़क में विलय के बाद नए दिशा-निर्देश तैयार किये गए।
- NESIDS का लक्ष्य पूर्वोत्तर राज्यों के चिह्नित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे के लिए समन्वय को बढ़ावा देना है।

एमडीओएनईआर डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड

- एमडीओएनईआर डेटा एनालिटिक्स डैशबोर्ड में 55 विभागों और मंत्रालयों की 112 योजनाओं का डेटा है। यह एनईआर के आकांक्षी जिलों, उत्तर पूर्व सीमावर्ती जिलों और एनईआर के सबसे पिछड़े जिलों पर कड़ी नजर रखेगा। एनईआर में योजनाओं के प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के लिए एक बेंचमार्क बनाते हुए डैशबोर्ड ई-गवर्नेंस नवीनतम नवाचारों से लैस होगा।

जल जीवन मिशन

अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया जल जीवन मिशन, सभी ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए समर्पित एक परिवर्तनकारी पहल है। पिछले चार वर्षों में, इस मिशन ने एक महत्त्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। इसने 13.91 करोड़ घरों में नल जल कनेक्शन पहुंचाकर ग्रामीण समुदायों पर गहरा प्रभाव डाला है।

गोबरधन योजना

- गोबरधन एसबीएम-जी की एक महत्त्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य पशु अपशिष्ट, कृषि-अवशेषों सहित जैव-अपशिष्ट को जैव-स्लरी और बायोगैस में परिवर्तित करके धन तथा ऊर्जा उत्पन्न करना, मीथेन गैस के उत्सर्जन को कम करना और परिपत्र अर्थव्यवस्था में योगदान करना है जिससे ग्रामीण समुदायों के जीवन में सुधार हो। इस पहल में विभिन्न हितधारक विभाग/मंत्रालय शामिल हैं जो बायोगैस/संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) क्षेत्र के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करते हैं। अभी तक 1150 बायोगैस संयंत्र पंजीकृत किए गए हैं और 600 से अधिक सामुदायिक/क्लस्टर स्तर के बायोगैस संयंत्र कार्यशील हैं।

राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम)

राष्ट्रीय जल मिशन 2011 में शुरू किया गया था। प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता में हर साल कमी, भूजल स्तर में कमी, लंबे समय तक सूखा तथा अधिक बारिश के कारण बाढ़, जल संरक्षण और भंडारण प्रत्येक राष्ट्र के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण चिंता का कारण है।

इसके तहत प्रमुख पहल:

- जल शक्ति अभियान-कैच द रेन (JSA-CTR) 2023
- जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (बीडब्ल्यूयूई) की स्थापना

एनडब्ल्यूएम के लक्ष्य:

- **लक्ष्य 1:** सार्वजनिक डोमेन में व्यापक जल डेटा बेस।
- **लक्ष्य 2:** जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आंकलन।
- **लक्ष्य 3:** जल संवर्द्धन और संरक्षण के लिए नागरिक तथा राज्य के कार्यों को बढ़ावा देना और अत्यधिक दोहन वाले क्षेत्रों सहित कमजोर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना।
- **लक्ष्य 4:** जल उपयोग दक्षता में 20% की वृद्धि।
- **लक्ष्य 5:** बेसिन स्तरीय एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को बढ़ावा देना।

राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी)

- इसे 2016 में अखिल भारतीय आधार पर 100% अनुदान के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में शुरू किया गया था।
- यह जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है जो विश्व बैंक द्वारा समर्थित है।
- इसका बजट परिव्यय 8 वर्षों की अवधि के लिए 3680 करोड़ था।

उद्देश्य:

- जल संसाधनों की जानकारी की सीमा, विश्वसनीयता और पहुंच में सुधार करना।
- भारत में लक्षित जल संसाधन प्रबंधन संस्थानों की क्षमता को मजबूत करना।
- विश्वसनीय जानकारी को कुशलतापूर्वक प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना जिससे प्रभावी जल संसाधन विकास और प्रबंधन का मार्ग प्रशस्त होगा।

परियोजना लाभार्थी:

- नदी बेसिन संगठनों सहित सतही और/या भूजल योजना तथा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार केंद्रीय और राज्य कार्यान्वयन एजेंसियां।
- विभिन्न क्षेत्रों और दुनिया भर में जल संसाधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूआरआईएस) के उपयोगकर्ता।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 के दौरान खेत में पानी की भौतिक पहुंच बढ़ाने और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करने, खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करने तथा स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को शुरू करने के लिए शुरू की गई थी।

घटक:

- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 'हर खेत को पानी' भूजल (पीएमकेएसवाई-एचकेकेपी-जीडब्ल्यू)
- प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई)-त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी)
- वाटरशेड विकास परियोजना

अटल भूजल योजना (अटल जल)

- अटल भूजल योजना (अटल जल) 6000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसमें 8213 जल संकटग्रस्त ग्राम पंचायतों में पहचाने गए जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करता है।
- देश के सात राज्यों 'गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश' के 80 जिलों में प्रशासनिक ब्लॉक या तालुका में लागू की जा रही है। विश्व बैंक द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित यह योजना 2020 से 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू की जायेगी।

रैंप योजना

- भारत के प्रधानमंत्री द्वारा 30 जून 2022 को लॉन्च की गई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- इस योजना का उद्देश्य केंद्र और राज्य स्तर पर संस्थानों तथा शासन को मजबूत करना, केंद्र-राज्य संबंधों और साझेदारी में सुधार करना, बाजार व ऋण तक एमएसएमई की पहुंच में सुधार करना, प्रौद्योगिकी उन्नयन और एमएसएमई के हरितकरण के मुद्दों को संबोधित करना है।

रैंप (RAMP) की तीन उप-योजनाएँ:

- एमएसई-गिफ्ट (एमएसई हरित निवेश और परिवर्तन के लिए वित्तपोषण, पहचानी गई हरित प्रौद्योगिकियों के लिए एमएसई ऋणों हेतु ब्याज छूट तथा गारंटी प्रदान करने के लिए 478 करोड़ रुपये के परिव्यय) की योजना।
- एमएसई-स्पाइस (सर्कुलर इकोनॉमी में निवेश को बढ़ावा देने के लिए एमएसई योजना) सर्कुलर इकोनॉमी अपनाने के लिए एमएसई को 25% पूंजी सब्सिडी प्रदान करने के लिए 472.50 करोड़ रुपये के परिव्यय की योजना।
- 188.97 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विलंबित भुगतान के लिए ऑनलाइन विवाद समाधान पर एमएसई की योजना।

एस्पायर योजना

एस्पायर योजना 16 मार्च 2015 को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी। योजना का उद्देश्य कृषि-ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करना है। एस्पायर के अंतर्गत 2 घटक हैं:

- **आजीविका बिजनेस इनक्यूबेटर (एलबीआई):** ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने के साथ कृषि-ग्रामीण क्षेत्र में उद्यमिता तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु कौशल विकास प्रदान करने के लिए स्थापित एक इकाई है। एलबीआई का मुख्य उद्देश्य औपचारिक तथा स्केलेबल सूक्ष्म-उद्यम निर्माण की सुविधा प्रदान करके रोजगार के अवसर पैदा करना है।
- **एस्पायर फंड ऑफ फंड्स (एफओएफ):** सिडबी द्वारा प्रबंधित, एफओएफ को वैकल्पिक निवेश फंड (एआईएफ) के माध्यम से निवेश करने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ बनाया गया था। प्रारंभिक चरण के स्केलेबल स्टार्ट-अप में जिन्हें प्रौद्योगिकी और व्यवसाय विकसित करने में सफल होने के लिए समर्थन तथा पोषण की आवश्यकता होती है, उनके लिए इस फण्ड की व्यवस्था की गयी थी। सिडबी एफओएफ का कुल कोष रु. 310 करोड़ है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने 4 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ अनुमोदित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को कार्यान्वित किया है। मिशन का व्यापक उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव के उत्पादन, उपयोग तथा निर्यात के लिए वैश्विक केंद्र बनाना है।

सौर पार्क

- सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास की योजना दिसंबर 2014 में शुरू की गई थी जिसकी कुल क्षमता 20,000 मेगावाट थी। इसके अलावा मार्च 2017 में 2025-26 तक सोलर पार्क योजना की क्षमता 20,000 मेगावाट से बढ़ाकर 40,000 मेगावाट कर दी गई।
- नवम्बर, 2023 तक मंत्रालय ने देश भर के 12 राज्यों में लगभग 37,490 मेगावाट की कुल क्षमता वाले 50 सौर पार्कों को मंजूरी दी है।
- इस स्वीकृत पार्क में 10,401 मेगावाट की क्षमता वाली सौर परियोजनाएँ चालू की गई हैं।

पीएम कुसुम योजना

- किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सिंचाई तथा डी-डीजलीकरण को स्रोत प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा मार्च 2019 में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (कुसुम) योजना शुरू की गई थी।
- सरकार ने योजना के घटक बी और सी के तहत स्थापित/सोलरीकृत किए जाने वाले 49 लाख पंपों के संशोधित लक्ष्य के साथ पीएम कुसुम योजना के विस्तार को मंजूरी दी।
- **घटक A:** भूमि पर स्थापित 10,000 मेगावाट के विकेंद्रीकृत ग्रिडों को नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों से जोड़ना।
- **घटक B:** 20 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना।
- **घटक C:** ग्रिड से जुड़े 15 लाख सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों का सौरीकरण (Solarisation)

समर्थ मिशन

विद्युत मंत्रालय ने कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों में बायोमास के उपयोग पर एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना की जिसे समर्थ मिशन के रूप में भी जाना जाता है। जुलाई 2021 में अपनी स्थापना के बाद से समर्थ मिशन भारत सरकार की बायोमास सह-फायरिंग पहल को मजबूत करने के लिए अथक प्रयास कर रहा है।

पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस)

भारत सरकार ने पूर्व-योग्यता मानदंडों को पूरा करने और बुनियादी न्यूनतम बेंचमार्क प्राप्त करने के आधार पर आपूर्ति के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए डिस्कॉम को परिणाम-लिंक्ड वित्तीय सहायता प्रदान करके डिस्कॉम को उनकी परिचालन क्षमता तथा वित्तीय स्थिरता में सुधार करने में मदद करने हेतु संशोधित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) शुरू की। आरडीएसएस का 5 वर्षों में परिव्यय रु. 3.04 लाख करोड़ अर्थात् वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक निर्धारित किया गया है।

राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन

- भारत में स्मार्ट ग्रिड गतिविधियों से संबंधित नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की योजना बनाने तथा निगरानी करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2015 में राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) की स्थापना की गई थी। स्मार्ट ग्रिड का प्राथमिक उद्देश्य बिजली नेटवर्क की विश्वसनीयता में सुधार करना और ग्रिड को वितरित उत्पादन के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा इनपुट के लिए उत्तरदायी बनाना है।
- नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) को यूएसएआईडी की दक्षिण एशिया क्षेत्रीय ऊर्जा साझेदारी (एसएआरईपी) की तकनीकी सहायता से विद्युत मंत्रालय के मार्गदर्शन में शुरू किया गया है।

स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम (एसएलएनपी)

स्ट्रीट लाइटिंग राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीटलाइटें लगाई गई। प्रधानमंत्री ने 5 जनवरी, 2015 को पूरे भारत में पारंपरिक स्ट्रीट लाइटों को स्मार्ट और ऊर्जा कुशल एलईडी स्ट्रीट लाइटों से बदलने के लिए स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम (एसएलएनपी) लॉन्च किया था।

उजाला योजना

उजाला योजना के तहत पारंपरिक और अप्रभावी वेरिएंट के प्रतिस्थापन के लिए घरेलू उपभोक्ताओं को एलईडी बल्ब, एलईडी ट्यूब लाइट और ऊर्जा कुशल पंखे बेचे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने 5 जनवरी 2015 को उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल (उजाला) कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन (एनबीएम)

- एनबीएम देश के बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र के विकास हेतु एक उद्योग-अकादमिक सहयोग मिशन (Industry-Academia Collaborative Mission) है।
- एनबीएम ने हैजा, इन्फ्लूएंजा, डेंगू, चिकनगुनिया, न्यूमोकोकल रोग, कोविड-19 (प्रारंभिक विकास) और संबंधित प्रौद्योगिकियों के लिए 15 वैक्सीन उम्मीदवारों के विकास हेतु समर्थन प्रदान किया है। मधुमेह, रुमेटोलॉजिकल और नेत्र संबंधी रोगों, कैंसर हेतु 21 बायोसिमिलर उत्पाद और 29 चिकित्सा उपकरण एवं निदान के लिए भी समर्थन दिया है।
- केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने जून 2017 में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के तहत राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन शुरू किया।

स्वामित्व योजना

प्रत्येक ग्रामीण परिवार के मुखिया को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को सक्षम करने के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल, 2020 को स्वामित्व योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य नवीनतम सर्वेक्षण ड्रोन-प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी (आबादी) भूमि का सीमांकन करना है। यह पंचायती राज मंत्रालय, राज्य राजस्व विभागों, राज्य पंचायती राज विभागों और भारतीय सर्वेक्षण विभाग का एक सहयोगात्मक प्रयास है।

ई-ग्राम स्वराज

ई-ग्राम स्वराज पंचायती राज के लिए एक सरलीकृत कार्य आधारित लेखांकन एप्लिकेशन है जो पंचायती राज को धन के अधिक हस्तांतरण को प्रेरित करके पंचायत की विश्वसनीयता बढ़ाने में सहायता करता है।

ग्राम ऊर्जा स्वराज अभियान

पंचायती राज मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाने पर ध्यान केंद्रित करने वाली अपनी सभी योजनाओं के तहत ग्राम पंचायतों को शामिल करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ सहयोग किया है। इससे आने वाले वर्षों में ग्राम पंचायतें ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन सकेंगी और केवल उपभोक्ता बनने के बजाय ऊर्जा उत्पादक बन सकेंगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा अनुप्रयोगों को व्यापक रूप से अपनाने से ग्राम पंचायतें राजस्व के अपने स्रोत (ओएसआर) विकसित करने और गांवों के स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर विकसित करने में सक्षम होंगी।

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी)

- प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) नवंबर, 2008 में भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा शुरू की गई थी।
- प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) विभाग की एक प्रमुख योजना है जिसके तहत प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों (पीएमबीजेके) के नाम से जाने जाने वाले समर्पित आउटलेट के माध्यम से सभी को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। यह योजना फार्मास्यूटिकल्स विभाग के तहत एक स्वायत्त सोसायटी, फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया (पीएमबीआई) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की योजना

- देश में बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए 20 मार्च, 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 'बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देना' नामक एक योजना को मंजूरी दी गई है।
- इसका उद्देश्य पार्कों में स्थित इकाइयों को विश्व स्तरीय सामान्य बुनियादी ढांचा सुविधाएं प्रदान करना है जो थोक दवाओं की विनिर्माण लागत को काफी कम करने में मदद करेगा जो भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। इससे घरेलू थोक दवा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, साथ ही आयात पर देश की निर्भरता को कम करने में मदद मिलेगी।

राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अप्रैल, 2023 को राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 को मंजूरी दी। नीति का उद्देश्य चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को सुविधाजनक बनाना और रणनीतियों के एक सेट के माध्यम से अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करना है जो छह व्यापक क्षेत्रों को कवर करेगा। राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति, 2023 में चिकित्सा उपकरण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए छह (6) रणनीतियों का उल्लेख निम्न है:
  - विनियामक सुव्यवस्थितीकरण
  - बुनियादी ढांचे को सक्षम करना
  - अनुसंधान एवं विकास और नवाचार को सुगम बनाना
  - क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना
  - मानव संसाधन विकास
  - ब्रांड पोजिशनिंग और जागरूकता निर्माण

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई)

प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) को अगस्त, 2014 को वित्तीय समावेशन के लिए राष्ट्रीय मिशन के रूप में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य प्रत्येक परिवार को कम से कम एक बैंक खाते, वित्तीय साक्षरता और सामाजिक सुरक्षा कवर के साथ बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करके देश के सभी परिवारों का व्यापक वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करना है।

मुद्रा योजना

- इसे 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च किया गया था।
- **उद्देश्य:** विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में आय पैदा करने वाले छोटे व्यवसाय उद्यमों को वित्तपोषित करना। इसमें कृषि से संबद्ध गतिविधियाँ जैसे मुर्गीपालन, डेयरी, मधुमक्खी पालन आदि शामिल हैं। सावधि ऋण और कार्यशील पूंजी दोनों आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है।
- **ऋण देने वाले संस्थान:** बैंक, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) और सूक्ष्म वित्त संस्थान (एमएफआई)
- **श्रेणियाँ:**
  - शिशु - रु. 50,000/- तक
  - किशोर - रु. 50,000 से अधिक और रु. 5.00 लाख तक
  - तरूण - रु. 5.00 लाख से अधिक और रु. 10.00 लाख तक
- इसमें संपार्श्विक की कोई जरुरत नहीं होती है।
- **ब्याज दर:** ऋण देने वाली संस्था द्वारा तय किया जाता है।

स्टैंड अप इंडिया योजना

- इसे 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च किया गया था।
- **उद्देश्य:** स्टैंड-अप इंडिया योजना का उद्देश्य प्रत्येक बैंक शाखा द्वारा कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को नई (ग्रीनफील्ड) परियोजना की स्थापना के लिए रु. 10 लाख से रु. 1 करोड़ के बीच बैंक ऋण प्रदान करना है।
- योजना में संभावित उधारकर्ताओं को सहायता प्रदान करने की भी परिकल्पना की गई है। यह केंद्र/राज्य सरकार की योजनाओं के साथ अभिसरण का भी प्रावधान करता है।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

- अटल पेंशन योजना (एपीवाई) भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना है जिसे 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री द्वारा भारत के सभी नागरिकों, विशेषकर गरीब, वंचित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को वृद्धावस्था के दौरान वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। 18 से 40 वर्ष की आयु के व्यक्ति जिनके पास बचत बैंक खाता है और जो आयकरदाता नहीं हैं, वे इस योजना के तहत नामांकन कर सकते हैं।
- यह योजना ग्राहक को रुपये से लेकर आजीवन गारंटीकृत पेंशन प्रदान करती है। 60 वर्ष से उपर की आयु होने पर 1000 से 5000 रूपये प्रति माह (ग्राहक द्वारा चयनित) देय होता है।

राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी)

- आर्थिक विकास के लिए बुनियादी ढाँचा प्रमुख प्रवर्तकों में से एक है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी) में आर्थिक और सामाजिक बुनियादी ढांचा दोनों क्षेत्रों में 100 करोड़ रुपये से अधिक की ब्राउनफील्ड तथा ग्रीनफील्ड बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शामिल हैं। पाइपलाइन में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तथा भारत की सरकार के 22 बुनियादी ढांचा मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित परियोजनाएं शामिल हैं।

आयुष्मान आरोग्य मंदिर

1,50,000 स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों को शहरी क्षेत्रों में उप स्वास्थ्य केंद्रों (एसएचसी) तथा ग्रामीण और शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) को अपग्रेड करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम दिया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल को समुदाय के करीब लाया जा सके।

प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान

प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान 9 सितंबर, 2022 को भारत के

राष्ट्रपति द्वारा शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य टीबी रोगियों को उपचार के परिणामों में सुधार करने, सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) गतिविधियों का लाभ उठाने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करना था। मार्च 2018 में टीबी शिखर सम्मेलन में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक टीबी उन्मूलन लक्ष्य (2030) से पांच साल पहले 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा था।

आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन-एबीडीएम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर, 2021 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (ABDM) लॉन्च किया।

- आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (जिसे पहले राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के नाम से जाना जाता था) को एक राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दृष्टि से लॉन्च किया गया था जो कुशल, सुलभ, समावेशी, किफायती, समय पर और सुरक्षित तरीके से सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का समर्थन करता है।
- एबीडीएम का लक्ष्य नागरिकों के लिए स्वास्थ्य स्पेक्ट्रम में स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सक्षम करना, नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाना, देखभाल की लागत को कम करना और स्वास्थ्य सेवा वितरण में अधिक दक्षता को सक्षम करना है।

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए पहचाने गए क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (जो सामुदायिक संपत्ति हैं) को विकसित करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है। 2022-23 में संशोधित पीएमजेवीके को 15वें वित्त आयोग चक्र यानी वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के दौरान जारी रखने के लिए सरकार द्वारा मंजूरी दी गई। संशोधित पीएमजेवीके योजना सभी आकांक्षी जिलों सहित देश के सभी जिलों के लिए लागू की गई है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)

20 मई 2020 को कैबिनेट ने 20,050 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) को मंजूरी दी जिसमें निम्न शामिल है:

- » 9,407 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा
- » 4,880 करोड़ रुपये का राज्य का हिस्सा
- » 5,763 करोड़ रुपये लाभार्थियों का योगदान

- पीएमएमएसवाई को प्रधानमंत्री द्वारा 10 सितंबर 2020 को सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2024-25 तक 5 वर्षों में कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार के कोविड-19 राहत पैकेज (आत्मनिर्भर भारत पैकेज) के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था।

पीएमएमएसवाई के उद्देश्य:

- मत्स्य पालन क्षेत्र की क्षमता का टिकाऊ, जिम्मेदार, समावेशी और न्यायसंगत तरीके से उपयोग करना।
- भूमि और पानी के विस्तार, सघनीकरण, विविधीकरण तथा उत्पादक उपयोग के माध्यम से मछली उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाना।

विद्यांजलि

- विद्यांजलि-स्कूल स्वयंसेवक पहल एक ऑनलाइन पोर्टल है जो स्वयंसेवकों को सीधे स्कूलों से जोड़कर एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करता है।
- यह प्रयास नागरिक समाज में उपलब्ध संभावनाओं का दोहन करके स्कूलों में ज्ञान/कौशल/मानव संसाधन और बुनियादी ढांचे की कमी को पूरा करना है।

मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी)

- भारत सरकार ने अंतर-मंत्रालयी परामर्श की एक विस्तृत प्रक्रिया के माध्यम से अक्टूबर 2021 में भारतमाला परियोजना के तहत विकसित किए जाने वाले एमएमएलपी के लिए अंतिम रूप दिया।
- राज्य सरकारें परियोजनाओं हेतु आवश्यक भूमि प्रदान करेंगी जिसे बाद में सार्वजनिक-निजी भागीदारी के माध्यम से कार्यान्वयन किया जाएगा। एमएमएलपी के प्रमुख कार्य निम्न हैं:
  - » वस्तु ढुलाई एकत्रीकरण और वितरण
  - » मल्टी-मॉडल माल परिवहन
  - » एकीकृत भंडारण और भण्डारण
  - » सूचना प्रौद्योगिकी समर्थन
  - » मूल्य संवर्धित सेवाएं

हरित श्रेय योजना

मोरमुगाओ पोर्ट ने ईएसआई स्कोर वाले जहाजों को प्रोत्साहन की पेशकश करते हुए 'हरित श्रेय' योजना शुरू की। इसका उद्देश्य हरित पहल को बढ़ावा देना और बंदरगाह संचालन की स्थिरता में सुधार करना है। एम.वी. ऑगस्ट ओल्डनडॉर्फ हरित प्रोत्साहन प्राप्त करने वाला पहला जहाज था।

प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना

- प्रधानमंत्री अनुसुचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) में 03 पूर्ववर्ती केंद्र प्रायोजित योजनाओं अर्थात् प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई), अनुसूचित जाति उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए से एससीएसपी) और बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई) का विलय कर दिया गया।
- कौशल विकास, आय सृजन योजनाओं और अन्य पहलों के माध्यम से अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करके एससी समुदायों की गरीबी को कम करने के उद्देश्य से अनुसूचित जाति बहुल गांवों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे तथा अपेक्षित सेवाओं को सुनिश्चित करके सामाजिक-आर्थिक विकास संकेतकों में सुधार करना। इस योजना में निम्न तीन घटक शामिल हैं:
  - » अनुसूचित जाति बहुल गांवों का 'आदर्श ग्राम' के रूप में विकास
  - » अनुसूचित जाति की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के लिए जिला/राज्य-स्तरीय परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान
  - » उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रावासों का निर्माण

पीएम-दक्ष योजना

पीएम-दक्ष एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना, 2020-21 के दौरान शुरू की गई थी। योजना का मुख्य उद्देश्य लक्षित समूहों (एससी, ओबीसी, ईबीसी, डीएनटी, कचरा बीनने वाले सफाई कर्मचारी आदि) के योग्यता स्तर को बढ़ाना है ताकि उन्हें उनके सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए स्व-रोजगार तथा मजदूरी-रोजगार दोनों में रोजगार योग्य बनाया जा सके।

राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन

पशुपालन और डेयरी विभाग ने एनडीडीबी के साथ एक डिजिटल मिशन 'राष्ट्रीय डिजिटल पशुधन मिशन (एनडीएलएम)' शुरू किया है। इससे पशुओं की उत्पादकता में सुधार करने, पशुओं और मनुष्यों दोनों को प्रभावित करने वाली बीमारियों को नियंत्रित करने, घरेलू तथा निर्यात बाजार दोनों के लिए गुणवत्तापूर्ण पशुधन और पशुधन सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम:

- 'राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी)' फरवरी-2014 से पूरे देश में लागू किया गया। जुलाई 2021 में दूध और दूध उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने तथा 2021-22 से 2025-26 तक कार्यान्वयन के लिए संगठित खरीद, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन की हिस्सेदारी बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) योजना का पुनर्गठन किया गया है। इस योजना के निम्न दो घटक हैं:
  - » **घटक ए:** किसान को उपभोक्ता से जोड़ने वाली कोल्ड चेन अवसंरचना सहित गुणवत्तापूर्ण दूध के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण करना।
  - » **घटक बी:** सहकारी समितियों (डीटीसी) के माध्यम से डेयरी विकास करना।

हरित क्रेडिट कार्यक्रम (जीसीपी)

ग्रीन क्रेडिट पहल माननीय प्रधानमंत्री द्वारा COP-28 की तर्ज पर शुरू की गई थी। यह सरकार की पर्यावरण के लिए जीवनशैली या जीवन आंदोलन के भीतर एक पहल है। ग्रीन क्रेडिट नियम, 2023 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत 12 अक्टूबर 2023 को अधिसूचित किया गया है। यह नियम स्वैच्छिक पर्यावरणीय सकारात्मक कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करता है जिसके परिणामस्वरूप ग्रीन क्रेडिट जारी होती है। इसके प्रारंभिक चरण में वन विभाग के नियंत्रण एवं प्रबंधन के अंतर्गत निम्नीकृत भूमि, बंजर भूमि, जलग्रहण क्षेत्र आदि पर स्वैच्छिक वृक्षारोपण की परिकल्पना की गई है।

विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (ULPIN) या भू-आधार

विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या (यूएलपीआईएन) प्रणाली प्रत्येक भूमि पार्सल के लिए 14 अंकों की अल्फा-न्यूमेरिक अद्वितीय आईडी है जो पार्सल के शीर्षों के भू-निर्देशांक पर आधारित है। यह अंतर्राष्ट्रीय मानक का है और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कोड मैनेजमेंट एसोसिएशन (ईसीसीएमए) मानक का अनुपालन करती है जो ओपन जियोस्पेशियल कंसोर्टियम (ओजीसी) मानक, पूरे देश में लागू किया जा रहा है। यूएलपीआईएन में भूखंड के स्वामित्व विवरण के अलावा अनुदैर्ध्य और अक्षांशीय विवरण भी होंगे। इससे रियल एस्टेट लेनदेन में सुविधा होगी, संपत्ति सीमाओं के मुद्दों को हल करने में मदद मिलेगी और आपदा योजना तथा प्रतिक्रिया प्रयासों में सुधार होगा आदि।

स्किल इंडिया डिजिटल

स्किल इंडिया डिजिटल (एसआईडी) कौशल और नौकरियों पर केंद्रित एक अभिनव डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो इंडिया स्टैक ग्लोबल के मजबूत ढांचे का लाभ उठाता है तथा शीर्ष स्तर की सुरक्षा और स्केलेबिलिटी सुनिश्चित करता है। यह व्यापक मंच विभिन्न प्रकार की प्रमुख सुविधाएँ प्रदान करता है। यह उन्नत एआई/एमएल तकनीक के माध्यम से खोज और अनुशंसा की सुविधा प्रदान करता है जिससे उपयोगकर्ताओं को उपयुक्त कौशल सेट की पहचान करने में सहायता मिलती है। यह एक डिजिटल जॉब एक्सचेंज की मेजबानी करता है जो नौकरी चाहने वालों को प्रासंगिक अवसरों से सहजता से जोड़ता है।

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

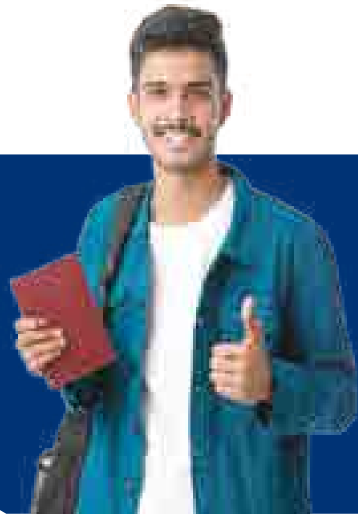

20 Years of Trust

Success is Our Tradition

4500+ Selections in IAS & PCS

ADMISSIONS OPEN FOR

Offline / Online Courses

GENERAL STUDIES | CSAT | OPTIONAL SUBJECTS

MAIN TEST SERIES FOR IAS & PCS

Looking to crack **UPSC, UP-PSC & BPSC Civil Services Examination**. Look no further than Dhyeya IAS! Our comprehensive preparation program offers everything you need.

Expert lectures from experienced subject specialists

Dedicated mentors to guide you through every step of the process and answer your questions

Special lectures from top experts in the field

Holistic PMI (Prelims, Mains, and Interview) tests to prepare you for every stage of the exam

Complete coverage of current affairs to keep you up-to-date on the latest news and trends

Daily answer writing practice with expert guidance

Join the many successful candidates who have benefited from Dhyeya IAS's proven approach for **UPSC, UP-PSC & BPSC Civil Services Examination.** *Contact us today to learn more*

FOR OFFLINE COURSES, CALL RESPECTIVE CENTRE

Available Optional Subjects

- HISTORY
- POLITICAL SCIENCE & IR
- GEOGRAPHY
- SOCIOLOGY

UPSC PRELIMS & MAINS
TEST SERIES
(OFFLINE & ONLINE)

UP-PCS PRELIMS & MAINS
TEST SERIES
(OFFLINE & ONLINE)

BPSC PRELIMS & MAINS
GS & OPTIONAL TEST SERIES
(OFFLINE & ONLINE)

FORTNIGHTLY AVAILABLE PERFECT 7 MAGAZINE FOR COMPREHENSIVE COVERAGE OF CURRENT AFFAIRS

FOR ONLINE COURSES CALL 9205274741 / 42

Delhi (Mukherjee Nagar) : Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar Ph: **9289580074/75** • Delhi (Laxmi Nagar) : 1/53, Lalita Park, Near Gurudwara, Laxmi Nagar Ph: **9205212500/9205962002** • Greater Noida : Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt, Greater Noida Ph: **9205336037/38** • Prayagraj : SP Marg, Civil Lines, Prayagraj Ph: **0532-2260189/8853467068** • Lucknow (Aliganj) : A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow Ph: **9506256789/7570009002** • Lucknow (Gomti Nagar) : Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Gomti Nagar, Lucknow Ph: **7234000501/ 7234000502** • Lucknow (Alambagh) : Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony, Alambagh Lucknow Ph: **7518373333/7518573333** • Kanpur : 113/154 Swaroop Nagar, Kanpur Ph: **7887003962/7897003962** • Gorakhpur : Narayan Tower, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Ph: **0551-2200385/7080847474**

ध्येय IAS®

most trusted since 2003

20 वर्षों का भरोसा

सफलता ही हमारी परम्परा!

4700+ SELECTIONS IN IAS & PCS

₹ 70

dhyeyaias.com

Face to Face Centres

North Delhi : A 12, 13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009, Ph: 9205274741/42/44 I **Laxmi Nagar :** 1/53, 2nd floor, Lalita Park, Near Gurudwara, Opposite Pillar no.23, Laxmi Nagar, Delhi -110092, Ph: 9205212500/9205962002 I **Greater Noida :** 4th Floor Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt., Greater Noida, UP - 201310, Ph: 9205336037/38 I **Prayagraj :** II & Ill Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068 I **Lucknow (Aliganj) :** A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, UP- 226024, Ph: 0522-4025825/9506256789 I **Lucknow (Gomti Nagar) :** CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow, UP - 226010, Ph: 7234000501/ 7234000502 I **Lucknow (Alambagh) :** 58/1 , Sector-B Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony , Alambagh Lucknow,, Ph: 7518373333, 7518573333 | **Kanpur :** 113/154 Swaroop Nagar, Near HDFC Bank, Kanpur, UP - 208002, Ph: 7887003962/7897003962 I **Gorakhpur :** Narain Tower, 2nd floor, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273001, Ph: 7080847474 I **Bhubaneswar :** OEU Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha -751024, Ph: 9818244644/7656949029 , **Varanasi :** Ph: 7408098888, 9898529010